खण्ड 15

विशिष्ट कार्यों के लिए निविदायें

15.1 विशिष्ट अभिकरण के माध्यम से विशिष्ट कार्यों का निष्पादन किया जाना:

विशिष्ट कार्य वे कार्य है जिनको निष्पादित किये जाने लिए विशिष्ट अभिकरण बाजार में उपलब्ध है। इन कार्यों को विभाग द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है और समय–समय पर अद्यतन किया जाता है। ये कार्य समुचित कार्य की उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने के लिए केवल ऐसे अभिकरणों के माध्यम से निष्पादित किये जायेंगे।

15.2 विशिष्ट कार्यों के लिए निविदाएं द्वि/त्रि आवरण रीति से आमंत्रित किया जाना।

15.2.1 द्वि/त्रि आवरण रीति के अधीन निविदाओं के आमंत्रण के लिए प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा एन आई टी अनुमोदित किया जाय। अनुमोदन प्राधिकारी इस हेतु इस संग्रह के प्रस्तर 14.7.1 के अनुसार अनुसरण करेगा।

15.3 कार्य के विशिष्ट घटकों के साथ निविदाएं:

किसी भवन सन्निर्माण में कई अन्य विशिष्ट कार्य होते हैं जैसे पाईप, एल्मुनियम कार्य दरवाजे और खिडकियों के शटर, रंग–रोगन इत्यादि जिसके लिए अभिकरण होते हैं जो कि ऐसे क्षेत्रों में विशिष्ट होते है। ऐसे कार्यों के निष्पादन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया नीचे दी गई है–

(1) विभाग को स्वीकार्य अभिकरण– निविदा में जहां कार्य की विशिष्ट प्रकिति के ऐसे घटक हैं वहां एन आई टी (प्ररूप 6) के ऐसे कार्य केवल इस क्षेत्र में विशिष्ट सहयोजित अभिकरणों के माध्यम से निष्पादित किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए एन आई टी द्वारा विभाग को स्वीकार्य और/या स्वीकार्य अभिकरणों के लिए निर्धारित शर्तों पर ऐसे विशिष्ट अभिकरणों के नाम सूचीबद्ध करना होगा। ठेकेदार उपर्युक्त सूची से यथासम्भव शीघ्र उपर्युक्त शर्तों को पूर्ण करने वाले और कार्य के आवंटित होने के एक महीने के भीतर अपने सहयुक्त विशिष्ट अभिकरणों से नाम इंगित करेगा ।

(2) संक्षिप्त में प्रेस विज्ञापन –

(एक) जब से ऐसे मामलों में एन आई टी लागू है, उपर्युक्त अपेक्षा प्रेस में विज्ञापन जारी करते समय संक्षिप्त में विवरण दिया जायेगा और विस्तृत जानकारी के लिए विभाग से नियमित एन आई टी (प्ररूप 6) को प्राप्त करने के लिए निविदा प्रत्याशियों से निवेदन किया जा सकता है।

(दो) यद्यपि एन आई टी बैवसाइट में पूर्ण रूप से अंकित होगा। प्रेस विज्ञापन में भी प्रत्याशी निविदाओं से अधिक विवरण के लिए इस बैवसाइट में जाने का अनुरोध किया जा सकता है।

15.4 विशिष्ट कार्यों के लिए निविदाएं:

(1) विशिष्ट मद/नौकरी कार्य ऐसे कार्य हैं जो विशेष टी और पी तथा/ या विशिष्ट दक्षता की अपेक्षा करते हैं।

(2) विशिष्ट मद/नौकरी/कार्य के रूप में मद/नौकरी और कार्य को घोषित करने के लिए प्रबंध निदेशक सक्षम होंगे। ऐसे किसी विशिष्ट मद/नौकरी/कार्य को अनुमोदित करते समय प्रबंध निदेशक ऐसे अनुमोदन पत्र/आदेशों की प्रति सभी मुख्य अभियंताओं को सम्बोधित करते हुए एकरूपता बनाये रखने के क्रम में बैवसाइड में ऐसे पत्र/आदेशों को प्रदर्शित करेगा।

(3) डी जी सैट, एच वी ए सी, सब स्टेशन, अग्नि सचेतक/अग्नि खोजक और लिप्ट से संबंधित कार्यो के लिए निविदाएं एन आई टी में वर्णित अर्हता रीति से उपलब्ध कराये गये ओ ई एम/ओ ई ए सहित विशिष्ट अभिकरणों/फर्मो से द्वि/त्रि आवरण रीति पर प्रत्येक कार्य के लिए आमंत्रित किये जाएंगे।

15.5 एन.आई.टी. की तैयारी:

(1) कार्य के लिए एन आई टी अनुमोदन प्राधिकारी परिशिष्ट 13 में दिये गये मार्ग निर्देशों के अनुसरण में मूल्यांकन रीति के अनुसरण के साथ–साथ अर्हता का अंतिमिकरण करेगा। यदि किसी मामले में मार्ग निर्देशों में विचलन आवश्यक समझा जाय तो (प्रस्तर 16.7 के अधीन निविदा के पुनर्आमंत्रण के सिवाय) उसे प्रबंध निदेशक से अनुमोदित कराया जायेगा।

(2) पूर्व अर्हता के लिए अर्हता रीति प्रेस सूचना (एन आई टी प्ररूप 6) में बहुत स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए। एन आई टी (प्ररूप 6) कुछ उत्कृष्ट विशिष्ट फर्मों को भी भेजा जायेगा जो कि एन आई टी अनुमोदन प्राधिकारी की राय में अर्ह हो सकते है।

(3) समान कार्य और अर्हता रीति की परिभाषा एन आई टी में एन आई टी अनुमोदन प्राधिकारी ने स्पष्ट की हैं। समान कार्य की परिभाषा में यदि मुख्य अभियंता की वित्तीय शक्तियों से अधिक कार्य का आगणित मूल्य हो तो उसे प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(4) कार्य अनुभव की रीति से पृथक एन आई टी अनुमोदन प्राधिकारी कार्य की प्रकृति के आधार पर अन्य समुचित शर्तों को अधिकथित कर सकेगी।

(5) तकनीकी और वित्तीय निविदाओं के एक साथ आमंत्रण के लिए विशिष्ट रीति होगी। यद्यपि यदि कार्य की तुरन्त मांग हो तो केवल तकनीकी निविदा संबंधित प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से पहले आमंत्रित की जा सकती है। बाद में अर्हित ठेकेदारों से वित्तीय निविदा आमंत्रित की जा सकती है।

(6) विशिष्ट फर्मों द्वारा कुछ विशिष्ट कार्यों के मामले में प्रतिभूति बाण्ड भी निष्पादित किये जाने की अपेक्षा होगी जैसे जल रोधक कार्य और दीमक उपचार। सामान्य दिशानिर्देशों के रूप में परिशिष्ट 22 में

प्रतिभूति बाण्ड का एक नमूना दिया गया है। एन आई टी अनुमोदन प्राधिकारी इस नमूने पर आधारित विभिन्न कार्यों के लिए अपेक्षित पृथक/समान प्रतिभूति बाण्ड निश्चित कर सकता है।

(7) ऐसे कार्यों के लिए अर्हता रीति (डी जी सेट, एच बी ए सी और सब स्टेशन कार्यों के सिवाय) एन आई टी में निम्नवत विनिर्दिष्ट किये जायेंगें––

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिन को पिछले सात वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक पूर्ण किये गये कार्यों का अनुभव होना चाहिए–

(एक) आगणित मूल्य के 40 प्रतिशत से अन्यून के मूल्यांकन के प्रत्येक तीन समान कार्यों के लिए निविदा या आगणित मूल्य के 60 प्रतिशत से अन्यून के मूल्यांकन के प्रत्येक दो समान कार्यों के लिए निविदा या आगणित मूल्य के 70 प्रतिशत से अन्यून के मूल्यांकन के प्रत्येक एक समान कार्यों के लिए निविदा दी जानी चाहिए। सभी धनराशियां सुलभ अंको में पूर्णांकित की जायेंगी।

यहां तक कि यदि निविदा दो या तीन वर्षों की अवधि के लिए आमंत्रित की गयी हो पर भी वार्षिक मरम्मत और अनुरक्षण कार्य तथा विशेष मरम्मत सहित समान कार्यों के लिए अर्हता रीति वाह्य स्रोत से अनुरक्षण दिन–प्रतिदिन के आधार पर एक वर्ष के लिए आगणित मूल्य पर आधारित होगी।

(दो) डी जी सैट, एच बी ए सी और सब स्टेशन कार्य एन आई टी में निम्नवत विनिर्दिष्ट किये जाएंगे–

निविदा प्रस्तुत करने के अंतिम दिन को पिछले सात वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक पूर्ण किये गये कार्यों का अनुभव होना चाहिए–

उपस्कर एन आई टी में प्रस्तावित डी जी सैट /चिलर/ट्रासफारमर के वैयक्तिक क्षमता के 70 प्रतिशत वाले वैयक्तिक डी जी सैट/चिलर/टॅासफारमर की क्षमता के साथ निविदा को आगणित मूल्य के 60 प्रतिशत से अन्यून मूल्य के प्रत्येक दो समान पूर्ण कार्य। या

उपस्कर एन आई टी में प्रस्तावित डी जी सैट /चिलर/ट्रासफारमर के वैयक्तिक क्षमता के 70 प्रतिशत वाले वैयक्तिक डी जी सैट/चिलर/ट्रॅासफारमर की क्षमता (अगले उपलब्ध उच्चतर क्षमता को पूर्णांकित करते हुए) के साथ निविदा में आगणित मूल्य के 70 प्रतिशत से अन्यून मूल्य के एक समान पूर्ण कार्य। सभी धनराशियां सुलभ अंकों मे पूर्णांकित की जायेगी।

(8) डी.जी सेट

(1) निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एन आई टी में सम्मिलित की जाने वाली उपयुक्त शर्ते– –

(क) इंजन का वर्ष, एल्टरनेटर तथ एएमएफ सूची एन आई टी में सम्मिलित होगी और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि डी जी सेट और एएमएफ सूची को केवल ओईएम/ओईए के विशिष्ट उत्पाद है।

(ख) डी जी सेट और एएमएफ सूची का निरीक्षण और जांच भेजे जाने से पूर्व केवल ओईएम/ओईए के कार्यों में की जायेगी।

(ग) निविदा प्रलेख प्रस्तुत करते समय ठेकेदार–

(एक) विभाग की अपेक्षा के अनुसार डीजी सेट की आपूर्ति और भेजे जाने की अनुसूची को ओईएम/ओईए से लिखित वचन,

(दो) कार्य पूर्ण होने के पश्चात संतोषजनक संस्थापन और डी जी सेट की स्थापना के लिए इंजन बी निर्माता से ओईएम/ओईए या प्राधिकृत सेवा प्रदाता से प्रमाण पत्र,

(तीन) चूक दायित्व को आच्छादित करने के लिए प्रभारी अभियंता के पक्ष में ओईएम/ओईए से डी जी सेट की अपेक्षित प्रतिभूति,

(चार) इंजन बीनिर्माता के प्राधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा प्रतिभूमि अवधि के दौरान आवश्यक निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराने के लिए ली गई सहमति, प्रस्तुत करेगा।

(2) अतिविशिष्ट परिसर या राष्ट्रीय महत्व के भवनों/स्मारकों में डीजी सैट संस्थापन के लिए निविदा ओईए/ओईएन से केवल प्रबंध निदेशक के पूर्वानुमोदन से आमंत्रित की जायेगी। संस्थापित की जाने वाली प्रस्तावित डी जी सेट की उच्चतर क्षमता के लिए फर्म के पास ओईएम/ओईए होना चाहिए।

(9) उपस्करों/सामग्रियों/भण्डारों के निरीक्षण के लिए भारत या भारत के बाहर उत्तराखण्ड पेयजल निगम के अधिकारियों के भ्रमण से संबंधित एन आई टी से कोई शर्त सम्मिलित नही होगी जहां ऐसा व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। विभाग के अधिकारी विनिर्माता के कार्य स्थल पर उपस्कर/सामग्रियों के भेजने से पूर्व निरीक्षण का आयोजन करेगा। ठेकेदार विनिर्माता इकाई में अपेक्षित परीक्षण के संचालन सहित उपस्करों/सामग्रियों के निरीक्षण के लिए सुविधा का प्रबंध करेगा। यद्यपि एनआईटी में भारत से बाहर स्थित बिनिर्माता इकाई में उपस्करों/सामग्रियों के निरीक्षण से संबंधित कोई शर्त प्रबंध निदेशक के पूर्व अनुमति के बिना सम्मिलित नही की जायेगी।

यदि किसी मामले में ऐसी शर्त एन आई टी में सम्मिलित की गयी है तो यह निर्देशों का जानबुझकर उल्लंघन समझा जायेगा और एनआईटी अनुमोदन अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आकृष्ट करेगा।

(10) प्रस्तर 14.7.1 के अधीन दी गयी द्वि/त्रि आवरण रीति (अग्रिम धनराशि से संबंधित आवरण को छोडकर) निविदा के आमंत्रण के लिए प्रक्रिया में निम्नलिखित स्तर ऐसे सम्बद्ध कार्य के लिए अनुसरण की जायेगी–

(एक) **चरण एक–** सक्षम प्राधिकारी द्वारा समान कार्य के परिभाषा का अनुमोदन

(दो) **चरण दो–** सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्ह ठेकेदारों के नामों का अनुमोदन

(तीन) चरण तीन– सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी विशिष्टिकरण का अनुमोदन

(चार) चरण चार– वित्तीय निविदा का पुनर्रीक्षण, यदि अपेक्षित हो,

(पांच) चरण पांच– सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय निविदा को स्वीकार करना।

प्रत्येक चरण पर सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा

चरण एक और दो

कम.सं.	कार्य की लागत	सक्षम प्राधिकारी
1	अधिशासी अभियंता के तकनीकी स्वीकृति की शक्ति तक	अधीक्षण अभियंता
2	अधिशासी अभियंता की टी एस शक्ति से बाहर और मुख्य अभियंता की उसकी स्वयं की प्राधिकारिता के अधीन निविदा स्वीकार करने की शक्ति तक	मुख्य अभियंता को पूर्ण शक्ति
3	मुख्य अभियंता की उसकी स्वयं प्राधिकारिता के अधीन निविदा स्वीकार शक्ति के बाहर	प्रबंध निदेशक

चरण तीन– तकनीकी विशिष्टिकरण का अनुमोदन : एन आई अनुमोदन प्राधिकारी

चरण चार–

चरण पांच – वित्तीय निविदा का अनुमोदन : परिशिष्ट 1 में वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधायन के अनुसार।

बिना निविदा आमंत्रित किए कार्यादेश के माध्यम से सम्पादित किये जाने वाले कार्य के मामले में समान प्रक्रिया अपनायी जायेगी। समान कार्य की परिभाषा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित की जायेगी। सामान कार्य की परिभाषा के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एन आई टी अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित सूचनाओं के विवरण के साथ एक पत्र के रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा–

(क) कार्य और उपशीर्षक का नाम,

(ख) लिये जाने वाले कार्य का संक्षिप्त विवरण,

(ग) विविदा में रखी गई आगणित लागत,

(घ) ए/ए और ईआई एस की धनराशि,

(ङ) समापन का समय,

(च) अन्य कोई संबंधित सूचना,

(छ) समान कार्य की प्रस्तावित परिभाषा,

समान कार्य की परिभाषा के अनुमोदन के पश्चात निविदा आमंत्रित की जायेगी और यह समाधान कर लेने पर भी ठेकेदार द्वारा उचित प्ररूप में अग्रिम राशि, अर्हता रीति से संबंधित अभिलेखों के विवरण का आवरण खोला जायेगा और अर्ह ठेकेदारों के नामों के अनुमोदन के लिए सक्षम अधिकारी को भेजा जायेगा, यदि मुख्य अभिंयता सक्षम प्राधिकारी है तो अधिशासी अभियंता द्वारा अधीक्षण अभियंता को उसकी एक प्रति भेजते हुए सीधे मुख्य अभियंता को भेजी जायेगी। यदि प्रंबंध निदेशक सक्षम प्राधिकारी है तो मुख्य अभियंता द्वारा प्रकरण प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत किया जायेगा।

अर्हता रीति पर समाधान कर ठेकेदार के अर्हता रीति नामों के साथ संबंधित अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन दिया जायेगा। अर्ह ठेकेदार के नाम का अंतिमिकरण के पश्चात तकनीकी विशिष्टियों के विवरण वाला दूसरा आवरण खोला जायेगा और तकनीकी विशिष्टियों का आंकलन कर एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा उसका अंतिमिकरण किया जायेगा।

तकनीकी निविदा के अंतिमिकरण के पश्चात यदि अपेक्षित हो तो अर्ह ठेकेदार को उसकी वित्तीय निविदा को उपांतरित करने का अवसर दिया जायेगा। वित्तीय निविदा (मूल या परिवर्धित जैसी स्थिति हो) अधिशासी अभियंता द्वारा खोली जायेगी और वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधायन के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की जायेगी। वित्तीय निविदा खोलने के पश्चात विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

(11) पूर्व निविदा सम्मेलनः

प्रत्याशी निविदादाताओं की संकाओं को दूर करने के अतिरिक्त निविदादाताओं द्वारा प्रस्तावित कोई अतिरिक्त सुझाओं पर विचार विमर्श के लिए पूर्व निविदा सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। यदि सुझाव आवश्यक पाये गये तो निविदा अभिलेख का सुद्विपत्र सभी प्रत्याशी निविदादाताओं को जारी किया जायेगा और तत्पश्चात कोई अपेक्षा/शर्त अंकित नही की जायेगी। विशेषतया कार्य के अधिक मिश्रित प्रकारों के लिए एक बार से अधिक बार पूर्व निविदा सम्मेलन आयोजित करने पर कोई प्रतिबंध नही होगा। एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी निविदाओं की बिक्री के पश्चात पूर्व निविदा सम्मेलन को आयोजित करने के लिए प्रयास करने की अनुमति देगा।

(12) अधिशासी अभियंता द्वारा प्राप्त निविदाएं एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी को सीधे प्रस्तुत किये जायंगे।

15.6 निविदाओं का विक्रयः

(1) यह आवश्यक है कि विशिष्ट नौकरी/कार्य के लिए निविदाएं ऐसी फर्मो को जो कार्य की मदों को व्यवहृत करते है और जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है, को बिक्रय की जाये।

(2) यह आवश्यक नही है कि विशिष्ट अभिकरण जो कार्य के लिए निविदा दें, केन्द्र या राज्य सरकार अभियंत्रण विभागों में पंजीकृत हो।

(3) सभी प्रत्याशी निविदाओं पर अनुभव और विशेषज्ञता अपेक्षित है जैसे विशिष्ट फर्म के साथ–साथ पंजीकृत ठेकेदार। संबंधित विशिष्ट क्षेत्र में उनका अनुभव और विशेषज्ञता के बारे में ज्ञात करने के पश्चात ही निविदा प्रपत्र जारी किये जाने चाहिए। उस विशिष्ट विशेष कार्य के लिए अर्हता रीति के बिना कोई पंजीकृत ठेकेदार निविदा क्रय करने के लिए अर्ह नही होगा। प्रेस सूचना भी तद्नुसार जारी की जायेंगी।

(4) सिविल या विद्युत ठेकेदारों को निविदा प्रपत्र दिये जाने के लिए क्रमशः सिविल या विद्युत शाखा द्वारा विनियमित किया जायेगा। प्रत्याशी निविदादाताओं को जारी निविदा प्रपत्रों के लिए उनके आवेदनों के साथ विशेषज्ञता और विवरण संलग्न करने होंगे।

(5) निविदा प्रपत्र केवल ऐसे ठेकेदारों से यह सुनिश्चित तथा समाधान करने के उपरान्त कि अधिकथित अर्हता रीति के संदर्भ में सबंधित विशिष्ट क्षेत्र में उनका अनुभव और विशेषज्ञता है तथा वे रीति को पूर्ण करते है।

(6) निविदा के क्रय करते समय निविदादाता निम्नवत एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा–

मैं/हम यह अनुबंध करते हैं और पुष्टि करते है कि अर्ह समान कार्य किसी अन्य ठेकेदार को उपठेकेदारी आधार पर निष्पादित करने के लिए प्रदान नही किया जायेगा। अग्रेतर यह कि यदि ऐसा कोई उल्लंघन विभाग के संज्ञान में आता है तो मैं/हम तीन वर्ष के लिए भविष्य में उत्तराखण्ड पेयजल निगम में संविदा के लिए निविदा दिये जाने हेतु प्रतिबंधित हो जायंगे। यदि ऐसा उल्लंघन विभाग के संज्ञान में कार्य प्रारम्भ करने की तारीख से पूर्व आता है तो प्रभारी अभियंता अग्रिम जमा धनराशि/दक्षता प्रतिभू की सम्पूर्ण धनराशि को जब्त कर सकेगा।

15.7 लिफ्ट के लिए निविदा आमंत्रित करने हेतु मार्ग निर्देश– लिफ्ट बीनिर्माता जैसा कि नीचे उल्लिखित किया गया है, दो श्रेणियों में अनुमोदित होंगे–

(एक) श्रेणी "क"

1. मै0 ओटीआईएस
2. मै0 कोन
3. मै0 मितसुबिसी
4. मै0 स्कैंडलर
5. मै0 जानसन लिफ्टस प्राइबेट लि0, चेन्नई।

(दो) श्रेणी "ख" दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्व अर्हित फर्म–

(तीन) विभिन्न भवनों के लिए लिफ्ट की श्रेणियां निम्नवत हैं–

श्रेणी "क" – आवासीय भवन, अस्पताल, प्रतिष्ठित भवन, अन्य गैर आवासीय राष्ट्रीय महत्व के भवन और छः तलों से अधिक कार्यालय भवन (भूमिगत तल +5)

श्रेणी "ख" – श्रेणी 'क' के अधीन वर्गीकृत भवनों के प्रकार के सिवाय अन्य गैर आवासीय भवन और कार्यालय भवन।

(चार) श्रेणी 'ख' के अधीन विभिन्न भवनों में निष्पादित होने वाले कार्यों के लिए श्रेणी 'क' के अधीन अनुमोदित बिनिर्माता प्रतिभाग कर सकेंगे।

(पांच) मुख्य अभियंता श्रेणी 'क' के अधीन वर्गीकृत होने वाले प्रतिष्ठित और राष्टीय महत्व के भवनों के लिए श्रेणी 'क' के अधीन अनुमोदित बिनिर्माताओं से निविदा आमंत्रित करने के लिए निर्णय ले सकेंगे।

(छः) यदि उपयोगिता विभाग ऐसा विशिष्ट अनुरोध करते है और आगणन के स्वीकृत उपबंधों से अधिक तथा अतिरिक्त धनराशि को वहन करने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो किसी भवन में श्रेणी 'क' के संस्थापन के अधीन अनुमोदित किये जा सकते है। श्रेणी क' के अधीन अनुमोदित पांच उत्पादों के उपलब्ध लिप्ट के परामर्शियों की संस्तुति उपयोगिता विभाग द्वारा अनुमोदित किए बिना अंतिम नही समझी जायेगी।

(सात) श्रेणी 'क' और 'ख' के अधीन विभिन्न भवनो में संस्थापित किए जाने वाले लिप्ट के लिए प्रारम्भिक आगणन तदनुसार तैयार किया जायेगा।

(आठ) इस संग्रह का प्रस्तर 15.3 कार्य के विभिन्न घटकों के लिए सहयुक्त विशिष्ट अभिकरणों के मुख्य ठेकेदारों के संदर्भ में यह संविदा द्वारा आच्छादित होंगे, संदर्भित किया जायेगा।

15.8 विशिष्ट सिविल कार्यों के लिए निविदाएं:

विशिष्ट सिविल कार्यों के मामले में जहां विभिन्न मदों के विशिष्टिकरण अंतिम हो चुके हैं, सिविल कार्यों के लिए निविदा विशिष्ट अभिकरणों से जैसे सामान्य कार्यो के लिए आमंत्रित की जाती है, आमंत्रित किये जा सकेंगे, किन्तु निविदाएं अर्हता प्रक्रिया के पूर्ण होने के अध्यधीन विशिष्ट अभिकरणों को ही विक्रय किऐ जायेंगे। ऐसे मामलों के लिए अनुमोदन की शक्ति एनआईटी में तथा निविदा स्वीकार करने की शक्ति वित्तीय शक्तियों के सामान्य प्रतिनिधायन के अनुसार होगी।

यदि सक्षम प्राधिकारी अनुमोदित और एनआईटी ऐसा निर्णित करे तो निविदा को द्वि/त्रि आवरण रीति से आमंत्रित किये जाने के लिए कोई मनाही नही होगी।

15.9 बिनिर्माताओं /प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा विशिष्ट ई और एम रीति का अनुरक्षणः

विशिष्ट ई और एम रीति के संचालन और अनुरक्षण के लिए निम्नवत अनुपालन किया जायेगा–

(1) केन्द्रीय वातानुकूलित यंत्र

(एक) क्षमता के विरूद्ध स्क्रू और सेंटरीफूगल यंत्र (उच्च एवं निम्न दोनो की ओर सहित) यंत्र के अनुरक्षण कार्यों हेतु विनिर्माताओं/प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा पूर्ण रूप से अनुरक्षित किया जायेगा। इसमें सभी मरम्मत, स्पेयर, गैस, तेल इत्यादि सम्मिलित होने चाहिए। अवितरित दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए यंत्र का संचालन भी अनुरक्षण कार्य के लिए बिनिर्माता/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सौंपा जायेगा।

(दो) दो सौ टन भार क्षमता से उपर के आदान–प्रदान यंत्र का रख रखाव/संचालन विनिर्माता/प्राधिकृत प्रतिनिधि/मौलिक निष्पादन अभिकरण के द्वारा पूर्ण रूप से किया जायेगा।

(तीन) दो सौ टन तक भार क्षमता वाले आदान–प्रदान यंत्र पूर्व अर्हता रीति के आधार पर चयनित विशिष्ट अभिकरणों द्वारा अनुरक्षित और संचालित किया जा सकेगा।

(2) लिफ्ट का पूर्ण रूप से अनुरक्षण केवल संबंधित लिफ्ट विनिर्माता द्वारा किया जायेगा।

(3) संबोधन प्रकार अग्नि सचेतक प्रणाली का रख रखाव उनकी निविदा सीमा तक बिनिर्माता/प्राधिकृत प्रतिनिधि/पूर्व अर्हता प्राप्त फर्म द्वारा किया जायेगा।

(4) निम्नलिखित प्रणाली का अनुपालन केवल विनिर्माता/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पूर्ण रूप से अनुरक्षित किया जायेगा–

(एक) सुरक्षा जांच

(दो) वीडीओ/फिल्म प्रस्तुतिकरण प्रणाली

(तीन) सी.सी.टी.वी. प्रणाली

(चार) यू.पी.एस. प्रणाली

(पांच) पी.ए. प्रणाली,

(छः) ध्वनि नियंत्रण प्रणाली,

(सात) सम्मेलन प्रणाली,

(आठ) संचारण प्रणाली,

(नौ) कम्प्यूटर प्रणाली,

(दस) जल पंप स्वचालित प्रणाली,

(ग्यारह) अग्नि शमन बुझाना,

(बारह) डी.जी सेट।

(5) जल रोधक, अग्नि सचेतक प्रणाली का संचालन/अनुरक्षण पूर्व अर्ह रीति के आधार पर चयनित फर्म द्वारा किया जायेगा।

(6) अन्य किसी विशिष्ट प्रणाली के लिए मुख्य अभियंता यह निश्चित करेंगे कि अनुरक्षण कार्य बिनिर्माता/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अनुरक्षित किया जायेगा या पूर्व अर्हता रीति के आधार पर चयनित विशिष्ट फर्म द्वारा किया जायेगा।

टिप्पणी : जब अनुरक्षण कार्य बिनिर्माता/प्राधिकृत प्रतिनिधि को आवंटित कर दिया जाय तो निविदा आमंत्रण करने के लिए प्रेस प्रसारण की आवश्यता नही है। यह समुचित रूप से केवल बिनिर्माता/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को एनआईटी द्वारा भेजा जायेगा। निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी उत्कृष्ट प्रस्ताव प्राप्त करने और कीमतों के सकारण दरों के लिए उत्तरदायी होंगे।

15.9.1 ई और एम संस्थापन का संचालन और अनुरक्षण:

ऊपर प्रस्तर 15.9 के अधीन उपस्कर और प्रणाली का अनुरक्षण और संचालन (मरम्मत सहित) कार्य के विशिष्ट मदों के अनुरूप माने जायेंगे।

15.10 सिविल/विद्युतिकरण कार्य के लिए विशिष्ट मद/सेवाओं की सूची:

विशिष्ट मदों/सेवाओं की सूची सिविल कार्य के संबंध में जिसे संलग्नक 1 और विद्युतिकरण कार्य के लिए संलग्नक 2 घोषित की गयी है।

परिशिष्ट– एक

सिविल कार्यों के लिए विशिष्ट मद/नौकरी की सूची

(1) सामग्रियों का वहन

(2) जल स्राव उपचार कार्य

(3) लौह पुल कार्य में लौह कार्य, लम्बे ढांचे के लिए फ्रेम, लौह टावर

(4) पत्थर तोडने के लिए ग्रेनेट का बिछाना

(5) पायल्स के सभी रीतियों सहित विशिष्ट भूमिका

(6) फाइब्रस प्लास्टर सीलिंग

(7) एकोस्टिक उपचार और अन्य सजावटी मद जैसे ग्लास सिलिंग

(8) टयूबवैल का रोपण

(9) मिटटी और मैदान दोनों रीति में भोजन संग्राहलय का निर्माण

(10) एल्मूनियम दरवाजे और खिड़कियां, एल्मूनियम पाटेशन

(11) बिना स्टैक के आरसीसी उपरी टेंक

(12) सतही टेंक

(13) गुनोटिंग, तैयार समिश्रित कंक्रीट

(14) मरम्मत और पुनर्वास कार्य

(15) मिट्टी अन्वेषण और सर्वे कार्य

(16) फैकेड सफाई रीति और फैकेड सफाई

(17) फैक्ट्री में बनाये गये काष्ठोपकरण

(18) एम्मूनियम कम्पोजिट पैनल

(19) स्वीमिंग पूल

(20) लाइट वेट टाली कार्बोनेट सीट रूफिंग कोड ढकने सहित खुले फ्रेम का फैब्रीकेशन और निर्माण

(21) डाइफ्रेम वाल

(22) ग्लास / ग्रीन हाउस (एलीमेट कंट्रोल)/स्क्रीन हाउस

(23) एंटी टरमाइट कैमिकल उपचार

(24) स्टेनलैश स्टील क्लेडिंग और स्टेनलैस रैलिंग

(25) जल उपचार प्लांट

(26) ग्लेजिंग कार्य का ढांचा

(27) फाइबर ग्लास दरवाजे

(28) कंक्रीट कार्य जैसे–

(क) कंक्रीट अस्लर मैंसनरी कार्य

(ख) कंक्रीट जाली का कार्य

(32) (ग) इटेलियन संगमरमर कार्य

(29) अस्थायी कार्यालय या आवासीय परिसर हेतु फैब्रीकेटयुक्त ढांचे और पोर्टेबल इकाई सेनेटी सामान, टायलेट

(30) आधुनिक लकड़ी के सामान, आधुनिक पीवीसी लकड़ी और किचन की केबिनेट

(31) पानी आपूर्ति हेतु उच्चता फिटिंग जेकुजी स्टीम केबिंस, कस्काडेस इत्यादि

(32) फ्लैसिंग हेतु सेंसर संचालित प्रणाली

(33) जोड के प्रयोग में आधुनिक तकनीकी हेतु कॉपर के साथ पलंबिग/पाली पापलेंस पाइप

(34) रेंचयुक्त पाईप कार्य

(35) टैक्सटर्ड फिनिसिंग कार्य

(36) केयर टेकिंग कार्य

(37) बंगले की रिक्ति हेतु सुरक्षा

(38) टेंटेंज/ कटिंग कार्य को देखना

(39) धुलाई/ सूखा साफ कार्य

(40) खेलने हेतु खेल सुविधाजनक क्षेत्र

(41) सिंगनेज

(42) स्टेनलैस स्टील पानी का टैंक

(43) बांस का कार्य

(44) पर्यावरण प्रभाव, आंकलन अध्ययन और पर्यावरण अनापत्ति

(45) कम्पेक्टर/ ऑप्टीमाइजर

(46) लकड़ी का सतह

(47) सिविल, विद्युत और औद्यानिक सेवाओं से संबंधित समेकित कार्य। सभी अनुरक्षण, विशेष मरम्मत, कार्यों का उन्नयन और यांत्रिकी आवासीय रखरखाव इत्यादि के कार्य वाह्यस्रोत से (परन्तु यह कि समेकित निविदायें सिविल, विद्युत, औद्यानिक और यांत्रिक आवासीय कार्यों के लिए आमंत्रित की जायेगी)

टिप्पणी– विभिन्न प्रकार के कार्यों जैसे अनुरक्षण, विशेष मरम्मत, सिविल, विद्युत और औद्यानिक से संबंधित उन्नयन कार्य यदि अलग से निष्पादित किये जा रहे हों, तो संबंधित शाखा द्वारा केवल पंजीकृत ठेकेदारों से निविदायें आमंत्रित कर किये जायेंगे।

(48) यांत्रिक आवासीय कार्य

(49) वार्षिक मरम्मत और अनुरक्षण कार्य तथा विशेष मरम्मत इत्यादि के कार्यों सहित अनुरक्षण हेतु दिन में वाहयस्रोत से की जायेगी।

(क) सिविल या विद्युत या औद्यानिक सेवाओं के लिए अनुरक्षण दिन प्रतिदिन की दर से वाहयस्रोत से किया जायेगा।

(ख) किसी सेवा सहित अनुरक्षण का कार्य दिन प्रतिदिन की दर से वाहयस्रोत से किया जायेगा जैसे वार्षिक मरम्मत और अनुरक्षण तथा / या सिविल या विद्युत या औद्यानिक सेवाओं सें संबंधित विशेष मरम्मत।

टिप्पणी– यद्यपि विभिन्न श्रेणी के कार्यों जैसे वार्षिक मरम्मत और अनुरक्षण और/या सिविल, विद्युत, औद्यानिक सेवाओं सें संबंधित विशेष मरम्मत। यदि यह कार्य अलग से निष्पादित किये जायं तो दिन प्रतिदिन अनुरक्षण के कार्यों को छोड़कर संबंधित शाखा द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा आमंत्रित की जायेगी।

(50) ब्रांडेड लकडी/ स्टील कास्टोप्रद

(51) स्वचालित साउण्ड प्रूफ (50 डिबी) स्लाइडिंग फोल्डिंग पाटेशन

परिशिष्ट– दो

(संदर्भ प्रस्तर 15.10)

विद्युतिकरण कार्यों के लिए विशिष्ट मद/नौकरी की सूची

निम्नलिखित की आपूर्ति/फैब्रीकेशन, संस्थापन, जांच और प्रारम्भ हेतु

(1) किचन उपस्कर

(2) सीवेज उपचार संयंत्र

(3) एसटी और एलटी स्वीच गेयर

(4) वातानुकूलित संयंत्र

(5) लिफ्ट, एस्कालेटर और वाहन

(6) साथ–साथ निर्वचन रीति

(7) गैस संयंत्र

(8) ट्रांसफार्मर

(9) डीजल संचालित सैट

(10) भारी संयंत्र मदें जैसे बुलडोजर, ट्रैकटर स्क्रेपर, रोड रोलर, लौरी, एक्सकेबेटर इत्यादि

(11) रेफ्रिजरेटर

(12) कोल्ड स्टोर संयंत्र

(13) वाटर कूलर

(14) हाट वाटर और स्टीम वालयर

(15) लोक संबोधन रीति– कान्फ्रैंस सिस्टम, स्वचालित मत अभिलेख सिस्टम, रिकार्डर

(16) स्टेज लाइटिंग

(17) प्रोजेक्टर और सिनेमा के लिए अन्य विशेष उपस्कर

(18) मापन यंत्रों और रिले इत्यादि के विभिन्न रीतियों की मरम्मत और समन्वय

(19) ट्रांसफारमर आयल और डि हाइड्रेशन तथा अन्य रीति के उच्च मापक परीक्षण

(20) रनवे लाइटिंग, टैक्सी वे लाइटिंग और एप्रोज लाइटिंग रीति सहित कंट्रोल रेगुलेटर, रीले और कंटोल पैनल

(21) उच्च स्तरीय प्रकाश की आपूर्ति और निर्माण

(22) फ्रिक्वेन्सी कन्वर्टर

(23) ट्रक चेसिस की बाडी में स्टील केबिन का फैब्रीकेशन

(24) अस्थानी इलूमिनेशन, सुरक्षा लाइटिंग, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस आयोजनों के संबंध में मैटल डिक्टेटर के लिए विद्युत की वाइरिंग और सुरक्षा लाइटिंग

(25) इपीबीएएक्स रीति (उपस्कर)

(26) इपीबीएएक्स रीति (केबिल और तार)

(27) हैरिटेज केब और फाइबर आप्टिक लाइटिंग रीति की इलुमिनेशन

(28) सुरक्षा रीति और अलार्म

(29) भवन स्वचालित रीति

(30) डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड

(31) फायर फाइटिंग उपस्कर (वैटराइजर और स्प्रिंग कलर सिस्टम सहित) फायर डिटेक्शन और अलार्म तथा अन्य कोई सहबद्ध मद। वार्षिक और दिन–प्रतिदिन आवश्यक अनुरक्षण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अग्नि सेलेण्डरों को विद्युत शाखा द्वारा ले जाया जायेगा।

(32) हाइड्रोलिक प्लेटफार्म/ लिफ्ट

(33) इनसाइनेरेटर

(34) कपड़ा धुलाई उपस्कर

(35) विद्युतिकरण के लिए विद्युत सुरक्षा मापन

(36) केन्द्रीय घड़ी रीति

(37) हेरिटेज/स्मारक भवनों/कम्प्यूटर सहायिक डिजाइन से सम्बद्ध ढांचे और ल्यूमनरीज के लिए विशिष्ट प्रबंधन की फ्लड आंतरिक/बाहय विद्युतिकरण

(38) विद्युतिकरण के लिए सुरक्षा मापन

(39) डिसएंटीना की मरम्मत और रखरखाव

(40) यूपीएस सिस्टम और सर्वो बोल्टेस स्टैबलाइजर की आपूर्ति और संस्थापन

(41) भवनों में राइजिंनमैन्स/ बस टंकिंग

(42) गैस पाइप लाईन

(43) आधुनिक आपरेशन थैयटर

(44) विद्युत संचालित गेट

(45) फाउण्टेन कार्य

(46) 100 हॉर्स पावर या उससे अधिक शक्ति के जल आपूर्ति की मोटर और पम्प

(47) तकनीकी कार पार्किंग रीति

(48) वीआरवी/ वीआरएफ रीति के वातानुकूलित सिस्टम

(49) आक्सीजन उत्पादन संयंत्र

(50) सीसीटीवी और सहायक उपस्कर

(51) पहुंच नियंत्रक सिस्टम

(52) हाइड्रो न्यूमेटिक पम्प

खण्ड 16

निविदाओं का प्रचार

16.1 व्यापक प्रचार

(1) व्यापक प्रचार सूचना आमंत्रण निविदा/प्ररूप 6 में दिया जाना चाहिए। निविदा बैबसाइट/प्रेस में विज्ञापन द्वारा और जिले के लिखित भाषा में और हिन्दी/अंग्रेजी में यथासम्भव रीति से खुले और लोक सूचना जारी की जायेंगी। सूचना की प्रति सभी खण्डों, क्षेत्रीय अधिकारियों और सर्किल अधिकारियों को भेजी जायेगी। जहां पर्याप्त मात्रा में पंजीकृत ठेकेदार न हो, के स्थान के कार्य के लिए सूचना की प्रति स्थानीय नगरपालिका, जिलाधिकारी कार्यालय और राज्य लोक निर्माण विभाग के खण्डों में भी भेजी जायेंगी।

(2) सभी कार्यो के लिए सूचनाएं उनके मूल्यांकन के विरूद्ध उत्तराखण्ड पेयजल निगम की बैबसाइट में रखी जाएगी। एनआईटी विवरण के प्रकाशित पत्र के प्ररूप में और निविदा पहचान संख्या प्ररूप वैबसाइट पृष्ठ को साक्ष्य हेतु अभिलेख में रखे जायेंगे। इस अपेक्षा के दृष्टिकोण से एनआईटी/एनआईक्यू को ठेकेदारों के संगठन को भी भेजा जा सकेगा।

(3) रूपया 60.00 लाख से अधिक मूल्य के आगणित कार्यों के संबंध में एक संक्षिप्त विज्ञापन निविदा आमंत्रण वर्गीकृत श्रेणी में प्रेस में स्पष्ट रूप से डाली जायेगी।

(4) सूचना आमंत्रण निविदा के लिए विज्ञापन प्रेस को भेजा जाना चाहिए। कभी–कभी निविदायें एक खण्ड द्वारा उसी समय पर या एक या दो दिन के संक्षिप्त अंतराल पर विभिन्न कार्यों के लिए आमंत्रित की जाती हैं ऐसे मामलों में प्रत्येक कार्य के लिए अलग से प्रेस विज्ञापन निकालने की आवश्यकता नही है और विज्ञापन पर अनावश्यक व्यय को रोकने के लिए विहित प्ररूप में एकमुश्त विज्ञापन यथासम्भव दिया जायेगा।

(5) त्वरित मामलों में एनआईटी अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी है और कारण अभिलिखित करते हुए वह निविदाओं को सीधे प्रेस में भेजने का निर्णय ले सकता है। ऐसे मामलो में समाचार–पत्र के देयकों का निस्तारण भी उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा किया जायेगा।

(6) समाचार पत्र में सम्मिलित विज्ञापन के रूप में जारी किये जाने वाले प्रेस सूचना का नमूना आलेख परिशिष्ट 11 में दिया गया है। एनआईटी के भाग में प्रेस सूचना प्ररूप का नमूना और बैबसाइट में रखने के लिए परिशिष्ट 12 दिया गया है।

16.2 प्रेस विज्ञापन में मितव्ययता:

(1) प्रेस में दिये जाने वाले विज्ञापन संक्षिप्त में किन्तु पूर्ण अर्थों में होने चाहिए। मूल्य की मितव्ययता के लिए निम्नलिखित मार्ग निर्देश ध्यान में रखे जायेंगे–

(एक) एक समय पर आंवटित किये जाने वाले सभी कार्यो के सम्मिलित निविदा सूचना जारी की जायेगी।

(दो) अधिशासी अभियंता के कार्यालयी पद और पते को अंत में पुनः नही दोहराना चाहिए।

(तीन) आगणित मूल्य, अग्रिम धनराशि अनुमत समय इत्यादि का विवरण परिशिष्ट 11 के अनुसार होना चाहिए।

(चार) शीर्षक जैसे उत्तराखण्ड सरकार, उत्तराखण्ड पेयजल निगम इत्यादि विज्ञापन के ऊपर अंकित नही किया जाना चाहिए जैसा कि अधिकारी पदनाम इन विवरणों के प्रारम्भ पर दिये रहते है।

(पांच) अधिशासी अभियंता का नाम आमंत्रित निविदा में प्रकाशित नही किया जाना चाहिए।

(2) उपर्युक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जाय और मुख्य अभियंता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन निर्देशों का अनुपालन हो रहा है और निविदाओं के आमंत्रण के संबंध में उचित मितव्ययता का प्रयोय किया जा रहा है।

(3) इन उपबंधों का आवश्यक रूप से अनुपालन किया जायेगा।

16.3 निविदाओं की प्रचार सम्बंधी दिशा निर्देशः

निविदाओं के प्रचार के संबंध में अधिशासी अभियंता द्वारा निम्नलिखित मार्ग निर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए–

(एक) विज्ञापन के जारी करने के लिए डीएबीपी को अनुरोध अग्रिम रूप में दिया जाना चाहिए जिससे के उसे प्रेस के माध्यम से जारी किये जाने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो।

(दो) खण्ड/सर्किल का अनुरोध डीएबीपी को भेजने पर उनका पूर्ण पत्र व्यवहार का पता डीएबीपी को सूचित किया जाना चाहिए।

(तीन) जिन समाचार पत्रों मे विज्ञापन दिया गया है उनमें विज्ञापन के प्रकाशन की पुष्टि की जानी चाहिए।

(चार) प्रत्येक मामले में समाचार पत्र की कटिंग जमा करनी चाहिए और वास्तव में प्रचार किया गया है कि पुष्टि यथासम्भव अभिलेखों में रखी जानी चाहिए।

(पांच) तारीख का पूर्ण विवरण जिसमें अखबार में विज्ञापन वास्तविक रूप से प्रकाशित हुआ है, उच्च अधिकारियों को माामला भेजते समय इंगित किया जायेगा।

16.4 प्रधान लिपिक के कर्तव्यः

जारी किये जाने वाले खण्ड के प्रधान लिपिक का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि सभी एनआईटी (प्ररूप 6) एनआईटी के जमा की तारीख से खण्ड के सूचना पट्ट में निविदा खोलने की

तारीख अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए उसे प्रत्येक एनआईटी के कार्यालय प्रति पर प्रभाव को प्रमाण पत्र के रूप में अभिलिखित किया जाना चाहिए। अधिशासी अभियंता को ऐसे प्रमाण पत्र की समय–समय पर जांच की जानी चाहिए। सर्किल कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय से निरीक्षण अधिकारियों को सूचनाओं के प्रदर्शन के लिए सूचना पट्ट तथा प्रधान लिपिक के इस प्रमाण पत्र हेतु एनआईटी की कार्यालय प्रति की भी जांच करनी होगी।

16.5 निविदाओं के प्रचार हेतु समय सीमाः

सामान्यतः निविदा प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम समय निविदा सूचना के प्रकाशन की तिथि से अथवा निविदा दस्तावेजों की बिक्री के लिए उपलब्ध होने की तिथि से दो सप्ताह, इनमें जो भी बाद में हो, दिया जाए। यदि विभाग विदेशों से भी निविदाएं प्राप्त करने की अपेक्षा करता है तो देशी और विदेशी दोनों निविदाओं के लिए न्यूनतम अवधि तीन सप्ताह होगी।

16.6 निविदाओं के समुचित प्रचार के लिए प्रक्रियाः

प्रभागीय कार्यालय द्वारा निविदाओं की समुचित प्रचार के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी–

(1) सभी एनआईटी (प्ररूप 6) चाहे उसे उपखण्ड या खण्ड द्वारा जारी किया जाय, प्ररूप में (एक्स की वाई)क्रम संख्या दी जायेगी जिसमें एक्स विशिष्ट वित्तीय वर्ष ,में जारी एनआईटी की क्रम संख्या होगी वही वाई वित्तीय वर्ष को इंगित करेगा। खण्ड और स्थान के लिए संक्षिप्त में जोडा जायेगा। यह खण्ड 14 में परिशिष्ट के अधीन उदाहरण के रूप में दिया गया है। एनआईटी समुचित क्रम संख्या के बिना सूचना पटट या बैबसाइट/प्रेस में कोई प्रचार नही करेगी। क्रमांक संख्या एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी के स्तर से भिन्न नियमित रूप से होंगे जैसे सहायक अभियंता से मुख्य अभियंता तक।

(2) सहायक अभियंता सम्भावित एनआईटी (अपनी शक्ति के अधीन जारी किया जायेगा) के विवरण द्वि प्रति में लिखित में अधिशासी अभियंता को सूचित करेगा। सूचना के प्राप्त होने पर पंजी में उपलब्ध पहली क्रम संख्या एनआईटी को दी जायेगी। पंजी में विवरण अंकित कर और सूचना की द्वितीय प्रति अधिशासी अभियंता के हस्ताक्षर से उस पर अंकित एनआईटी की क्रम संख्या के साथ उपखण्ड को वापस की जायेगी। जिन मामलों में अधिशासी अभियंता यह निश्चित करे कि विशेष एनआईटी को जारी नही किया जाना है तो उसे कोई क्रम संख्या नही दी जायेगी।

(3) आवरण पृष्ठ पर अन्य विवरणों के साथ एनआईटी का क्रम संख्या दर्शाते हुए ठेकेदार अनुबंध करार किया जायेगा। ठेकेदार को प्रथम देयक के भुगतान करने से पूर्व प्रभागीय लेखाकार द्वारा प्रभागीय कार्यालय में इसे जांचा और पुष्टि की जायेगी।

(4) रू0 60 लाख रूपये तक के लागत के आगणित कार्यों के मामले में प्रेस में विज्ञापन नही दिया जायेगा किन्तु जारी उपखण्ड, खण्ड के सूचना पट्ट तथा उस स्थान में स्थापित खण्ड के अन्य सभी उपखण्डों पर आवश्यक रूप से प्रदर्शित की जायेगी।

(5) एनआईटी पंजी का कार्यदिवशों पर निश्चित समय के दौरान ठेकेदारों को दिखाये जाने तथा उच्चतर अधिकारियों को उनके निरीक्षण के दौरान जांच हेतु भी उपलब्ध करायी जायेगी।

16.7 निविदाओं की न्यून प्रतिक्रिया के मामले में कार्रवाईः

यदि समुचित वर्ग के ठेकेदारों से निविदाओं में न्यून प्रतिक्रिया रहती है या बिना किसी कारण से उच्च दर प्राप्त होते हैं तो निविदा स्वीकृति की शक्ति प्राप्त अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये जा सकते हैं किन्तु इस हेतु अगले उच्च प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन लिया जायेगा–

(क) उत्तराखण्ड राज्य के अलावा रेलवे, एमईएस, संचार विभाग और राज्य लोक निर्माण विभाग सहित किसी विभाग या उपक्रम में पंजीकृत ठेकेदारों सहित अगले निम्न वर्ग को खुली निविदा के माध्यम से समुचित वर्ग और /या

(ख) एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी अर्हता प्रक्रिया को तद्नुसार उपांतरित कर सकेगी।

(ग) उपर्युक्त विकल्पों के अतिरिक्त न्यून प्रतिक्रिया के मामले में परिस्थितिवश कार्य का निष्पादन कार्य निर्देशिका के पैरा 14.2.2 एवं 14.3 के अनुसार किया जायेगा।

16.8 निविदाओं को पुनःआमंत्रण के लिए औपचारिकताएंः

निविदाओं के पुनः आमंत्रण के मामले में उपर्युक्त प्रस्तरों में उल्लिखित सभी औपचारिकताओं को ध्यान में रखा जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण जब किसी मामले में निविदाओं की बिक्री के लिए तारीख और समय में विस्तार करने की अपेक्षा हो तो उसके लिए एक समुचित सूचना, सूचना पटट पर रखी जायेगी और उसे बैबसाइट में प्रकाशित भी किया जाना चाहिए।

16.9 सभी सूचना अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पेयजल निगम के नाम से होगीः

सभी सूचनाएं अध्यक्ष के नाम से आमंत्रित की जायेंगी। इसलिए समाचार पत्रों और या बैबसाइट में प्रचार के लिए भेजे जाने वाले सभी प्रेस सूचनाओं में ''अध्यक्ष के लिए और उनकी ओर से'' यह आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जायेगा।

खण्ड 17

निविदा दस्तावेजों का विक्रय

17.1 सामान्य

(1) प्रेस में या सूचना पट्ट पर नोटिस (एनआईटी) वास्तव में भेजे जाने से पूर्व निविदा दस्तावेजों को उत्तराखण्ड पेयजल निगम की वैबसाइट पर तैयार और अंकित किया जायेगा।

(2) निविदा दस्तावेजों को नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया की अर्हता पूर्ण करने वाले और प्रभागीय लेखाकार या अधीक्षण अभियंता या अधिशासी अभियंता या सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता, जिनके क्षेत्र में कार्य निष्पादित किया जा रहा है, के निकटतम रिश्तेदार न हों, ऐसे ठेकेदारों को ही विक्रय किये जायेंगे।

टिप्पणी : एक नजदीकी रिश्तेदार, पत्नी, पति, माता–पिता, सास–ससुर, बच्चों, भाई, बहन, चाचा, चाची और चचेरे भाई–बहन, भी सम्मिलित है।

(3) कोई निविदा प्ररूप या तो विक्रय के लिए या कार्यालय उपयोग के लिए प्रभागीय अधिकारी या उप प्रभागीय अधिकारी जैसी स्थिति हो, के हस्ताक्षर से जारी किये जाते है।

(4) वैबसाइट में निविदा की सूचना के अंकन के लिए प्रस्तर 16.1 देखा जाना चाहिए।

17.2 पंजीकृत ठेकेदारों को निविदा दस्तावेजों की बिक्री (सामान्य कार्यों के लिए):

17.2.1 निविदायें निविदा दस्तावेज में निर्धारित मापदंड पूरा करने वाले पंजीकृत और पात्र ठेकेदार को ब्रिकी की जायेगी।

17.2.2 दागी अभिलेख वाले ठेकेदारों को निविदाओं की बिक्री :

यदि संबंधित अधिशासी अभियंता को किसी ठेकेदार के विरूद्ध या तो विभाग से या किसी अन्य विभाग से सूचीबद्ध किये जाने की प्रतिकूल सूचना प्राप्त होती है तो वह ऐसी रिपोर्ट के आधार पर उस ठेकेदार को निविदाओं को जारी करने के लिए रोक लगानी चाहिए। यद्यपि अधिशासी अभियंता अभिलेखों की सूचना के लिए अपने अधीक्षण अभियंता को अवगत कराना चाहिए और उसके द्वारा की गयी कार्रवाई या प्रस्ताव का अनुमोदन लिया जाना चाहिए।

17.2.3 निविदा सीमा जहां सामग्री जारी किये जाने हेतु निर्धारित है:

सीमा को निश्चित किये जाने के लिए जिस हेतु कोई ठेकेदार निविदा के लिए अर्ह है, सामग्री का मूल्य चाहे निःशुल्क या भुगतान पर जारी किया जाना प्रस्तावित हो, तो निविदा में दिये गये कार्य के आंगणित मूल्य से नही घटाया जायेगा।

17.3 अवशिष्ट कार्यों के लिए निविदा दस्तावेजों की बिक्री:

(1) जब संविदा प्ररूप 7 या 8 के खण्ड 3 या 14 के अधीन मूल ठेकेदार के हाथों से अनिष्पादित कार्य को वापस लिया जाता है तो अवशिष्ट कार्य के लिए यदि इसे मांगा जाता है तो निविदा दस्तावेजों को मूल ठेकेदार को नही बेचा जायेगा।

(2) अवशिष्ट कार्य हेतु एनआईटी विखंडित संविदा के मामले में प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जायेगी जो एनआईटी मूल द्वारा अनुमोदित हो। यद्यपि निविदा प्रतिनिधानित वित्तीय शक्तियों के अनुसार निविदा को स्वीकार करने की जिसके पास शक्ति है, उस प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किये जायंगे।

(3) कार्य आंवटन के पश्चात प्रारम्भ न करने या स्वीकार करने के पश्चात् निविदा को प्रत्याहरित करने के मामले में पुनर्आमंत्रण पर उसी कार्य के लिए उसे निविदा जारी नही की जायेगी।

17.4 निविदा दस्तावेजों के विक्रय और निविदाओं को खोलने के मध्य विश्राम समय:

कोई निविदा प्ररूप जिसे या तो विक्रय के लिए या कार्यालय प्रयोग के लिए जारी किया गया है, को यथास्थिति प्रभागीय अधिकारी या उपप्रभागीय अधिकारी के हस्ताक्षरों से जारी किया जाना चाहिए। इस कम में ठेकेदार को निविदा दस्तावेजों और कार्य किये जाने हेतु समुचित दर के अध्ययन के लिए पर्याप्त समय दिये जाने हेतु निम्नलिखित समय अनुसूची अनुसार निविदा पत्रों का विक्रय किया जायेगा।

17.5 निविदा दस्तावेजों के लिए अधिभार की मात्रा:

(1) ठेकेदार को निविदा प्रपत्रों की बिक्री के लिए अधिभार की मात्रा निम्नवत होगी–

(क) रूपया एक लाख तक के मूल्य के कार्य– रूपया 150;

(ख) रूपया एक लाख और रूपया 50 लाख के मध्य तक के मूल्य का कार्य –रूपया 500;

(ग) रूपया 50 लाख और रूपया दो करोड़ के मध्य तक के मूल्य का कार्य –रूपया 1000;

(घ) रूपया दो करोड से ऊपर मूल्य के कार्य –रूपया 2000;

(2) एनआईटी अनुमोदन के सक्षम प्राधिकारी उसकी तैयारी में वास्तविक सम्बद्ध श्रमिकों पर निविदा दस्तावेजों के आधार सहित आपूर्ति किये जाने वाले आरेखण के किसी अतिरिक्त मूल्य में ऊपर उल्लिखित कीमतों को जाड़ने की अधिकारिता होगी।

17.6 निविदा दस्तावेजों की लेखा:

(1) लेखा दस्तावेजों के लेखे के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अधिकथित की गयी है–

(क) सभी लेखा कागजातों में मूल्य और दस्तावेज पर मूल्य अंकित होना चाहिए;

(ख) सभी निविदा दस्तावेज प्रभागीय कार्यालय में खजांची तथा उप प्रभागीय कार्यालय में उपप्रभागीय कलर्क के प्रभार में रखी जानी चाहिए;

(ग) खजांची/उप प्रभागीय कलर्क द्वारा प्राप्त सभी निविदा दस्तावेज, दस्तावेजों को पंजिका में प्रविष्ट करना चाहिए;

(घ) पंजिका में निविदा दस्तावेजों के जारी करने के क्रमवार अभिलेख, व्यक्ति का नाम जिसे जारी किये गये है, जारी प्ररूपों की संख्या और प्राप्त धनराशि अंकित की जानी चाहिए;

(ड.) निविदा दस्तावेजों के बिक्री के पंजिका को सहायक कैश पुस्तिका के रूप में मानी जानी चाहिए और इसके पृष्ठ मशीन से क्रमांकित होने चाहिए;

(च) निविदा दस्तावेजों की बिक्री के खाते पर खजांची या उप प्रभागीय कलर्क द्वारा प्राप्त धन एकमुश्त रूप में प्रभागीय या उपप्रभागीय नियमित कैश पुस्तिका में प्रविष्ट किया जाना चाहिए। यह दैनिक योग निविदा दस्तावेजों की बिक्री की पंजिका में विस्तृत अभिलेख के साथ दैनिक योग रखा जाना चाहिए।

(छ) प्रत्येक माह की 25वीं तारीख को संबंधित खजांची या उपप्रभागीय कलर्क स्टॉक में निविदा दस्तावेजों के अवशेष, बेचे गये दस्तावेजों की संख्या और वसूल किया गयी नगद राशि की धनराशि अवशेष अवगत कराते हुए पंजिका को बंद किया जायेगा। उसे अवशेष दस्तावेजों की भी गिनती करनी चाहिए। तत्पश्चात् संबंधित प्रभागीय या उपप्रभागीय अधिकारी द्वारा निविदा दस्तावेजों और पंजी में की गई प्रविष्टियों की जांच और सत्यापन किया जायेगा।

(ज) अवशेष/प्रयुक्त नही किये गये निविदा दस्तावेजों को निविदाओं की स्वीकारोप्ति के एक माह के पश्चात नष्ट कर दिया जायेगा।

(2) प्रस्तुत किये गये झूठे और नकली निविदाओं की सम्भावनाओं को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि बिक्री किये गये निविदा दस्तावेज ठेकेदार ने वैयक्तिक रूप से और उसकी प्राप्ति स्वीकार कर ली है या उसे निविदा दस्तावेजों को व्यवहृत करने वाले निविदा दस्तावेजों के पंजी में उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है। जहां निविदा दस्तावेजों को डाक से भेजा जाय, वहां इसे पंजीकृत ईडी पोस्ट/स्पीड पोस्ट द्वारा निर्गमित किया जायेगा।

17.7 प्रभागीय लेखाकार के उत्तरदायित्वः

(एक) यह देखना कि निविदादाओं को जारी सभी प्रपत्र चाहे प्रकाशित या अन्यथा स्पष्ट, पढने योग्य तथा संकारहित हो। प्ररूप 7 के अतिरिक्त निविदा दस्तावेजों की मात्रा संलग्न करने की अनुसूची धनराशि के स्तम्भ दर के पश्चात् धनराशि के लिए स्तम्भ में विवरण होना चाहिए।

(दो) सुनिश्चित हेतु प्रेस सूचना में अंतःस्थापन के रूप में निविदाओं के जारी करने के लिए अर्ह प्रक्रिया पर जो संतुष्ट हो, केवल ऐसे ठेकेदारों को निविदाएं जारी की जायेंगी। अर्ह प्रक्रिया को दृष्टिगत् रखते हुए निविदाओं के जारी करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की समुचित सवींक्षा की जायेगी और तत्पश्चात् उसे निर्णय के लिए अधिशासी अभियंता को भेजा जायेंगा।

खण्ड 18:
अग्रिम धनराशि

18.1 अग्रिम धनराशि की आवश्यकता:

उत्तराखण्ड पेयजल निगम में व्यवहार के अनुसरण में प्रत्येक निविदादाता द्वारा अग्रिम धनराशि भुगतान की जाती है, जिससे सरकार यह सुनिश्चित कर लेती है कि कोई निविदादाता उसकी निविदा के स्वीकार करने से पूर्व वापस नही करेगा या उसे कार्य आंवटित कर दिये जाने पश्चात् उससे निष्पादन के लिए मना नही करेगा।

18.2 कब जमा की जायेगी :

अग्रिम धनराशि कार्य के लिए उनकी निविदा दस्तावेजों के साथ प्रस्तर 18.4 में स्वीकार्य विहित प्ररूप के आशायित निविदादाताओं द्वारा जमा की जायेगी और इस प्रकार एनआईटी में निश्चित की जायेगी।

18.3. अग्रिम राशि की दरें:

अग्रिम राशि की धनराशि जिसे किसी ठेकेदार ने निविदा के साथ जमा किया गया है, निम्नलिखित मात्राओं द्वारा विनियमित किया जाता है। यदि किसी मामले मे छोटे कार्यों का मूल्य पांच हजार रूपया या उससे कम है तो अधिशासी अभियंता अपने विवेक से अग्रिम धनराशि के आमंत्रण के लिए शर्तों को सिथिल कर सकता है –

(एक) रूपया 25 करोड़ तक मूल्य के आगणित कार्यो के लिए –आगणित मूल्य का 2 प्रतिशत (दो प्रतिशत);

(दो) रूपया 25 करोड से अधिक मूल्य के आगणित कार्यों के लिए –25 करोड से अधिक की आगणित राशि के एक प्रतिशत तथा रूपया 50 लाख।

18.4. जमा करने की विधि:

(1) अग्रिम धनराशि केवल निम्नवत प्ररूपों द्वारा स्वीकार की जायेगी–

(एक) रूपये 10,000 तक नकद; अथवा

(दो) किसी अनुसूचित बैंक का डिमांड डाफ्ट;

(तीन) किसी अनुसूचित बैंक की सावधि जमा रसीद;

(2) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सावधि जमा रसीद निविदा आमत्रित करने वाले प्राधिकारी के पक्ष में है। यह निविदादाता के स्वयं के हित में है कि सावधि जमा रसीद को जब तक इसकी अपेक्षा हो, वैद्य रखी जाय। विभाग के लिए यह आवश्यक नही होगा कि वह निविदादाता को सावधि जमा रसीद को बैद्य रखने के लिए दबाब दे। वह सावधि जमा रसीद की धनराशि प्राप्त कर सकता है जब उसे निविदा आमंत्रण प्राधिकारी द्वारा वापस सौंप दिया गया हो।

(3) यदि निविदा की अंतिम तारीख पर बैंक बंद हो तो तारीख को समुचित रूप से बदल दिया जायेगा।

18.5. अग्रिम राशि की वापसीः

(1) सभी निविदादाताओं द्वारा दी गयी अग्रिम राशि न्यूनतम निविदादाता को छोड़कर निविदाओं के खोलने के पश्चात तुरन्त या निविदाओं की प्राप्ति के तारीख से अधिकतम एक सप्ताह के भीतर वापस कर दी जानी चाहिए। अग्रिम धनराशि के रूप में प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट की प्राप्ति निविदा खोलने की पंजिका में निविदाओं से साथ की जानी चाहिए और निम्न्तम निविदादाता को छोड़कर शेष को बैंक में जमा करने की आवश्यकता नही होगी।

(2) अधिशासी अभियंता निविदा खोलने वाली पंजिका का समय–समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए पुनर्विलोकन करेगा कि अग्रिम धनराशि को समय पर प्रत्यावर्तित किया गया है। यदि निविदादाता उनके वापसी के लिए नही आया है तो विहित अवधि के समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर पंजीकृत डाक से उन्हें डिमांड ड्राफ्ट उन्हें भुगतान आदेश द्वारा उन्हें भेज दिया जाना चाहिए। प्रभागीय लेखाकार का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि अग्रिम धनराशि उपर्युक्त विहित अवधि में असफल निविदादाताओं को वापस कर दी गयी है।

(3) मूल जमा प्राप्ति पर विभागीय अधिकारी (जिसके पक्ष में जमा किया था) द्वारा संबोद्धित किसी आदेश की प्राधिकारी के अधीन जमा अग्रिम धनराशि वापस की जा सकेगी। किसी भी परिस्थितियों में अंश भुगतान नही किया जायेगा।

(4) यदि विभागीय अधिकारी यह चाहता है कि जमा अग्रिम धनराशि के मद को वापस करने के स्थान पर उत्तराखण्ड पेयजल निगम के जमा को आगे बढाया जाय तो उसे जमा प्राप्ति पर वास्तविक अभिलेख और उसके मूल अभिलेख दिखाने होंगे और लेखाधिकारी से यह अनुरोध करना होगा कि फलतः लेखों में आवश्यक समायोजन कर लिया जाय।

18.6. अग्रिम धनराशि जमा प्रतिभू नही हैः

अग्रिम धनराशि जिसे संविदा के लिए निविदा के जारी करने हेतु उसके आवेदन के साथ उपलब्ध करने के पश्चात किसी संविदा हेतु बचत खाता नियमों के नियम 45 अर्थान्वयन में जमा धनराशि जमा प्रतिभू नही है। इसलिए कोई लेखा डाकघर बचत बैंक में ऐसे अग्रिम धनराशि के जमा करने के लिए नही खोला जा सकेगा।

18.7. कोटेशनों के आमंत्रण के पश्चात आवंटित किये जाने वाले कार्य/आपूर्ति में अवधारित अग्रिम धनराशिः

जहां मामले में कोटेशन के आधार पर कार्य/आपूर्ति आवंटित किया गया है और सूचना आमंत्रण कोटेशन में अग्रिम धनराशि जमा करने के लिए कोई शर्त अधिकथित की गयी है तो सूचना आमंत्रण कोटेशन में निम्नलिखित शर्त अवधारित की जायेगी–

" कार्य/आपूर्ति के लिए कोटेशन, कोटेशन की खोलने की तारीख से–––––––––– दिनों की किसी अवधि के लिए खुला रहेगा। उत्तराखण्ड पेयजल निगम किसी अन्य अधिकारों या उपचार की व्यापकता

पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि कोई कोटेशन दाता तारीख से पूर्व अपने कोटेशन को प्रत्याहरित करता है या कोटेशन की किन्हीं शर्तो या निबन्धनों में कोई उपांतरण करता है जो विभाग को स्वीकार्य नही है, की 50 प्रतिशत अग्रिम जमा धनराशि जब्त किये जाने की छूट होगी और यदि कोटेशनदाता जिसका कोटेशन स्वीकार किया गया है, एनआईक्यू (क्षेत्र में किसी बदलाव सहित, यदि कोई हो) में विहित कार्य और आपूर्ति को विहित समय में प्रारम्भ करने में असफल हो जाता है या उसके पूर्ण होने से पूर्व कार्य/आपूर्ति को छोड़ देता है तो अग्रिम जमा की सम्पूर्ण धनराशि जब्त की जा सकेगी।

18.8. अग्रिम धनराशि का समपहरण :

(1) यदि कोई निविदादाता वैद्यता अवधि की समाप्ति से पूर्व या स्वीकरोक्ति पत्र के जारी होने से पूर्व जो भी पहले हो या निविदा की शर्तों और निबंधनों में कोई उपांतरण करता है जो कि विभाग को स्वीकार्य नही है, अपनी निविदा का प्रत्याहरण करता है तो सरकार किसी अन्य अधिकार या उपचार पर व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनन्य अन्तिम जमा धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि जब्त करने को स्वतंत्रता होगी। यह उपबंध स्वभावतः केवल न्यूनतम निविदादाता पर लागू होगी क्योंकि प्रस्तर 18.5 (1) के उपबंधों के अनुसार सभी निविदादाताओं न्यूनतम निविदादात को छोड़कर अग्रिम धनराशि वापस कर दी जाती है।

(2) यदि ठेकेदार विहित अवधि के भीतर विहित दक्षता प्रत्याभू को उपलब्ध कराने में असफल हो जाता है तो अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि बिना किसी सूचना के स्वयंमेव उत्तराखण्ड पेयजल निगम में अनन्य रूप से जब्त हो जायेगी।

(3) यदि किसी मामले में कोई ठेकेदार आवंटित पत्र कार्य के प्रारम्भ के लिए प्रभारी अभियंता द्वारा जारी किये जाने वाले लिखित आदेश की तारीख के पश्चात उसमें उल्लिखित 15 दिनों या ऐसी समय अवधि या स्थल को हस्तगत किये जाने वाली तारीख जो भी बाद में हो, पर निविदा दस्तावेजों में विहित कार्य को प्रारम्भ करने में असफल हो जाता है तो किन्ही अन्य अधिकारों या उपचार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनन्य अग्रिम जमा की सम्पूर्ण धनराशि को जब्त किया जा सकेगा।

(4) यदि कार्य का केवल कोई भाग आवंटित निविदा में दर्शाया गया हो और ठेकेदार कार्य प्रारम्भ नही करता है तो ऐसे आवंटित कार्य के आगणित मूल्य को संदर्भण के साथ अनुपातिक दृष्टिकोण से सरकार द्वारा अग्रिम जमा धनराशि को जब्त किया जा सकेगा।

(5) यदि अग्रिम धनराशि जैसा ऊपर (1) से (4) में विहित किया गया है, को जब्त करने के मामले में निविदादाता को कार्य की प्रक्रिया के कारण पुनःनिविदा में प्रतिभाग करने के लिए अनुमति नही देगा।

खण्ड 19

निविदाओं को खोलना और स्वीकृति

मूल निविदा अभिलेखों में परिवर्तन की सम्भावना को रोकने के दृष्टिकोण से निविदाओं को प्राप्त करने और खोलने तथा उनको स्वीकार करने के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी–

19.1. निविदाओं की प्राप्तिः

(1) अधिशासी अभियंता और उनसे उच्च अधिकारियों की शक्ति में सभी संविदायें प्रभागीय कार्यालय में प्राप्त की जायेगी। सहायक अभियंता की शक्ति की निविदायें उपखण्ड में प्राप्त किये जायंगे।

(2) अग्रिम धनराशि के जमा करने के संबंध में इस संग्रह के प्रस्तर 18.2 को देखा जाना चाहिए।

19.1.1. निविदाओं के खोलने के साक्षीः

(1) सभी निविदायें ऐसे प्रत्याशी निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोले जायेंगे जैसे विज्ञापन में समय और स्थान पर उपस्थित होने के लिए चुना गया हो। निविदायें प्ररूप सीपीडब्लूडी 41 के अनुसार पंजी में अंकित होनी चाहिए।

(2) प्रभागीय लेखाकार (उपखण्ड में उपप्रभागीय लिपिक) को निविदाओं के खोलने के समय पर उपस्थिति रहने के लिए उत्साहित करना चाहिए। निविदादाता निविदाओं के खोलने के समय पर उपस्थित रहने के लिए स्वयं भी उत्साहित होने चाहिए।

(3) निविदायें जो कि अनुमन्य तारीख और समय के पश्चात् प्राप्त होंगी, किसी भी रूप भी विचारार्थ नही लिये जायंगे, वे न तो खोले जायेंगे और न ही निविदा खोलने की पंजिका में अंकित किये जायेंगे।

(4) जब कोई निविदादाता हिन्दी लिपि में उनकी निविदाओं को हस्ताक्षरित करें या केवल अपना नाम अंग्रेजी में लिखे। निविदा का मूल्य या उसके द्वारा प्रस्तावित उच्च या निम्न प्रतिशत की दर भारतीय लिपि में निविदादाता द्वारा स्वहस्त लिखित रूप में लिखित होनी चाहिए और अनपढ निविदादाता के मामले में किसी एक साक्षी के सत्यापन से होने चाहिए।

(5) प्रतिशत और एकमुश्त निविदा यथासम्भव निविदादाताओं के साथ पढा जाना चाहिए। दर निविदा मद के मामले में विभिन्न निविदादाताओं द्वारा दिये गये कार्य के कुल मूल्य को भी विद्यमान निविदादाता द्वारा यदि अपेक्षित हो, पढा जा सकेगा।

19.1.2. सुधार आदि के व्यवहरण के लिए प्रक्रियाः

(1) निविदाओं को खोलने वाला अधिकारी सभी शुद्धियों, कटिंग, शर्तों, जोड़ने और ऊपर लिखित तथा उनकी संख्याओं को गोले में रखेगा और उसमें लाल स्याही से सत्यापित करेगा।

(2) यदि किसी एक मद के दर में शुद्धि के किसी संख्या के मामले में या तो शब्दों में या अंकों में या दोनों में क्रम से शुद्धियों को इंगित करना चाहिए अर्थात किसी मामले में किसी एक मद के दरों में तीन शुद्धियां हो तो प्रत्येक शुद्धि में स्वतंत्र संख्या क्रम सहित अंकित होनी चाहिए और इन सभी तीन शुद्धियों को एक संख्या से प्रतिनिधित्व नही करना चाहिए।

(3) ऐसी शुद्धियों, कटिंग, विस्तार, शर्त और ऊपर लिखित की संख्या निविदा अभिलेख के साथ संलग्न अनुसूची में प्रत्येक संबंधित पृष्ठ के अंत पर स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए और ये तारीख सहित समुचित रूप से प्रमाणित होनी चाहिए। देयक की मात्रा के प्रत्येक संबंधित पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक चूक को लाया जाना चाहिए।

(4) शुद्धियों, कटिंग, शर्तो, विस्तार और ऊपर लिखित इत्यादि को अलग संख्या दी जानी चाहिए अर्थात शुद्धियां 1,2,3 इत्यादि से प्रारम्भ करना चाहिए और इसी प्रकार ऊपर लिखित अलग से 1,2,3 इत्यादि से प्रारम्भ करना चाहिए।

(5) निविदा अभिलेखों में कही भी शुद्धिकरण स्याही का प्रयोग करने की अनुमति नही होनी चाहिए। यदि किसी मामले में शुद्धिकरण स्याही का प्रयोग संज्ञान में आता है तो ऐसी निविदा अस्वीकार करने योग्य होगी।

19.1.3. चूक के व्यवहरण के लिए प्रक्रियाः

(1) निविदादाताओं द्वारा अंकित दरों में किसी प्रकार की विसंगति या अंकों में या शब्दों में संबंधित निविदा अभिलेख के साथ संलग्न देयक की मात्रा में प्रत्येक संबंधित पृष्ठ में स्पष्ट रूप से इंगित होनी चाहिए।

(2) जहां ठेकेदार द्वारा रूपयों में दर अंकित की गयी हो और कोई पैसा उल्लिखित न हो तो रूपये के पश्चात स्पष्ट रूप से केवल शब्द का प्रयोग होना चाहिए और अंत में समुचित टिप्पणी के साथ हस्ताक्षर और तारीख अंकित किये जाने चाहिए।

(3) जहां ठेकेदार या तो अंको या शब्दों या दोनों में जैसा लागू हो दर/धनराशि को अंकित करके छोड देता है तो निविदा करने वाला अधिकारी अनुसूची या देयक की मात्रा के प्रत्येक पृष्ठ पर चूक को अभिलिखित करना चाहिए।

(4) प्रभागीय /उपप्रभागीय अधिकारी द्वारा यह देखा जाना चाहिए कि दरों में छेडछाड के अवसरों को रोकने के लिए पैसे सहित शब्दों में सभी दरों को अंकित कर दिया गया है और यदि ठेकेदार ऐसा करने में असफल है तो अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता निविदा के खोलने के समय पर शब्दों में दर स्वयं अभिलिखित करनी चाहिए।

(5) निविदादाताओं से यह अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे निविदाओं को समुचित रूप से और सावधानीपूर्वक पूर्ण करें, उन्हें निरर्थक दरों को अंकित करने और निविदा में बहुत अधिक अशुद्धियों को करने से रोकना चाहिए। यदि कोई ठेकेदार इन निर्देशों का अनुसरण नही करता है और सावधानीपूर्वक निविदाओं को नही भरता है तो इसके खोलते समय ठेकेदार के विरूद्ध विभाग अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकेगा।

19.2. निविदाओं की संवीक्षा

(1) उपर्युक्त उल्लिखित निविदाओं को खोलने के पश्चात और प्रस्तर 19.2.2 (1) (i) में दिये गये अभिलेख को ध्यान में रखते हुए तथा तुलनात्मक विवरण तैयार करते समय अधिशासी अभियंता इसे अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता (यथा संबंधित निविदा स्वीकार करने वाला प्राधिकारी) के कार्यालय में भेजेगा और स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के कार्यालय में विस्तृत संवीक्षा की जायेगी।

क्षेत्र/कार्य के क्षेत्र में तैयारी के लिए अपेक्षित बाजार दर में यदि कोई न्यायगत और विशेष कठिनाईयों/शर्तें हों तो इसे अधिशासी अभियंता को भेजा जायेगा।

(2) यदि निविदायें प्रबंध निदेशक/निविदा समिति की शक्ति के भीतर हों तो सम्पूर्ण सवींक्षा संबंधित मुख्य अभियंता के कार्यालय में की जायेगी।

19.2.1. तुलनात्मक विवरण की तैयारी/जांचः

(1) तुलनात्मक विवरण की तैयारीः– सूचना आमंत्रित निविदाओं के उत्तर में प्राप्त सभी निविदाओं के पूर्ण तुलनात्मक विवरण यूपीजेएन प्ररूप संख्या 13 या 14 जैसी स्थिति हो, में अधिशासी अभियंता के कार्यालय में तैयार किया जाना चाहिए और निम्नलिखित निर्देशों का सावधानीपूर्वक ध्यान रखना चाहिए–

(एक) निविदा खोलने वाला अधिकारी स्वयं अपने हाथों से प्राप्त निविदाओं का प्रतिशत या एकमुश्त का विवरण निविदा खोलने वाली पंजी में अंकित करेगा और उस विवरण में हस्ताक्षर करना चाहिए। निविदा दर मद के मामले में उसे केवल प्राप्त निविदाओं की सूची तैयार करने की आवश्यकता है।

(दो) अंकगणितीय और अन्य त्रुटियों के विरूद्ध सुरक्षा से निविदाओं के तुलनात्मक विवरण को तैयार करने और सवींक्षा में सावधानी वर्तनी चाहिए। इसमें असफल होने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को आवंटित किये जाने वाले कार्य में जो कि न्यूनतम स्वीकार्य निविदादाता नही है, कोई आकस्मिकता स्वीकार नही की जायेगी।

(2) निविदा और तुलनात्मक विवरण की समुचित जांच के लिए विस्तृत व्यवस्था निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के ऊपर छोड दी जानी चाहिए, किन्तु ऐसा कोई प्रबंध उपलब्ध किया जाना चाहिए–

(एक) कि कार्य मुख्य अभियंता के कार्यालय /अधीक्षण अभियंता के कार्यालय और प्रभागीय कार्यालय में प्रभागीय लेखाकार तथा उपप्रभागीय कार्यालय में उपखण्ड लिपिक द्वारा इस प्रयोजन के लिए पदाविहित किसी अधिकारी के नियंत्रण के अधीन किया जाना चाहिए।

प्रभागीय लेखाकार के कर्तव्य और दायित्व आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित किये गये हैं, को ऊपर लिखित अधिकारियों के कर्तव्य जिनके अधीन निविदाओं की संवीक्षा का नियंत्रण किया जायेगा, समझे जायंगे। निविदा का शासकीय व्यवहरण केवल शाखा में किया जाना चाहिए और किसी मामले में शाखा से बाहर निविदायें नही ली जायेंगी। निविदायें और उससे संबंधित पत्र अधिकारी द्वारा कार्यालय छोड़ने से पूर्व ताले और चाबी में रखी जायेंगी।

(दो) कि अधिकारी द्वारा आगणन के सभी पत्रों में हस्ताक्षर व तिथि अंकित कर दिये गये है जिन्हें उसके द्वारा जांचा गया है और कार्य पत्र में संरक्षित किया गया है।

(तीन) कि प्रस्तर 19.2.1 (2) (i) में उल्लिखित संबंधित अधिकारी या प्रभागीय लेखाकार उपलब्ध निविदाओं की जांच के लिए संतोषजनक और पर्याप्त व्यवस्था की है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से निविदाओं को जांचने और परखने का परीक्षण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कार्य समुचित रूप से कर लिया गया है। उन्हें यह भी देखा जाना चाहिए कि व्यक्तिगत निविदाओं में जांचा गया योग का तुलनात्मक विवरण सही है। प्रस्तर 19.2.2 में उल्लिखित मामले में दायित्व प्रभागीय लेखाकार के पूर्ण विवरण में होगा।

(चार) दरों में भिन्नता के व्यवहरण के लिए प्रक्रिया–

कि यदि जांच करने में ठेकेदार द्वारा शब्दों और अंको में या उसके द्वारा दिये गये धनराशि में कोई भिन्नता हो तो निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा–

(क) जब दरों के मध्य अंको और शब्दों में ठेकेदार द्वारा अंतर किया गया हो तो कार्य के लिए दी गयी धनराशि को सही माना जायेगा।

(ख) जब किसी मद की धनराशि के लिए ठेकेदार द्वारा अंकना नही की गयी है या दर लिखित में या तो अंको में या शब्दों में अलग है तो ठेकेदार द्वारा शब्दों में अंकित की गयी दर सही मानी जायेगी।

(ग) जब ठेकेदार द्वारा अंकित दर शब्दों तथा अंको में मिलान हो रही हो किन्तु कार्य की धनराशि सही नही हो तो ठेकेदार द्वारा कार्य की धनराशि के स्थान पर अंको और शब्दों में अंकित दर सही मानी जायेगी।

(घ) प्रतिशत दर निविदा के मामले में निविदादाताओं से उनकी दरें धनराशि में नीचे/ऊपर प्रतिशत में के साथ–साथ बीओक्यू में अंकित दर की अपेक्षा की जाती है। ऐसे मामलों में ठेकेदार द्वारा कार्य की

धनराशि में कोई अंकगणितीय त्रुटि होने पर धनराशि को ध्यान में नही रखा जायेगा और प्रतिशत निविदा को सही माना जाना चाहिए।

(ड.) तुलनात्मक विवरण में सभी शुद्धियां स्वच्छ और स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए तथा शुद्धि करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए। तत्पश्चात शुद्धियां संबंधित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित की जायेंगी।

19.2.2. प्रभागीय लेखाकार का उत्तरदायित्वः

(1) भारत सरकार के परामर्श से भारत के महालेखाकार और संप्रेक्षण द्वारा यथानिर्णित तुलनात्मक विवरण की तैयारी और निविदा को जांचने परखने के संबंध में प्रभागीय लेखाकार के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होगें–

(एक) जब तक अधिशासी अभियंता को जमा न कर दिये जायं, लेखा शाखा में रखी गयी अवधि के दौरान निविदा अभिलेखों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का उत्तरदायित्व प्रभागीय लेखाकार का है।

(दो) वह प्राप्त निविदाओं की जांच के व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है अर्थात जांच के लिए किये गये संतोषप्रद और पर्याप्त व्यवस्थाएं देखने का कार्य।

(तीन) उसे जांचे परखे गये निविदाओं का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करना चाहिए जिससे यह ज्ञात हो कि जांच कार्य समुचित रूप से किया गया है।

(चार) उसे यह भी देखना चाहिए कि व्यक्तिगत निविदाओं मे जांचा गया योग सही रूप में तुलनात्मक विवरण में अंकित किया गया है।

(2) प्रभागीय लेखाकार स्वयं कार्य का वास्तविक परिकल्पन या परिकल्पन का तुरंत सत्यापन या तुलनात्मक विवरण की तैयारी को आमंत्रित नही कर सकेगा। उसका उत्तरदायित्व अंतिम जांच प्रबंधन का विस्तार और परीक्षण जांच के समुचित धनराशि को स्वयं करने तक होगा। वास्तव में कोई अधिशासी अभियंता तुलनात्मक विवरण की टिप्पणी पर ऐसे जांच परीक्षण से शीघ्रताशीघ्र सुनिश्चित होने के लिए जिससे वह शुद्ध विवरण को बनाये रख सके, प्रभागीय लेखाकार से पूछने का हकदार होगा। यदि कार्य बडा है और तुलनात्मक विवरण की तैयारी आवश्यक है तो लेखा लिपिक से प्रभागीय लेखाकार के नियोजन के लिए कोई आपत्ति नही है। यह यद्यपि प्रभागीय लेखाकार पर निर्भर करेगा कि यदि वह यह सोचे कि यह शुद्ध जांच को सुनिश्चित करने का अधिक संतोषप्रद तरीका है तो वह उसके लिए सुरक्षा की दृष्टिकोण से एक या एक से अधिक लेखा लिपिक को विवरण के लिए आरक्षित कर सकता है जिससे कि कोई जांच समुचित रूप से की जा सके।

(3) प्रभागीय लेखाकार को तुलनात्क विवरण पर निम्नलिखित प्रमाण पत्र अंकित करना होगा–

"प्रमाणित किया जाता है कि मैने व्यक्तिगत रूप से सभी जांचे परखे गये निविदाओं का परीक्षण कर लिया है और मै स्वयं संतुष्ट हूं कि जांच कार्य समुचित रूप से किया गया है। तुलनात्मक विवरण में वैयक्तिक निविदाओं को जैसा जांचा गया है, योग को सही रूप में सम्मिलित किया गया है।"

19.2.3. वित्त अधिकारी के उत्तरदायित्व :

(1) वित्त अधिकारी उसकी शाखा में निविदाओं की प्रक्रिया में मुख्य अभियंता के प्रति उत्तरदायी होने के साथ–साथ मुख्य अभियंता के साथ सम्बद्ध अधिशासी अभियंता (परियोजना) निविदा की वैद्यता पर निकटतम निगरानी रखने के लिए जिससे कि निविदाओं में समय पर और समुचित कार्रवाई उसकी वैद्यता समाप्त होने से पूर्व की जा सके।

(2) वित्त अधिकारी प्रत्येक मामलों में अपनी आपत्तियां या सुझाव दे सकेगा और कार्य के आवंटन के लिए निविदाओं की प्रक्रिया तथा संवीक्षा में विलम्ब को रोकने के लिए सही रीति से कार्य करेगा।

19.3. निविदाओं की प्रक्रिया :

19.3.1. निविदाओं की समयबद्ध प्रक्रिया:

(1) निविदाओं की प्राप्ति पर कार्य के आवंटन को निर्णित किये जाने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विलम्ब के अवसरों को न्यून करने के क्रम में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा निविदाओं की प्रक्रिया के लिए अपनायी जाने वाली रीति परिशिष्ट 16 की समय तालिका में अधिकथित की गयी है।

(2) उपर्युक्त समय अनुसूची का कठोरता से पालन होना चाहिए और यदि कोई अधिकारी इसे पालन करने में असफल रहता है तो उसके लिए उसे सक्षम प्राधिकारियों को निविदा स्वीकार करने के अग्रसारण के समय कारण बताने चाहिए।

(3) निविदाओं की प्राप्ति के मामले में एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी की सख्ती से बाहर होने वाले निविदाओं के सम्यक स्वीकार करने के लिए उच्चतर अधिकारियों को निविदाये अग्रसारित करना आवश्यक समझा जाता है तो निम्नलिखित विवरण –

(क) निविदा की वैद्यता अवधि,

(ख) संवीक्षा के लिए लिया गया समय, और

(ग) शेष उपलब्ध अवधि, उच्चतर प्राधिकारियों को निविदाओं को अग्रसारित करते समय नोट पृष्ठ पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि निविदाओं की प्रक्रिया मे कोई विलम्ब नही किया गया है और निर्णय सही समय पर दिया गया है, को प्रमुखता से इंगित किया जाना चाहिए।

(4) मुख्य अभियंता के अधिशासी अभियंता (परियोजना) निविदा की प्रक्रिया करेंगे और संबंधित अधीक्षण अभियंता से संस्तुतियों के प्राप्त होने के सात दिन के भीतर इसे वित्त अधिकारी को भेजेंगे।

(5) वित्त अधिकारी तीन दिन के भीतर निविदा की प्रक्रिया सुनिश्चित करेंग और उसे अधीक्षण अभियंता के समक्ष रखेंगे।

19.3.2. निविदाओं की प्रक्रिया करते समय अपनायी जाने वाली सावधानियां :

निविदाओं की प्रक्रिया के समय पर निम्नलिखित निर्देशों का कठोरता से अनुसरण किया जाना चाहिए–

(1) निविदादाताओं से किसी पूर्व निविदा उपांतरण को करने की अपेक्षा नही की जायेगी, ऐसे किसी मामले को प्ररूप 6 के उपबंधों के अधीन गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। मामले को ठेकेदारों की सूचीवद्धता के लिए नियमों के अधीन की जानी वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध प्राधिकारी को भी अवगत कराया जाना होगा। ऐसे मामले में ऐसे उपांतरणों पर विचार नही किया जायेगा।

(2) जब निविदायें परीक्षण के अधीन हो, स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना निविदादाताओं से रिपोर्ट/स्पष्टीकरण के लिए कोई आपत्ति या आमंत्रण कोई अन्य अधिकारी को नही करना चाहिए।

(3) किसी शर्तों के साथ निविदा जिसमें छूट की शर्त भी सम्मिलित है, अस्वीकार कर दिये जायेंगे। यद्यपि बिना शर्तों के छूट वाले निविदायें स्वीकार योग्य होंगी।

(4) निविदा के मामले में जहा वैद्यता अवधि समाप्त हो चुकी है, निविदादाता द्वारा विस्तारित की गयी वैद्यता अवधि के पश्चात ही स्वीकार किये जायंगे।

19.4. निविदाओं को स्वीकार करना:

विभाग में दी गयी वार्ता या बिना वार्ता के साथ निविदा के स्वीकार/अनुमोदन के लिए इस विभाग के विभिन्न प्राधिकारियों को शक्तिया प्रतिनिधानित की गयी है। वही शक्तियां निविदाओं के अस्वीकार करने के मामले में भी लागू होंगी।

किसी मामले में जिसमें प्रबंध निदेशक/निविदा समिति की वित्तीय शक्तियों के भीतर न्यूनतम निविदा आती हो किन्तु वार्ता धनराशि मुख्य अभियंता या प्रबंध निदेशक या निविदा समिति की शक्ति के अधीन हो तो जैसा न्यूनतम निविदा प्राप्त की वार्ता धनराशि द्वारा निश्चित किया जायेगा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

जहां तकनीकी निविदा भी आमंत्रित की गयी है तो वह एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी की सीमा के भीतर होगी।

19.4.1. आमंत्रित/स्वीकृत निविदाओं से पूर्व शर्तों का पूर्ण किया जानाः

(1) उत्तराखण्ड पेयजल निगम के अधिकारी निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात ही निविदाओं को आमंत्रित/स्वीकृत करेंगे–

(एक) कार्य तकनीकी रूप से स्वीकृत है।

(दो) एनआईटी से अनुमोदित है।

टिप्पणीः तकनीकी स्वीकृति और एनआईटी के अनुमोदन के लिए क्रमशः प्रस्तर 2.5.1 ओर 14.1 देखा जायेगा।

(तीन) जब तकनीकी स्वीकृत प्राधिकारी की शक्ति से अधिक धनराशि द्वारा कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति धनराशि से निविदा अधिक हो जाय तो निविदा को स्वीकार करने से पूर्व अगले उच्च प्राधिकारी द्वारा संशोधित तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी।

(चार) जब दस प्रतिशत से अधिक धनराशि द्वारा कार्य के लिए व्यय स्वीकृति से निविदा दायित्व की वृद्धि संलग्न हो तो ऐसे आधिक्य में संशोधित व्यय स्वीकृति की अपेक्षा की जायेगी। ऐसा कोई आधिक्य यथाशीघ्र प्रवृत्त होगा।

(पांच) सक्षम प्राधिकारी से या तो स्वीकृत व्यय के संचार के समय पर या तत्पश्चात आवश्यक निधि को उपलब्ध कराने के लिए यह आश्वासन प्राप्त होना चाहिए कि दायित्व के निर्वहन से पूर्व अपेक्षित निधि आवंटित कर दी जायेगी।

(2) यदि कार्य की अति आवश्यकता हो तो उपर्युक्त शर्तों को पूर्ण करने की प्रत्याशा में निविदा आमंत्रित की जा सकेगी। निविदा स्वीकार करने वाला प्राधिकारी यद्यपि निविदा के स्वीकार करने से पूर्व इन शर्तों को पूर्ण करना सुनिश्चित करेगा।

19.4.2. संशोधित व्यय स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदाओं की स्वीकृतिः

(1) समुचित स्तर पर अधिकारी निम्नलिखित शर्तों और सीमाओं के अध्यधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित व्यय स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदाओं को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है–

(एक) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ग्राहक विभाग द्वारा दिया गया सैद्धान्तिक अनुमोदन,

(दो) निविदा के अधिकारी द्वारा सकारण प्राप्ति के संबंध में निविदा दर प्रमाणित है,

(तीन) निविदा को स्वीकार करने वाला अधिकारी यह भी प्रमाण पत्र देगा कि सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी यथा अनुमोदित कार्य यथावत अपरिवर्तनीय होंगे।

(2) निविदा स्वीकार करने वाला अधिकारी जिसमें अतिरिक्त व्यय सम्बद्ध हो, तुरन्त सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी को रिपोर्ट देगा जिससे वह आवश्यक अतिरिक्त उपबंध बजट में कर सके। आवंटित बजट से अधिक व्यय संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी अतिरिक्ति निधि के आश्वासन के बिना नही किया जायेगा।

(3) कार्य के लिए संशोधित आगणन सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी से निविदा की प्राप्ति के एक महीने के भीतर प्रस्तुत कर देना चाहिए।

19.4.3. दरों की तर्कसंगतता और प्रतिस्पर्धात्मकता:

निविदा स्वीकार करने वाला अधिकारी निविदाओं के स्वीकार करने से पूर्व दरों की तर्कसंगतता के बारे में स्वयं का समाधान कर लेगा। दरों की तर्कसंगतता पूर्व में ही मानव और सामग्री के बाजार दरों के आधार पर तैयार बाजार दर औचित्य विवरण के आधार पर आंकलित की जायेगी जिसे निविदा की प्राप्ति के अंतिम तारीख को क्षेत्र के संचालन/विनिर्माण में उपयोग किया जा सके। दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में जब कार्य के लिए उस विशेष क्षेत्र हेतु बाजार दरों को अंगीकृत किया जाय, सम्यक विचार किया जाना चाहिए। बाजार दर औचित्य की तैयारी के प्रकार हेतु निम्नलिखित प्रस्तर 19.4.3.1 में दिया गया है और औचित्य दरों में अनुमन्य भिन्नता प्रस्तर 19.4.3.2 में दी गयी है।

19.4.3.1. बाजार दर का औचित्य (एमआरजे) या निविदाओं का औचित्य:

दरों की तर्कसंगतता की जांच के लिए बाजार दर औचित्य या औचित्य विवरण तैयार किया जायेगा। दरों के विस्तृत विश्लेषण को तैयार करने के लिए श्रम, सामग्री, परिवहन इत्यादि के बाजार दरों को लेकर किया जायेगा। मद विश्लेषण की रीति वही होगी जो दरों के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग विश्लेषण मानक में दिये गये है। कार्य के लिए औचित्य प्रतिशत के आधार पर विश्लेषित किये गये निविदाओं में रखी गयी आगणित कीमत का न्यूनतम 90 प्रतिशत पूर्ण लागत रखी जायेगी। विचार किये जाने वाले मदें इस प्रकार चयनित की जानी चाहिए कि उसमे धनराशि और उच्च आगणित मूल्य है। उच्चतम आगणित धनराशि वाले मदों से एक बार प्रारम्भ करके और तब अवक्रमित क्रम में अगले निम्न धनराशि तथा इस प्रकार जब तक आगणित धनराशि के न्यूनतम 90 प्रतिशत पर न पहुंच जाय। इन क्षेत्रों में निविदा के लिए औचित्य तैयार करते समय अनुमन्य सामग्री की कीमत पर 2.5 प्रतिशत की दर से व्यवहृत अधिभार अनुमन्य होगा।

कार्य की प्रकृति के आधार पर अन्य कोई समुचित रीति को भी अंगीकृत किया जा सकेगा। किसी विशिष्ट रीति के अंगीकार के लिए निविदा के स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा न्यायगत रूप से निर्णय किया जाना चाहिए। निविदाओं का औचित्य केवल उपयोगी चिन्हांकित दरों पर आधारित होकर किया जाना चाहिए तथा सामग्री की बाजार दर और निविदा अभिलेख में अधिकथित विशिष्ट मात्रा और मानक तथा विशिष्टिकरण पर तत्स्थानी होनी चाहिए। जिन मामलों में निविदा समिति द्वारा निविदाएं स्वीकार की जानी है वहां किसी विशिष्ट रीति को अंगीकार किये जाने के लिए संबंधित

मुख्य अभियंता को निर्णय लेना चाहिए। निविदाओं के औचित्य के लिए वास्तविक सामग्री के जारी दर (और बाजार दर पर नही) एनआईटी/निविदा अभिलेख के आलेख में उल्लिखित वास्तविक सामग्री की मात्रा के बजाय वास्तविक मदों को जारी करने के लिए विचार किया जायेगा। सामग्री के लिए निविदा के औचित्य हेतु जिसके लिए खण्ड 10 सी ए के अधीन विहित किए गये दर पर आधारित हों, किये जांय। खण्ड 10 सीए के अधीन वास्तविक सामग्री का दर आधार औचित्य विवरण के लिए विचार किया जायेगा।

जोड़े जा रहे निम्नलिखित करों का प्रभाव :

(एक) राज्य/केन्द्रशासित सीमा में यथा लागू भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार उपकर;

(दो) उत्तराखण्ड की सरकार के क्षेत्राधिकार के अधीन दिये गये कार्य संविदा पर लागू राज्य सरकार द्वारा निश्चित दर पर मूल्य वर्धित कर; इन दो करों के प्रभाव को निम्नवत जोड़ा जायेगा–

(क) निविदाओं के औचित्य पर– प्रत्येक विचारार्थ सामग्री के औचित्य पर सभी करों यथा मूल्य वर्धित कर को जोडकर कुल उपयुक्त बाजार दर के आधार पर किये गये औचित्य मूल्य के अंत पर जोड़ा जायेगा।

(ख) संविदा की सामान्य शर्तों के खण्ड 12 के अधीन विनिर्दिष्ट विचलन सीमा से बाहर विचलित मात्रा हेतु प्रतिस्थापित मद और दर, अतिरिक्त मद की स्वीकृति पर –

ठेकेदार लाभ और ऊपरि व्यय जोड़ने के पश्चात दरों के विश्लेषण के अंत पर जोड़ा जायेगा।

किन्तु जब इसकी ठेकेदार को अलग से प्रतिपूर्ति की जाय तो सेवा कर के लिए दरों के विश्लेषण में नही जोड़ा जायेगा। सेवा कर गैर–वाणिज्यिक या गैर–औद्योगिक प्रकृति के सन्निर्माणों पर लागू नही होगा। इस हेतु विस्तृत विवरण भारत सरकार के राजस्व, वित्त मंत्रालय विभाग की अधिसूचना संख्या 25/2012–सेवा कर दिनांकित 20–06–2012 में दिये गये हैं।

निम्नलिखित मामलों में मूल्य वर्धित कर के घटक लागू नही होंगे–

(1) आपूर्ति आदेश या निविदाओं या डीजीएस और डी दर अनुबंध के माध्यम से क्रय की जाने वाली सामग्रियां,

(2) वाहनों को किराये पर लेने के लिए संविदा/कार्य आदेश,

(3) रक्षकों के लिए संविदा/कार्यादेश

(4) औद्यानिक कार्यों के सभी प्रकारों के लिए संविदा/कार्यादेश

(5) विविध सेवा यथा चालू/अनुरक्षित कम्प्यूटर सेवा, चालू वाहन सेवा इत्यादि के लिए संविदा/कार्यादेश,

(6) और अन्य समान संविदायें/कार्यादेश जिनमें सामग्री सम्बद्ध न हो।

भवन के घटक और अन्य सन्निर्माण कामगार उपकर केवल सामग्रियों के क्रय के लिए लागू नही होंगे।

ठेकेदारों का लाभ और ऊपरि व्ययः

जहां कहीं लागू हो संविदा के अधीन किये जाने वाले विचलन सीमा इत्यादि के बाहर बाजार दरों पर स्वीकृत किये जाने वाले मदों की अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मद/विचलित मात्रा और आंकलन, औचित्य के प्रयोजन के लिए, सिविल, विद्युत और औद्यानिक कार्यों इत्यादि हेतु से संबंधित अनुसूची और गैर–अनुसूची के दोनों कार्यों के सभी मदों पर आगणित मूल्य/एमआरजे पर दिये जाने वाले कार्य की दरों के विश्लेषण में 15 प्रतिशत (सीपी–7.5 प्रतिशत और ओएच–7.5 प्रतिशत) जोड़ा जायेगा।

निम्नलिखित घटकों के लिए ऊपरि व्यय (7.5 प्रतिशत) होगा–

(1) ठेकेदार द्वारा अधिष्ठान में नियुक्त अभियंता की लागत,

(2) टी और पी प्रबंध में प्रयास का मूल्य और भारी मशीनों जिसमें कार्य के बीओक्यू में सम्मिलित मद के लिए दरों की विश्लेषण पर विचार नही किया गया हो,

(3) स्थल पर पर्यावरण स्वच्छता और श्रमिक कल्याण सुविधाओं की लागत,

(4) परीक्षण प्रयोगशाला को स्थापित करने हेतु गुणवत्ता सुनिश्चित करने की लागत,

(5) कम्प्यूटर देयक इत्यादि हेतु आवश्यक कर्मचारिवृन्दों के सहयोजन सहित कार्यालय के अधिष्ठान पर लागत,

(6) अग्रिम धनराशि/दक्षता प्रत्याभू/प्रतिभू जमाओं की लागत।

अतः ऊपर उल्लिखित विभिन्न घटकों के लिए औचित्य (एमआरजे) में इसके अतिरिक्त कोई लागत नही जोडी जायेगी।

मद के आगणित मूल्य पर कार्य या ई और एम कार्यों हेतु मदों के बाजार दर औचित्य में से किसी एक पर तैयार दर के विश्लेषण में टी और पी हेतु कोई अतिरिक्त लागत नही जोड़ी जायेगी।

यद्यपि विशेष स्थिति में जिस हेतु एनआईटी में वित्तीय वहन/प्रभाव/सहयोजन हो जिसे ऊपर आच्छादित या विचार न किया गया हो तथा कार्य के बीओक्यू सहित मदों के दरों के विश्लेषण में वास्तविक आधार पर जोड़ने की अपेक्षा की जायेगी या जहां वास्तविक विश्लेषण किया जाना सम्भव न हो तो वहां रफ अनुमान द्वारा जोड़ा जायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा वहन किया गया हो तो इसमें परीक्षण अधिभार भी सम्मिलित होगा।

19.4.3.2. अनुमत अंतर के साथ औचित्य दरों पर निविदाओं की स्वीकारोक्तिः

इस संग्रह के प्रस्तर 19.4.3 के अधीन उपबंधों में बाजार दर औचित्य राशि/दरों से 5 प्रतिशत तक या और उससे ऊपर का अंतर अनदेखा किया जा सकेगा। 10 प्रतिशत का अंतर विशिष्ट/कठिन स्थितियों में तथा विशिष्ट परिस्थितियों में अनुमति दी जा सकेगी। दूरस्थ क्षेत्र तथा कठिन पर्वतीय क्षेत्रों के मामले में 15 प्रतिशत तक के अंतर की अनुमति दी जा सकेगी। ऐसा करने के लिए अभिलेखों में कारण दर्शाये जांयेगे। इस सीमा से ऊपर की निविदायें स्वीकार नही की जायेगी।

19.4.4 सामग्री के निर्धारित जारी किये जाने सहित निविदा को स्वीकार करने की शक्तिः

जहां ठेकेदार को जारी किये जाने के लिए सामग्रियां निर्धारित हों, वहां निर्धारित दरों पर ठेकेदार को जारी किये जाने वाले निर्धारित सामग्रियों के मूल्य को घटाने के पश्चात ठेकेदार को कुल धनराशि के भुगतान के लिए निविदा को स्वीकार करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जायेगा।

19.4.5 एकल निविदा की स्वीकारोक्तिः

रू0 1.50 करोड़ तक की लागत के कार्यों के सम्बन्ध में मैनुअल निविदा आमंत्रण के अन्तर्गत प्रथम बार में प्राप्त एकल निविदा नहीं खोली जायेगी किन्तु दूसरी बार यदि एकल निविदा प्राप्त होती है तो उसे खोला जा सकेगा, बशर्ते कि यह सुनिश्चित हो कि निविदा आमंत्रण के लिए सम्यक प्रक्रिया एवं प्रचार सुनिश्चित किया गया था। रू0 1.50 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों के सम्बन्ध में ई–निविदा प्रक्रिया के अनतर्गत प्रथम बार की निविदा में प्राप्त एकल निविदा भी खोली जा सकेगी बशर्ते कि यह सुनिश्चित हो कि निविदा आमंत्रण की सम्यक प्रक्रिया एवं प्रचार सुनिश्चित किया गया था।

एकल निविदा स्वीकार करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त दरें बाजार दर औचित्य (Market Rate Justification) के अनुसार औचित्य पूर्ण हैं।

19.4.6 वार्ता आयोजित करने के लिए प्रक्रियाः

(1) साधारणतया न्यूनतम निविदाओं वाली दरों पर कोई वार्ता नही की जायेगी। बाजार दर औचित्य के आधार पर आंकलित दरों की तर्कसंगतता के आधार पर या तो स्वीकार करने चाहिए या अस्वीकार।

तुरन्त प्रकृति के कार्य और निविदाओ के अस्वीकार करने के पश्चात पुनःआमंत्रण का समय उपलब्ध न होने पर कार्य के सम्पादन में समय की सम्यक त्वरित गति के कारणों से जब कभी वार्ता करना आवश्यक हो जाय तो इसके लिए निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी को अगले उच्चतर प्राधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा वार्ता केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में ही अनुमत होगी–

(एक) अन्य निविदादाताओं/सरकार/निगम को किसी सम्भावित अलाभ के बिना निम्नतर निविदादाता के साथ वार्ता के पश्चात कार्य के मदों के दरों/मूल्य में किसी त्रुटि/संकाओं का स्पष्टीकरण और पुष्टि;

(दो) उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्तर 19.4.3.2 के अधीन अनुमत अतंर सहित एमआरजे दरों से अधिक उच्च दर प्राप्त होने के कारण पूर्व अवसर पर जिसे अस्वीकार कर दिया था, की किसी निविदा के पुनर्आमंत्रण पर उच्च दरों की प्राप्ति के मामलों में ।

(2) एल–1/न्यूनतम निविदादाताओं को प्रति प्रस्ताव किसी स्वीकार्य मूल्य पर पहुंचने पर राशि हेतु वार्ता की जायेगी। साधारणतया निविदादाता के साथ दरों पर निविदा से पूर्व वार्ता नही की जानी चाहिए किन्तु

अपवाद के मामलों में जहां ऐसा किया जाना आवश्यक हो जाय, वहां केवल न्यूनतम निविदादाता से वार्ता प्रतिषिद्ध होगी।

(3) प्रबंध निदेशक/निविदा समिति, जैसी स्थिति हो, को भेजे जाने वाले निविदाओं के मामले में अनुमोदन के लिए यदि वार्ता अपेक्षित हो, तो मुख्य अभियंता उन्हें निविदा भेजने से पूर्व न्यूनतम निविदादाता के साथ वार्ता कर सकेगा।

(4) न्यूनतम निविदादाता के मामले में दरों/वापस आने के लिए वार्ता के लिए सहमत न हो तो पुनर्निविदा के लिए कार्यवाही की जायेगी।

टिप्पणी:–

(1) ''निम्नतम'' शब्द में ''निम्नतर'' शब्द भी सम्मिलित है, जब केवल दो निविदायें प्राप्त हों तो निम्नतम से यह आभास नही होता है कि निम्नतम तीन निविदायें प्राप्त होनी चाहिए। दरों की प्रतियोगिता के लिए एक से अधिक निविदाओं का सुझाव दिया जाता है। यद्यपि दरों की तर्कसंगतता पर एमआरजे के मामले को देखा जा सकता है जो कि निम्नतम प्राप्त दरों की तर्कसंगतता को आंकलित करने के लिए प्रमाण है।

(2) ठेकेदार द्वारा अंकित दरों को कार्य के आंगणित मूल्य के ऊपर या नीचे के रूप में देखा/आंकलित किया जाता है। जब आंगणित मूल्य बाजार में प्रयुक्त सामग्रियों और श्रमिकों की चालू दरों पर आधारित न हो और पुरानी दरों पर आधारित हो तो आगणन वास्तविक नही होता है। ऐसे मामलों में ठेकेदार के अंकित दरों में (जो सदैव चालू बाजार दरों को ध्यान में रखकर दरों को अंकित करता है) आगणित मूल्य (जो कि आगणित मूल्य स्वयं में वास्तविक नही होता है)से बहुत ऊपर होते है। इससे अधिकारियों को अनावश्यक रूप से परेशान नही होना चाहिए जो कि सदैव एमआरजे के सन्दान पर दरों की तर्कसंगतता के आंकलन/प्रमाण पर होगी। इस समस्या को दूर करने के लिए नवीनतम दरों की सूची (एएओआर) पर आगणन को तैयार करने का सुझाव दिया जाता है। सीपीडब्लूडी दिल्ली अनुसूची की दरें (बीएसआर) इस दृष्टि से समुचित एसओआर है क्योंकि इसे नियमित आधार पर सीपीडब्लूडी द्वारा अद्यतन किया जाता है। इस बीच में भी दो बार त्रेमासिक मूल्य सूचकांक का संशोधन सीपीडब्लूडी द्वारा परिचालित किया गया है। इस प्रकार किसी भी समय पर नवीनतम्/चालू बाजार दरों पर आगणनकर्ता आगणन को तैयार कर सकते है। अतः आगणन प्रयोजनों के लिए उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा डीएसआर का अनुसरण करना चाहिए। इस तरह क्योंकि यहां उत्तराखण्ड राज्य के भीतर योग्य ठेकेदारों की दुर्लभता है जिससे राज्य की कठिन स्थितियों में बडे कार्यों को व्यवहृत किया जा सकेगा। परिणामस्वरूप साधारणतया राज्य के बाहर से ठेकेदार बहुग्रामीण योजना के कार्यों के लिए निविदा में प्रतिभाग करने के लिए आते हैं जिससे इसकी अधिक महत्ता हो गयी है। जल आपूर्ति और सीवरेज कार्यों में प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए पर्याप्त संख्या में बाहरी निविदादातों को डीएसआर पर आधारित आगणनों के कारण उत्साहित किया है।

छोटे किस्म के कार्यों के मामले जैसे एकल ग्रामीण जल आपूर्ति योजना या अन्य छोटी परियोजनायें में डीएसआर के अंगीकार को हटाया जा सकता है, जिसमें कार्य के निष्पादन में समुदाय के लोग स्वयं प्रतिभाग कर सकें और ग्रामीण जल और स्वच्छता समिति की संस्तुतियों पर कार्यवाही की जा सके।

19.4.8 निविदाओं को अस्वीकार करना:

कोई निविदा जिसे स्वीकार करने के लिए निविदा समिति/प्रबंध निदेशक के अनुमोदन की आवश्यकता नही है, को किसी निम्न प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जाना चाहिए और इन सभी निविदाओं को विचार के लिए प्रबंध निदेशक/निविदा समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए। निविदाओं को अस्वीकार करने/अनुमोदित करने या अग्रतर वार्ता करने के लिए अधिकृत किया जायेगा।

19.4.9 निविदाओं के स्वीकार/अस्वीकार करने की सूचना:

(1) कार्य के लिए निविदा स्वीकार होने के पश्चात परिशिष्ट एक में दिये गये साधारण प्ररूप में ठेकेदार को संसूचित किया जायेगा। ठेकेदार द्वार दक्षता प्रतिभू या दक्षता प्रत्याभू के जमा करने के लिए प्रस्तर 20.1 देखा जायेगा।

(2) स्वीकार्य रूप में ठेकेदार द्वारा दक्षता प्रतिभू/प्रत्याभू के जमा करने के पश्चात कार्य प्रारम्भ करने के सूचना परिशिष्ट दो में दर्शाये गये साधारण प्ररूप में दी जायेगी।

(3) संबंधित विभागीय अधिकारियों और संबंधित शाखाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित प्राधिकारियों को भी स्वीकार/आवंटन पत्र की प्रति पृष्ठांकित की जायेगी–

(एक) आयकर अधिकारी,(संबंधित)

(दो) श्रम आयुक्त,

(तीन) ग्राहक संगठन,

(4) विशेष मामलों में जहां कार्य संक्षिप्त समय में पूर्ण करने की अपेक्षा हो और कार्य को प्रारम्भ करने के लिए 10 दिन की अनुमति अपेक्षित न हो, वहां उत्तराखण्ड पेयजल निगम के अधिकारी इस अवधि को घटा सकते है और संविदा प्ररूप तथा निविदा के स्वीकार करने के पत्र में आवश्यक संशोधन कर सकते है।

(5) स्वीकार पत्र में निविदा या उसके पश्चात प्राप्त ठेकेदारों के सभी पत्रों का संदर्भ और/या ठेकेदार के इन पत्रों में उल्लिखित शर्तों को स्वीकार या अस्वीकार करने के तथ्यों को सम्मिलित करते हुए अधिशासी अभियंता द्वारा संदर्भ दिया जाना चाहिए।

(6) निविदादाता जिनकी निविदाएं अस्वीकार हुई है, को लिखित सूचना अस्वीकार के लिए भेजी जानी चाहिए।

19.4.10 जब अधिशासी अभियंता भ्रमण या अवकाश पर हों तो आवंटन पत्र का जारी किया जानाः

उच्च प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित/स्वीकार किए गए तथा अधिशासी अभियंता द्वारा आवंटन पत्र जारी किया जाना है तथा निविदा की वैद्यता की तारीख समाप्ति बहुत नजदीक है और अधिशासी अभियंता भ्रमण पर है तो ऐसी निविदाओं के मामले में निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए –

(क) जब कभी निविदा प्रपत्र अधिशासी अभियंता को भेजे जाय, निविदा प्रपत्र से संबंधित आवरण पत्र ''निविदा प्रपत्र'' अंकित होना चाहिए।

(ख) फैक्स/ईमेल के माध्यम से अधिशासी अभियंता को अलग से निविदा के अनुमोदन/स्वीकार करने के पत्र के प्रति भेजी जानी चाहिए।

(ग) जब कभी अधिशासी अभियंता भ्रमण हों या आकस्मिक अवकाश पर हों तो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा स्वीकार किये गये निविदाओं को स्पष्ट रूप से यह अंगित करते हुए कि यह पत्र जब अधिशासी अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया जायेगा, करार का भाग होगा, सहायक अभियंता (परियोजना) द्वारा आवंटन पत्र जारी किया जा सकता है।

19.5 निविदाओं का पुनःआमंत्रण :

यदि न्यूनतम निविदादाता कार्य वापस ले लेता है तो वहां पर पारदर्शी और रिजुरीति से पुनर्निविदा आयोजित की जानी चाहिए। एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी कार्य के हित में यदि ऐसा करना न्यायगत हो तो सीमित या संक्षिप्त सूचना पर निविदा को आमंत्रित करने के लिए राय दे सकता है। ठेकेदार जिसने कार्य वापस लिया हो, को निविदा जारी नही की जायेगी।

19.6 निविदा समितिः

उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा निविदाओं/संविदाओं तथा अन्य कार्यों के निष्पादन से संबंधित अन्य विविध मामलों में उच्चतर निकाय के रूप में कार्य करने के लिए निविदा समिति का गठन किया गया है।

19.6.1 निविदा समिति की संरचनाः

उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा कार्य के मूल्य की विभिन्न सीमाओं के लिए निविदा समिति का गठन किया गया है।

19.6.2 निविदा समिति द्वारा निविदाओं की प्रक्रियाः

निविदा समिति द्वारा निविदा की प्रक्रिया उत्तराखण्ड पेयजल निगत द्वारा अलग से अधिकथित की गयी है।

परिशिष्ट– एक

(पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा)

निविदा/आवंटन पत्र की स्वीकार्यता का नमूना पत्र

संख्या.....

दिनांकः

प्रेषक,

अधिशासी अभियंता,

खंड

उत्तराखण्ड पेयजल निगम।

श्री

(ठेकेदार का नाम तथा पता)

विषय– ..... (कार्य का नाम जैसा कि कार्य के लिए निविदा में दिया गया है)

प्रिय महोदय/महोदया,

जैसा कि ऊपर उल्लिखित कार्य के लिए अपनी यातनाएं जो प्रस्तुत निविदा रूपये .....(रूपये..... मात्र) जो अनुमानित लागत रूपये ..... (रूपये..... मात्र) से..... प्रतिशत नीचे/ऊपर प्रस्तुत निविदा रूपये..... प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड पेय जल निगम की ओर से स्वीकार की गयी है।

1. आप से अनुरोध है कि इस पत्र के जारी होने के दिनांक ..... से .....दिनों के भीतर रूपया..... (रूपया शब्दों में.....मात्र) की निष्पादित प्रतिभूति/प्रत्याभू को जमा करने का कष्ट करें। उत्तराखण्ड पेयजल निगम के कार्यों के लिए संविदा की सामान्य शर्तों के खण्ड (1) में यथाउपलब्ध विहित प्ररूप पर दक्षता प्रतिभू प्रस्तुत की जायेगी और दिनांक..... तक वैध रहेगी।

2. विहित दक्षता प्रतिभू की प्राप्ति पर कार्य प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक पत्र जारी किया जायेगा और तत्पश्चात कार्य का स्थल आपको हस्तांतरित किया जायेगा।

3. निविदा में जैसा उल्लिखि है (.....दिन/सप्ताह/माह) में कार्य करने के लिए स्वीकृत समय को अंकित करें और इस पत्र के जारी होने की तारीख के पश्चात् ..... दिनों से प्रारम्भ किया जायेगा।

भवदीय,

अधिशासी अभियंता

द्वारा और प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम की ओर से

..... खंड, उत्तराखण्ड पेयजल निगम.....

टिप्पणी– पैरा 19.1(2) तथा (3) देखें।

परिशिष्ट– दो

(पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा)

कार्य प्रारम्भ हेतु नमूना पत्र

संख्या.....

दिनांकः

प्रेषक,

अधिशासी अभियंता,

खंड

उत्तराखण्ड पेयजल निगम।

श्री

(ठेकेदार का नाम तथा पता)

विषय– ..... (कार्य का नाम जैसा कि कार्य के लिए निविदा में दिया गया है)

संदर्भ : 1. उपर्युक्त कार्य के लिए आपके पत्र सख्या.....दिनांक..... द्वारा प्रस्तुत दक्षता प्रतिभू /प्रत्याभू

2. आपकी निविदा संख्या .... दिनांक..... की स्वीकार्यता का इस कार्यालय का पत्र।

प्रिय महोदय/महोदया,

1. आपसे अनुरोध है कि आप कार्यस्थल का कब्जा लेने और तुरंत कार्य करने के लिए ..... सहायक अभियंता (पूर्ण पता) से संपर्क करने का कष्ट करें।

2. ऊपर संदर्भित पत्र के कम में आपसे अनुरोध है कि इस पत्र की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर औपचारिक अनुबंध को पूर्ण करने /हस्ताक्षरित करने के लिए इस कार्यालय में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय,

अधिशासी अभियंता

द्वारा और प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम की ओर से

..... खंड...

खण्ड 20

प्रतिभूति जमा और अनुपालन

20.1 अनुपालन प्रतिभू (पी.जी)

पी.जी का अर्थ संविदा के समुचित अनुपालन की प्रतिभू/सुनिश्चित करना है।

(1) सफल निविदाकर्ता जिसे यहां आगे ठेकेदार कहा गया है (बिना किसी सीमा के) कार्य की निविदा और स्वीकृति मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर की धनराशि और निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में अनुपालन प्रतिभू जमा करेगा।

(एक) नकद (रू0 10 हजार तक की धनराशि की प्रतिभू के मामले में)

(दो) (रू0 1 लाख से नीचे के अनुपालन धनराशि के मामलों में) किसी अनुसूची बैक की मांग/बैकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश पर जमा।

(तीन) सरकारी प्रतिभूतियां

(चार) किसी अनुसूची बैक के नियत कालिक जमा प्राप्तियां।

(पांच) एन.आई.टी में दिये गये विहित प्ररूप में किसी अनुसूची बैक या भारतीय स्टेट बैक में अपरिवर्तनीय बैक प्रतिभू बोंड।

(2) ठेकेदार द्वारा दक्षता प्रत्याभू को जमा करने के लिए अनुमत समय कार्य की महत्ता और /या शीघ्रता पर निर्भर करते हुए पत्र प्राप्ति के 4 से 15 दिनों की अवधि के लिए एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया जायेगा। यह अवधि दक्षता प्रत्याभू राशि के 0.1 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क के साथ अधिकतम 1 से 15 दिन की अवधि के लिए प्रभारी अभियंता द्वारा ठेकेदार के लिखित अनुरोध पर अग्रेतर रूप से विस्तारित की जा सकेगी। ऐसी समय अवधि एनआईटी के अंतिमिकरण करते ससम अनुसूची 'च' में उल्लिखित की जायेगी। दक्षता प्रत्याभू को जमा करने के लिए ठेकेदार को प्राप्ति केपत्र की नमूना प्रति खण्ड 19 के परिशिष्ट एक में दी गयी है।

एन.आई.टी. धारा 19 के परिशिष्ट एक में दिये गये अनुपालन प्रतिभू के प्रस्तुतीकरण के लिये ठेकेदार को दिये गये स्वीकृति के पत्र की एक नमूना प्रति दी जायेगी।

(3) प्राप्ति के पत्र के जारी होने की तारीख से 7–30 दिनों के पश्चात् नियत अवधि के अनुसरण में कार्य के प्रारम्भ की तारीख होगी।

(4) कार्य के प्रारम्भ करने के लिये पत्र स्वीकार्य फार्म में अनुपालन प्रतिभू के जमा करने के पश्चात् ही ठेकेदार को जारी की जायेगी। इस पत्र की एक नमूना प्रति धारा 19 के परिशिष्ट दो में दर्शायी गयी है।

(5) यद्यपि अनुपालन प्रतिभू की 50 प्रतिशत धनराशि चूक दायित्व अवधि से बाहर उसी भवन और सेवा/अन्य कार्यो के सन्निर्माण के पश्चात् सम्मिलित भवन और सेवा/अन्य कार्य के सम्मिलित अनुरक्षण के मामलो में प्रतिभू जमा रोकी जायेगी, जिसे वर्षवार अनुपातिक रूप से वापस किया जायेगा। अनुपालन प्रतिभू की वैध अवधि को तद्नुसार विस्तारित किया जायेगा।

(6) संविदा के अपसर्पण के मामलों में अनुपालन प्रतिभू और जमा प्रतिभू पूर्ण रूप से जब्त हो जायेगी।

20.2 प्रतिभू जमा:

(1) प्रतिभू जमा नीचे उल्लिखित दर पर ठेकेदारो के चालू देयकों में से कटौती द्वारा जमा की जायेगी। प्रतिभू जमा नकद या नियत जमा प्राप्तियां इत्यादि के रूप में भी जमा की जा सकेगी।

(2) 2.5 प्रतिशत की दर से देयक के कुल धनराशि में से एक धनराशि घटायी जायेगी। ठेकेदार के अंतिम देयक के साथ–साथ प्रत्येक देयक से प्रतिभू जमा की कटौती की जायेगी। ऐसी कटौतियां तब तक की जायेगी जब तक की ठेकेदार द्वारा उल्लिखित धन पर प्रतिभू की धनराशि नकद रूप में या नियत जमा प्राप्तियों के रूप में जमा न कर दी हो। यह अनुपालन प्रतिभू के अतिरिक्त प्रस्तर 20.1 के अनुसार जमा की अपेक्षा ठेकेदार से की जायेगी।

(3) किसी अनुसूचित बैक द्वारा न्यूनतम रूपया 5 लाख के संचय द्वारा जारी बैंक प्रतिभू के विरूद्ध प्रतिभू जमा इस शर्त के अध्यधीन कि अंतिम के सिवाय बैंक प्रतिभू की कोई राशि 5 लाख रूपये से निम्न नही होगी।

(4) प्रतिभू जमा के विरूद्ध प्रस्तुत बैंक प्रत्याभू सामान्य रूप से कार्य के पूर्ण होने और अनुरक्षण अवधि की निर्धारित तारीख तक वैद्य होगी जिसे निलामी/संविदा के उपबंधों के अधीन स्वीकृत संविदा के विस्तार तक समय–समय पर अग्रतर रूप में विस्तारित किया जा सकेगा।

20.3 प्रतिभू जमा के प्ररूप:

(1) किसी ठेकेदार से प्रतिभू नीचे दिये गये किसी एक प्ररूप में ली जानी चाहिये–

(क) किसी अनुसूची बैंक/भारतीय स्टेट बैंक में अधिशासी अभियन्ता के नाम से जमा प्राप्तियां।

(ख) ठेकेदार द्वारा नकद जमा को जमाकर्ता के मूल्य पर एक या एक से अधिक प्ररूपों में ब्याज वहन प्रतिभूतियों के रूप में बदला जा सकता है, परन्तु यह कि–

(एक) जमाकर्ता द्वारा लिखित में ऐसी इच्छा व्यक्त की हो।

(दो) प्रतिभू के नये प्ररूप को स्वीकार करने के लिये नियमों के साथ–साथ करार/बॉड के निबन्धनों के अधीन अनुज्ञेय हो।

टिप्पणी : ठेकेदारों के देयको से वास्तव में प्राप्त या वसूला गया नकद यद्यपि पूर्ण जमा धनराशि के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है, जिसे किस्तों में भुगतानित किया गया हो और अब तक जारी न किया गया हो।

20.4 प्रतिभू जमा के पुनर्भुगतान/पुनर्न्तरणः

उसके करार या बॉण्ड के निबन्धनों के अनुसरण के सिवाय न तो प्रतिभू जमा की कोई धनराशि जमाकर्ता को पुनर्भुगतानित और न ही पुनर्न्तरित या किसी अन्य रीति से निस्तारण किया जाना चाहिये।

टिप्पणी : जिसे वापस किया जाना है कि प्रतिभू के सभी मामलों में जमाकर्ता की प्राप्ति प्राप्त की जानी चाहिये। जब ब्याज धारित प्रतिभू या पुनर्न्तरित की जाये तब प्रतिभू के समस्त विवरणों की प्राप्तियां करानी चाहिये।

20.5 प्रतिभू जमा के रूप में नियतकालिक प्राप्तियांः

(1) जब से नियतकालिक प्राप्तियां राजकीय प्रतिभू नहीं है उनके स्वीकार करने के लिये कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये यहां तक कि यदि कार्य के पूर्ण होने के लिये अवधि एक वर्ष से कम है। यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नियतकालिक प्राप्तियां यहां तक कि निर्धारित अवधि/विस्तारित अवधि, चूक दायित्व अवधि से आछादित न हो, स्वीकार की जानी चाहिये।

(2) भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य अनुसूची बैंक द्वारा जारी नियतकालिक प्राप्तियां प्रतिभू के रूप में स्वीकार योग्य है। यहां इसलिये जमा की धनराशि के प्रभागीय अधिकारी द्वारा विनिवेश की अनापत्ति ठेकेदार के अनुरोध पर भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य अनुसूची बैंक की नियतकालिक प्राप्तियों हेतु ठेकेदार के चालू देयक से कटौती की जा सकती है।

(3) यद्यपि यहां पर यह देखा जाना चाहिये कि नियतकालिक प्राप्तियां ''अधिशासी अभियन्ता''.....
.....सम्बन्धित खण्ड के नाम से बनायी गई हो।

परिशिष्ट

अनुपालन प्रतिभू/बैक प्रतिभू बॉड के प्ररूप

{सन्दर्भण प्ररूप 20.1.(1)(चार)}

उत्तराखण्ड पेयजल निगम (जिसे यहां आगे ''निगम'' कहा गया है) के प्रबन्ध निदेशक प्रस्तावित करार की शर्तो और निबन्धनों को स्वीकार करने के लिये श्री.....और श्री..... .....(जिसे यहां आगे ''उक्त ठेकेदार'' कहा गया है) से.....कार्य के लिये (जिसे यहां आगे ''उक्त करार'' कहा गया है) रू0.....(रू0 शब्दो में.....मात्र) उक्त करार के निबन्धन और शर्तो के अनुसरण में उसकी बाध्यताओं के अनुपालन के लिये ठेकेदार से प्रतिभू/प्रत्याभू के रूप में अपरिवर्तनीय बैक प्रत्याभू को प्रस्तुत करने के लिये सहमत है।

1. हम .....(जिसे यहां आगे ''बैक'' कहा गया है) (यहां पर बैक का नाम उल्लिखित किया जाये) निगम को रूपया..... ....(रूपया शब्दों में..... . मात्र) की अधिकतम राशि निगम द्वारा मांग पर भुगतान करने का अनुबंध करते है।

2. हम .....एतदद्वारा यह अनुबंध करते है कि देय और संदेय राशि का भुगतान (बैंक का नाम इंगित किया जाय) बिना किसी भुगतान के इस प्रतिभू के अधीन जब कभी निगम द्वारा यह मांग की जाय कि उक्त ठेकेदार से अनुमन्य होने वाली या सम्यक् वसूली को पूरा करने की अपेक्षा के लिए धनराशि का दावा किया जा रहा है। बैंक में की गयी ऐसी कोई मांग इस प्रतिभू के अधीन बैक द्वारा सम्यक राशि और भुगतान के रूप में निश्चायक होगी। यद्यपि इस प्रतिभू के अधीन हमारी बाध्यता अधिकतम रूपया ..... (रूपया शब्दों में .... मात्र) की राशि तक प्रतिबंधित होगी।

3. हम, उक्त बैक अग्रेतर यह अनुबंध करते है कि किसी न्यायालय या अधिकरण में उससे संबंधित कोई वाद या प्रक्रिया के पूर्व ठेकेदार द्वारा उत्पन्न कोई विवाद या विवादों के होते हुए भी इस प्रकार मांगी गयी कोई धनराशि निगम को भुगतान करेंगे। हमारी बाध्यता इसके अधीन अनन्य और असंदिग्ध होगी इस बाण्ड के अधीन हमारे द्वारा किया गया भुगतान इसके अधीन भुगतान हेतु हमारी बाध्यता के बैद्य निर्बहन होगा औरऐसा भुगतान करने के लिए ठेकेदारों के पास हमारे विरूद्ध कोई दावा नही होगा।

4. हम.....(बैंक का नाम इंगित किया जाय) सहमत है कि यहां उल्लिखित प्रतिभू उक्त करार के दक्षता के लिए लिए गए अवधि के दौरान पूर्ण प्रवर्तन और प्रभाव में रहेगी तथा उक्त करार के द्वारा या अधीन निगम के सभी बकायों के पूर्णरूपेण भुगतान तक और इसके दावे के समाधान या निर्वहन या निगम की ओर से प्रभारी अभियंता के प्रमाण पत्र तक की उक्त करार की शर्तें और निबंधन के अनुसार उक्त ठेकेदार द्वारा पूर्ण और समुचित रूप से किये जा रहे है तथा तदनुसार यह प्रतिभू निर्गमित की जा रही है, तक लगातार प्रवृत्त रहेगा।

5. हम.....(बैंक का नाम इंगित किया जाय) निगम के साथ अग्रतर सहमत है कि सरकार को हमारी राय और यहां नीचे हमारी बाध्यताओं की किसी रीति में प्रभावित किये बिना, उक्त करार के शर्त और निबंधनों में कोई अंतर किया बिना या समय–समय पर उक्त ठेकेदार द्वारा दक्षता की विस्तारित अवधि या किसी समय के लिए परिवर्तन या उक्त ठेकेदार के विरूद्ध निगम द्वारा समय–समय पर की गयी किसी शक्ति के प्रयोग की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और हम उक्त ठेकेदार के किसी ऐसे अंतर या विस्तारण या किसी पूर्व वहन के लिए निगम के किसी भाग पर छूट के कृत्य या उक्त ठेकेदार को निगम द्वारा कोई लाभ देने के लिए या किसी ऐसे मामले द्वारा या कोई भी चीज जिसे प्रतिभू से संबंधित विधि के अधीन हो किन्तु इस उपबंध के लिए इस प्रकार मुक्त करने का प्रभाव हो, के कारण से हमारी बाध्यताओं से मुक्त नहीं किया जा सकेगा।

6. यह प्रतिभू ठेकेदार या बैंक के गठन मे परिवर्तन के फलस्वरूप निर्गमित नही की जायेगी।

7. हम.....(बैंक का नाम इंगित किया जाय) अंत में यह अनुबंध करते है कि निगम की लिखित में पूर्व सहमति के सिवाय् इस प्रतिभू को रद्द नही किया जायेगा।

8. यह प्रतिभू निगम द्वारा मांग पर जब तक विस्तारित न की जाय. . . . . तक वैद्य होगी। ऊपर उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी इस प्रत्याभू के विरूद्ध हमारा दायित्व रूपया . . . . (रूपया शब्दों में. . . . . मात्र) तक प्रतिबंधित होगी और हमारी सभी बाध्यतायें इस प्रत्याभू के समाप्ति की तारीख या विस्तारित समय की समाप्ति के छः माह के भीतर लिखित में दावे के सिवाय् इस प्रतिभू के अधीन निर्बहन की जायेंगी।

. . . . . (बैंक का नाम इंगित किया जाय) के लिए दिनांक . . . . को हस्ताक्षरित ।

खण्ड 21

जमा प्रतिभूति और अनुपालन प्रत्याभूति की वापसी

21.1 जमा प्रतिभूति और अनुपालन प्रत्याभूति की वापसी के लिए शर्तें:

बॉण्ड या करार में उसकी प्रतिभूति की शर्तों के अनुसरण के सिवाय ठेकेदार को जमा प्रतिभतिू और अनुपालन प्रत्याभूति वापस नही की जायेगी।

21.1.1 समापन प्रमाण–पत्र का अभिलेखन:

कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा अभिलिखित समापन प्रमाण–पत्र के मामले में संबंधित प्रभागीय अधिकारी एक माह के भीतर उसे प्रतिहस्ताक्षरित करेगा। यदि अधिशासी अभियंता के निविदा की साधारण स्वीकार शक्ति से अधिक मूल्य के कार्य हों तो मूल प्रमाण पत्र उपखण्ड अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाना चाहिए और अधिशासी अभियंता द्वारा एक माह के भीतर प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। यदि उपखण्ड अधिकारी उपलब्ध नही है तो अधिशासी अभियंता को प्रमाण–पत्र स्वयं अभिलिखित करना चाहिए।

21.1.2 अनुपालन प्रत्याभूति की वापसी:

ठेकेदार को अनुपालन प्रत्याभूति कार्य के समापन के पश्चात तुरन्त वापस की जायेगी और उपर्युक्तानुसार समापन प्रमाण पत्र अभिलिखित किया जाएगा।

यद्यपि उसी भवन और सेवा/अन्य कार्य के सन्निमार्ण का पश्चात भवन और सेवा/अन्य कार्य के रखरखाव भी संविदा से सम्बद्ध हो तो अनुपालन प्रत्याभतिू की 50 प्रतिशत प्रतिभूति जमा रोक ली जायेगी। इसे वर्षवार अनुपातित दृष्टि से वापिस किया जायेगा।

21.1.3 जमा प्रतिभूति की वापसी:

(1) प्ररूप 7/8 में करार के विरूद्व सम्पादित कार्य के मामलों में कार्य के समापन पर किसी ठेकेदार को जमा प्रतिभूति की वापसी संविदा के खण्ड 17 से विनियमित होती है। यह खण्ड संविदा की शर्तों में किसी समापन प्रमाण पत्र के जारी होने से सम्बद्ध है। ऐसा समापन प्रमाण पत्र खण्ड 29 में उल्लिखित विवरणानुसार प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

(2) संविदा में यथाविहित अनुरक्षण की अवधि ऊपर लिखित प्रमाण पत्र में यथाअभिलिखित समापन की तारीख से जोड़ा जायेगा। ठेकेदार की जमा प्रतिभूति करार में यथा उल्लिखित विहित अनुरक्षण अवधि के पश्चात या अंतिम देयक को तैयार करने और उसके भुगतान हेतु पारित करने जो भी बाद में हो, को अधिशासी अभियंता द्वारा वापस की जानी चाहिए।

यद्यपि उसी भवन और सेवा/अन्य कार्य के सन्निमार्ण का पश्चात भवन और सेवा/अन्य कार्य के रखरखाव भी संविदा से सम्बद्ध हो तो अनुपालन प्रत्याभूति की 50 प्रतिशत प्रतिभूति जमा और 2.5 प्रतिशत प्रतिभूति जमा घटा कर इसे वर्षवार अनुपातित दृष्टि से वापिस किया जाना चाहिए।

जी सी सी के खण्ड 45 के अनुसार प्रतिभूति जमा को श्रम अधिकारी के अनापत्ति के अध्यधीन जारी किया जायेगा।

(3) प्रभागीय अधिकारी ठेकेदार को प्रतिभूति जमा की वापसी में विलम्ब पर नजदीकी नजर रखनी चाहिए और उसे इस प्रयोजन के लिए खण्ड में अनुरक्षित प्रतिभूति जमा की पंजी को समय–समय पर पुनर्विलोकित किया जाना चाहिए।

21.2 अंतिम देयक में विलम्ब के मामलों में जमा प्रतिभूति की वापसी:

(1) जहां अंतिम देयक के भुगतान में विलम्ब हुआ है, वहां अधीक्षण अभियंता ठेकेदार के विरूद्ध वसूली का आंकलन करेगा और ठेकेदार की जमा प्रतिभूति के जारी करने को रोकने के लिए कारण अभिलिखित करते हुए यथाशीघ्र जमा प्रतिभूति को जारी करने के आदेश करेगा। ये कारण उसके द्वारा लिखित में अभिलिखित किये जाने चाहिए।

(2) अधीक्षण अभियंता स्वयं का यह समाधान करेगा कि प्रतिभूति जमा के भागतः भुगतान के लिए अपनी विवेकीय शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व सभी संबंधितों द्वारा निम्नलिखित औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी है–

(एक) विभागीय अधिकारियों द्वारा पूर्ण की जाने वाली औपचारिकताएं,

(क) अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता द्वारा मापन का विहित परीक्षण की जांच कर ली गई है,

(ख) सक्षम अधिकारी द्वारा मदों की अतिरिक्त/प्रतिस्थापन की स्वीकृति,

(ग) क्षतिपूर्ति इत्यादि के अधिरोपण पर निर्णय,

(दो) ठेकेदार द्वारा पूर्ण किये जाने वाली औपचारिकताएं–

(क) ठेकेदार द्वारा विभाग को अंतिम मापन का प्रस्तुतिकरण और विभागीय अधिकारियों द्वारा अंतिम मापन की अधिप्राप्ति,

(ख) समय के विस्तार के लिए आवेदन जैसा और जब तुरन्त अपेक्षित हो,

(ग) विभागीय अधिकारियों द्वारा निकाली गयी कमियों का दूर किया जाना,

(घ) स्थल इत्यादि की अनापत्ति सहित सभी मामलों में कार्य का समापन,

(ड.) जैसा और जब प्रकाश में आये, कार्य के तुरन्त समापन पर विभाग द्वारा जारी अवशेष सामग्री की वापसी,

(3) ठेकेदार को उसकी जमा प्रतिभूति को वापस करने के लिए आवेदन पत्र की प्रतिक्षा करने की कोई आवश्यकता नही है। जब यह देय हो शीघ्रतिशीघ्र कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा इस प्रयोजन के लिए हस्तगत प्राप्ति तैयार की जानी चाहिए और भुगतान के लिए प्रभागीय अधिकारी को भेज देना चाहिए।

21.3 वसूली के प्रभावः

जब किसी ठेकेदार से वसूली देय हो जाय तो या उसी कार्य से या किसी अन्य कार्य से या प्रतिभूति जमा से ठेकेदार को देय धनराशि उसी प्रकार प्रभावित होनी चाहिए। अधिक भुगतान की गई धनराशि की वसूली पर कार्रवाई लंबित नही रखी जानी चाहिए या सुलह अधिकारी के सम्मुख आने वाले मामले के लिए लंबित नही रखी जानी चाहिए। सुलह अधिकारी द्वारा अवार्ड की शर्तों में कार्रवाई सक्षम अधिकारी द्वारा अवार्ड प्राप्ति के पश्चात कार्रवाई की जा सकेगी। अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली यथाशीघ्र प्रभावित होगी और वसूली सुलह प्रक्रिया के लंबित होने के दौरान लंबित नही रखी जानी चाहिए।

21.4 जमा प्रतिभूति की वापसी के लिए दावों पर समय सीमाः

प्रतिभूति जमा की वापसी के लिए दावे परिसीमन अधिनियम द्वारा आच्छादित है। परिसीमन की अवधि तीन वर्ष है जो देय होने के अधिकार की तारीख से प्रारम्भ होगा। वैयक्तिक संविदा सहित भुगतानिक जमा प्रतिभूति के मामले में अनुरक्षण अवधि के अधीन देय अधिकार या अंतिम देयक के भुगतान की तारीख जो भी बाद में हो, से उत्पन्न होंगे।

21.5 कार्य के विशिष्ट मदों से संबंधित जमा प्रतिभूति की वापसीः

(1) कार्य के कुछ विशिष्ट मदों के लिए जैसे दीमक उपचार, जल रोधक कार्य, मौसमी भटठे और रासायनिक उपचार, लकड़ी के सटर इत्यादि को विशिष्ट फर्मों या पंजीकृत ठेकेदारों जो इस संग्रह के प्रस्तर 15.3 (1) के अनुसार विशिष्ट अभिकरण से सम्बद्ध हो, कार्य को निष्पादित करने के लिए ठेकेदार/फर्म से यह पूछा जाना चाहिए कि वे प्रतिभूति अवधि के दौरान उनके द्वारा किये गये इन कार्यों में किसी कमी को दूर करने के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रतिभूति परिशिष्ट 13 में दिये गये प्ररूप पर ठेकेदार द्वारा निष्पादित की जाएगी।

(2) अग्रतर यह निर्णित किया जाना है कि ठेकेदार के देयक से घटाई गयी प्रतिभूति इस संबंध में संविदा की शर्तों के अनुसरण में अनुरक्षित अवधि की समाप्ति पर वापस कर दी जायेगी।

(3) प्रभागीय अधिकारी यद्यपि एक पंजी अनुरक्षित करेगा जिसमें खण्ड में किये जा रहे इन सभी कार्यों को अंकित करेगा तथा जिसे समय समय पर अधिशासी अभियंता द्वारा पुनर्विलोकित किया जायेगा। पंजी में निम्नलिखित विवरणों के शीर्षक होंगे––

(एक) कार्य का नाम

(दो) समापन की तारीख

(तीन) संक्षिप्त में विशिष्टिकरण

(चार) भुगतान दर

(पांच) फर्म/ठेकेदार का नाम

(छः) प्रत्याभूति अवधि के दौरान सूचित घटना की तारीख सहित सभी कमियों का इतिहास,

(सात) फर्म/ठेकेदार द्वारा उठाये गये कदम।

* फर्म/ ठेकेदार द्वारा किये कार्यों की दक्षता और विशेषता के बारे में स्वयं संदर्भण के इतिहास से सहायता मिलेगी।

21.6 प्रत्याभूति जमा की त्वरित वापसी के लिए प्रभागीय लेखाकार का उत्तरदायित्वः

ठेकेदार द्वारा प्रत्याभूति जमा की वापसी में विलम्ब को रोकने के क्रम में प्रभागीय लेखाकार प्रभागीय अधिकारी के सम्मुख प्रत्येक माह में सभी मामलों की एक सूची जिसमें प्रत्याभूति जमा वापसी के लिए देय है, रखेगा। जिससे संबंधित उपखण्ड अधिकारी से प्रभागीय अधिकारी द्वारा तुरन्त अपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सके और प्रत्याभूति जमा ठेकेदार को किसी अन्य प्राथना पत्र का इंतजार किये बिना प्रत्याभूति जमा वापस हो जाय।

खण्ड 22

करार/संविदा के अनिवार्य घटक

22.1 साधारण सिद्धान्त और दिशा निर्देश

(1) निविदा समिति को निविदा स्वीकार करने की पूर्ण शक्ति है और वे निविदा के आंमत्रित करने या स्वीकार करने से सम्बन्धित सहायक नियमों को बनाने और संविदा से जुड़े हुए सामान्य प्रक्रियाओं के लिये अधिकृत है।

(2) यहां यद्यपि निविदा को स्वीकार करने के लिये कतिपय सामान्य सिद्धान्त और दिशा–निर्देश अधिकथित है जिससे अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा देख–रेख हेतु संविदा या करार को ग्रहण करने और लोक निधि से उससे सम्बद्ध व्यय हेतु सशक्त किया जा सके।

(3) निदेशक मण्डल के आदेशों के अधीन या ऐसा करने के लिये प्राधिकृत किये जाने या निर्देशित किये बिना कोई अधीनस्थ प्राधिकारी कोई संविदा निष्पादित नहीं करेगा।

(4) निगम की प्रत्येक संविदा के लिये प्रबन्ध निदेशक को एक पक्षकार बनाया जाना चाहिये और जो संविदा को निष्पादित कर रहा है तथा जो कोई अधिकारी इसकी ओर से अधिकृत है के हस्ताक्षर के नीचे उसके पदनाम को दर्शाते हुए शब्द ''उत्तराखण्ड पेयजल निगम के प्रबन्ध निदेशक के लिये और उनकी ओर से'' अंकित किये जाने चाहिये।

(5) संविदा के निबन्धन शुद्ध और निश्चित होने चाहिये तथा उसमें संदिग्ध या अशुद्ध अर्थ लगाने का अवसर नहीं होना चाहिये। उत्तराखण्ड पेयजल निगम में इन सम्भावनाओं को दूर किये जाने के लिये मानक संविदा प्ररूप विहित किये गये है। मानक प्ररूपों में वैकल्पिक शर्त देते हुए विशिष्ट संविदा के लागू न किये जाने के लिये निश्चित लेखा रखा जायेगा। जिन मामलो में संविदा के मानक प्ररूपों का प्रयोग किया जाना सुविधाजनक न हो, में अंतिम रूप से संविदा के निष्पादित किये जाने से पूर्व आलेख में वित्त और विधि का परामर्श प्राप्त कर लिया जायेगा।

(6) उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा निष्पादित किये जाने वाले किसी करार की शर्तो में संविदा के किसी विशिष्टिकरण के लिये कोई छूट या निबन्धनों में कोई छूट ऐसी छूट के समुचित परीक्षण और परिणामों के बिना नहीं दी जायेगी। करार या संविदा के किसी छूट पर सहमति देने से पूर्व लोक कोषपाल के हित में सम्ययक सावधानी बरतनी चाहिये। आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय संविदा अभिलेख के पूर्व निष्पादन के बिना किसी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। यहां तक कि ऐसे मामलों में जहां कोई औपचारिक लिखित करार, आपूर्ति इत्यादि के लिये कोई आदेश न हुआ हो में करार के मूल्य के रूप में और अन्य शर्तो में लिखित करार के बिना प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।

(7) "लागत सहित" संविदा सिवाय ऐसे मामलों में जहां प्रबन्ध निदेशक की अनिवार्य रूप से और पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो, नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण :– "लागत सहित" संविदा से उत्पादन के वास्तविक मूल्य पर कोई नियत प्रतिशत या ईकाई या कोई नियत दर पर या तो आपूर्ति या सेवाओं से सम्बन्धित लाभ के उत्पादन के वास्तविक मूल्य के आधार पर अवधारित किसी संविदा के अधीन आपूर्ति या सेवाओं हेतु किये गये भुगतान की संविदा अभिप्रेत है।

(8) संविदा की शर्ते जब एक बार निष्पादित हो जाये तो सक्षम प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना जैसा निविदा/प्रस्ताव में अन्तर के लिये उसकी सहमति हो, में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(9) कोई संविदा जिसमें अनिश्चित या अनिश्चिय दायित्व या अप्रसागिंक प्रकृति की कोई शर्त हो को निदेशक मण्डल की पूर्व सहमति के बिना निष्पादित नहीं किया जायेगा।

22.2 करार का निष्पादन

(1) करार हस्ताक्षरित करने की शक्ति

(एक) "उत्तराखण्ड पेयजल निगम की ओर से या उनके लिये" कार्य के निष्पादन हेतु सभी करारों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदाओं को स्वीकार करने के पश्चात् प्रभागीय अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें।

(2) विलम्ब को दूर करना

सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी निविदा को स्वीकार करने पर यथाशीघ्र करार के निष्पादन में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिये।

(3) निविदा प्रपत्रों में शुद्धिकरण

(एक) प्रभागीय अधिकारी/उपप्रभागीय अधिकारी को यह देखा जाना चाहिये कि करार में उल्लिखित किसी मामले में अनुमोदित निविदा में विद्यमान में कोई शर्त त्रुटिपूर्ण नहीं है।

(दो) करार को हस्ताक्षर करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ऐसी कोई शर्ते अन्तस्थापित नहीं की गई है जो कि निविदा प्रपत्रों में उल्लिखित हो, यद्यपि एन.आई.टी. में सम्मिलित है। इसी तरह इसमें किसी त्रुटि के होने पर एन.आई.टी. द्वारा इसे शुद्ध किया जायेगा।

(4) करार में निविदा के स्वीकार करने की तारीख का अभिलेखन

निविदा के स्वीकार करने की तारीख जैसा निविदा के स्वीकार के पत्र में दर्शाया गया है और ठेकेदार को जारी कार्य के आदेश जिसे करार का एक भाग कहा जायेगा प्ररूप 7 या 8 जैसी स्थिति हो संविदा करार के पृष्ठ 4 के नीचे के भाग के स्थान में इंगित किया जाना चाहिये।

(5) करार का अभिलेख

निष्पादति किये गये करार के अभिलेख करार पंजी में रखी जानी चाहिये।

22.3 ठेकेदारो को संविदा प्रति की आपूर्ति

(1) संविदा अभिलेख के दो प्रतियां तैयार की जानी चाहिये और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर दोनो पक्षकारो के हस्ताक्षर होने चाहिये। एक प्रति ''मूल'' स्टाम्पित और दूसरे को ''द्वितीय प्रति'' के रूप में होना चाहिये। द्वितीय प्रति की निशुल्क आपूर्ति ठेकेदार को की जानी चाहिये।

(2) ठेकेदार द्वारा अपेक्षित किसी अन्य प्रति के लिये प्रत्येक प्रति हेतु निम्नलिखित मूल्य अधिरोपित किया जाना चाहिये–

(एक) 1 लाख रू0 तक के मूल्य के कार्य– 150 रू0

(दो) रू0 1 लाख से रू0 50 लाख तक के मूल्य के कार्य – 500 रू0

(तीन) रू0 50 लाख से अधिक रू0 2 करोड़क तक के मूल्य के कार्य –1000 रू0

(चार) रू0 2 करोड़ से अधिक मूल्य के कार्य – 1500 रू0

(3) अतिरिक्त प्रति को ''त्रि–प्रति'' के रूप में चिन्हाकित नहीं किया जाना चाहिये किन्तु इसे सत्यप्रति के रूप में केवल प्रमाणित किया जाना चाहिये।

22.4 करारो का अभिप्रमाणन और सुरक्षित अधिरक्षा

(1) करारो की शुद्धता

सक्षम अधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित आंमत्रित निविदा सूचना के साथ अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के कार्यालय में करारों को समुचित रूप से जांचा और तुलन किया जाना चाहिये। अधिशासी अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित करार के सम्बन्ध में औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित करार के पश्चात् इस क्रम में पायी गई किसी त्रुटि के लिये प्रभागीय लेखाकार वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होगे। इसके अलावा उसे यह सुनिश्चित करना चाहिये कि करार सभी रीति से पूर्ण है और स्वीकार कारार की प्रतियां सम्बन्धित प्राधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है।

(2) करारों की अधिरक्षा:

(एक) मूल संविदा अभिलेख प्रभारी अभियन्ता (अधिशासी अभियन्ता) की वैयक्तिक अभिरक्षा में रखे जाने चाहिये और प्राप्ति प्राप्त करने के पश्चात् जब कभी उसके द्वारा अपेक्षित हो प्रभागीय लेखाकार को दी जानी चाहिये।

(3) करार की प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति:

(एक) प्रभागीय अधिकारी से किसी उच्च प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किये गये निविदाओं के लिये करारों की प्रमाणित प्रति उस अधिकारी को प्रभारी अभियन्ता द्वारा उपलब्ध करानी चाहिये। निविदा को स्वीकार करने वाले प्राधिकारी प्रभागीय अधिकारी से करार की प्रति प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित करेगें कि करार स्वीकार निविदा के अनुसरण में है और यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसे प्रभागीय अधिकारी को संसूचित करेगा।

(दो) प्रभागीय अधिकारी शुद्धियों को सम्मिलित करेगा और करार की प्रमाणित प्रतियां निम्नलिखित को प्रेषित करेगा–

(क) निविदा स्वीकारकर्ता प्राधिकारी,

(ख) मुख्य लेखाधिकारी,

(ग) प्रभागीय लेखाकार

(घ) प्रभारी सहायक अभियन्ता

(ड) प्रभारी कनिष्ठ अभियन्ता

(तीन) यह देखा जायेगा कि अंकेक्षण और लेखा कार्यालय को प्रतियों की आपूर्ति में पर्याप्त विलम्ब हुआ है। निर्देशों के अनुसरण में किसी निविदा के स्वीकार होने के चार सप्ताह के भीतर अंकेक्षण/वेतन और लेखा कार्यालय को अपेक्षित प्रति की आपूर्ति कर दी गई है।

(4) करार का अभिप्रमाणन

(एक) प्रभागीय अधिकारी को करार के प्रत्येक प्रति को ''सत्यप्रति'' के रूप में अभिप्रमाणित करनी चाहिये और ऐसे अभिप्रमाणन के रूप में उसके पूर्ण हस्ताक्षर होने चाहिये।

(दो) करार की मूल, द्वि–प्रति और सभी प्रतियां समुचित रूप से स्टाम्पित होनी चाहिये।

(5) औपचारिक करार के निष्पादन के बिना प्रथम भुगतान अधीक्षण अभियन्ता से विशिष्ट स्वीकृति के बिना ठेकेदार को नहीं किया जाना चाहिये। अगले भुगतान भी करार के हस्ताक्षरित होये बिना नहीं किये जाने चाहिये।

22.5 पुराने करारो का विनिष्टिकरण

(1) समिति की संचरचना

पुराने करारों के विनिष्टिकरण के लिये मुख्य अभियन्ता द्वारा निम्नलिखित से संरचित एक समिति का गठन किया जायेगा–

(क) अधीक्षण अभियन्ता;

(ख) मुख्य अभियन्ता का वित्तीय अधिकारी ;

(ग) सम्बन्धित खण्ड का अधिशासी अभियन्ता;

(घ) सम्बन्धित खण्ड का प्रभागीय लेखाकार।

(2) समिति न्यूनतम 10 वर्ष पूर्व के सभी करारो जिनके अंतिम देयको का भुगतान हो चुका है का पुनर्विलोकन करेगी और यह निर्धारित करेगी कि किसे विनिष्ट किया जाये। बिन्दुओं पर विचार करते समय (क), (ख) और (ग) निम्नवत् होगे–

समिति ऐसे अभिलेखो के विनिष्टिकरण/नष्ट करने से पूर्व निम्नलिखित प्रमाण पत्र अभिलिखित करेगी।

(क) करार विधिक संदर्भण, जैसे सुलह/न्यायलीय मामले या ठेकेदार/विभाग के किसी अन्य दावों के लिये सुरक्षित रखना अपेक्षित नहीं है।

(ख) करार किसी लम्बित साम्विधिक अंकेक्षण/आन्तरिक अंकेक्षक या कोषपाल/निगम को प्रभावित करने वाले किसी लेखा के निस्तारण के लिये सुरक्षित रखना अपेक्षित नहीं है।

(ग) समिति संतुष्ट है कि यह अभिलेख किसी अन्य संदर्भण मामलो इत्यादि के लिये अपेक्षित नहीं है और ऐसे अभिलेखों के सम्बन्ध में भविष्य में कोई दावा उत्पन्न नहीं होगा।

(3) समिति सभी करारो जिन्हे विनिष्ट किया जाना है, प्ररूप के अनुसार (नीचे परिशिष्ट में दिये गये) ऐसे अभिलेखों की एक सूची भी तैयार करेगी।

22.6 अनुपूरक करार:

(1) लघु मदों के लिये प्रारम्भ पूर्ण करारो को रखने की जहां आवश्यकता न हो जिसकी तुरन्त सम्भावना नहीं है–

(एक) कतिपय अपेक्षित जिसमें ठेकेदारों को उत्तरदायित्व नहीं है, या

(दो) सन्निर्माण/शुद्धिकरण कार्यो के पूर्ण होने के पश्चात् किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये अनुरक्षण का निष्पादन/उपस्करों का संचालन और संस्थापन का निष्पादन,

ऐसे मामलो में मुख्य संविदा का अंतिमीकरण किया जा सकेगा और शेष अवशिष्ट कार्य परिशिष्ट 14 द्वारा विहित प्ररूप पर अनुपूरक करार के रूप में निष्पादन द्वारा उसी ठेकेदार के माध्यम से पूर्ण किया जायेगा।

(2) मूल संविदा के उपबन्धों के क्रम में संविदा को स्वीकार करने वाला सक्षम प्राधिकारी अनुपूरक करार को निष्पादित करेगा।

(3) प्रथम या मूल करार के विरूद्ध ठेकेदार द्वारा कर लिये गये कार्य के सम्बन्ध में देयक अंतिम देयक प्ररूप (पीले पेपर) पर अंनतिम शब्द उसके ऊपरी भाग पर देयक के क्रमाक संख्या की प्रवृष्टि के साथ उक्त देयक प्ररूप में प्रविष्टि की जानी चाहिये। अनुपूरक करार की शर्त 2 (च) के अनुरूप दो करारों के

अधीन सम्पूर्ण कार्य से सम्बन्धित अंतिम देयक जो कि मूल और अनुपूरक करार है, के सम्पूर्ण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् अंतिम देयक प्ररूप (पीले पेपर) पर तैयार किया जायेगा।

22.7 करार की पूर्णताः

उत्तराखण्ड पेयजल निगम के प्रबन्ध निदेशक के लिये और उनकी ओर से अधिशासी अभियन्ता तथा ठेकेदार के मध्य निष्पादित होने वाले करार की पूर्ण रूप से समुचित देख–रेख की जानी चाहिये।

(1) करार के घटक

(क) कोई पूर्ण करार–

(एक) प्ररूप 6 पर निविदा आमंत्रण सूचना (जिसे प्रभागीय अधिकारी द्वारा स्वीकार करने के लिये वह सक्षम है या नही है)।

(दो) संविदा के लिये प्रयुक्त पम्पलेट या कोई अन्य प्ररूप ।

(तीन) मात्राओं की अनुसूची जिसमें कार्य की मदे, मात्रा, दर, ईकाई, धनराशि इंगित हो।

(चार) निविदा को प्रस्तुत करने के लिये ठेकेदार का पत्र।

(पांच) ठेकेदार के अन्य पत्र और विभागीय अधिकारी के मध्य निविदा को स्वीकार करने हेतु पत्र व्यवहार ।

(छः) निविदा को स्वीकार करने की सूचना का अधिशासी अभियन्ता का पत्र, और

(सात) कार्य को प्रारम्भ करने के लिये अधिशासी अभियन्ता द्वारा जारी पत्र (ठेकेदार द्वारा अनुपालन प्रतिभू/प्रत्याभू के प्रस्तुतीकरण के पश्चात्)

(ख) उत्तराखण्ड पेयजल निगम सुरक्षा संहिता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम या उसके ठेकेदारो द्वारा कार्यरत कर्मचारियों के लिये स्वास्थ्य की सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्था हेतु आर्दश नियम, उत्तराखण्ड पेयजल निगम ठेकेदार श्रमिक विनियमन, उचित मजदूरी खण्ड इत्यादि करार के भाग होने चाहिये।

(2) ठेकेदार द्वारा सभी शुद्धिकरण सिलीप पर हस्ताक्षरः

संज्ञान में यह आया है कि जब करार पूर्ण किया जाता है तब अपेक्षित शुद्धिकरण सिलीप की कई संख्या होती है। कुछ मामलों में ठेकेदार एक या एक से अधिक शुद्धिकरण सिलीप पर हस्ताक्षर करने में असफल रहते है जिसके परिणामस्वरूप विभाग के अंसम्बद्ध दावे और विवाद बढ़ते है। अतः ऐसे सभी शुद्धिकरण, विस्तारिकरण, परिवर्धन या करार के साथ सम्बद्ध सिलीप पर सम्यक रूप से ठेकेदार और अधिशासी अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षर कर लिये गये है पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये।

परिशिष्ट

विनिष्टिकरण और पुराने अनुबंधों का विनिष्ट करने के लिए प्ररूप

{संदर्भित प्रस्तर 22.5 (3)}

(1) खंड..... (2) क्षेत्र.....

(3) मण्डल..... (4) अधिशासी अभियंता.....

(5) अधीक्षण अभियंता..... (6) मुख्य अभियंता.....

क्रमं.	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	अभिकरण	प्रारम्भ की तिथि	पूर्ण करने की तारीख(समावित)	पूर्ण करने की तारीख(वास्तविक)	निविदा में रखा गया आगणित मूल्य	निविदा मूल्य	प्रतिशत ऊपर/नीचे	अंतिम देयक का वाउचर नं0 और तारीख	अंतिम देयक की धनराशि	सम्परीक्षा प्रस्तर, यदि कोई हो	सुलह प्रकरण यदि कोई हो	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

खण्ड – 23

कार्य की अतिरिक्त प्रतिस्थापित और परिवर्तित मदें

23.1 परिवर्तन

1. परिवर्तन से अभिप्राय है मदों की मात्राओं में परिवर्तन, अर्थात् करार में कार्य की मदों की मात्रा में कमी या वृद्धि।
2. अनुरक्षण कार्यों, जिनमें उच्चीकरण, सौंदर्य, विशेष मरम्मत, परिवर्धन/परिवर्तन के कार्य भी सम्मिलित हैं, के लिये करार की पूर्णता लागत, संविदा राशि के 1.25 गुने से अधिक नहीं होगी।

23.1.1 निश्चित सीमा से अधिक परिवर्तित मात्रा के लिये बाजार दर

क. जी.सी.सी. के खण्ड 12.2 के उपबंधों के अनुसार, संविदा की अनुसूची ''च'' में अनुबंधित सीमा से अधिक परिवर्तित होने वाली करार मदों, प्रतिस्थापित मदों और करार व प्रतिस्थापित मदों के मामले में आदेश की प्राप्ति से या अधिकता होने की तिथि से 15 दिन के भीतर ठेकेदार अधिक मात्राओं के लिये उचित विश्लेषण से समर्थित हो कर दरों के संशोधन का दावा कर सकता है। प्रभारी अभियंता (ई.ई.) ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण पर विचार के उपरान्त करेगा तथा बाजार दरों के आधार पर दरों का अवधारण करेगा। इसके अतिरिक्त जी.सी.सी. के खण्ड 12.3 में उपबंधों के अनुसार, यदि बाजार दरें करार की दरों से कम हैं तो प्रभारी अभियंता द्वारा अधिकता होने के एक माह के भीतर ठेकेदार को नोटिस दिया जाये तथा ठेकेदार के उत्तर पर विचार करते हुए बाजार दरों के आधार पर दरें तय की जायें।

दरें, समर्थन में अपनाये गये तरीके के अनुसार सुसंगत मद में, अधिकता होने के समय प्रचलित सामग्री/श्रम की बाजार दरों द्वारा निकाली जायेगी।

ख. <u>अनुरक्षण कार्यों जिनमें उच्चीकरण, सौंदर्य, विशेष मरम्मत, परिवर्धन/परिवर्तन सम्मिलित हैं, के लिये</u>: –

यदि संविदा मदें, जो अनुसूची ''च'' में निर्धारित सीमाओं को पार कर जाती हैं तो ठेकेदार, को बी.ओ.क्यू में विनिर्दिष्ट दरों पर भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जी.सी.सी. के खण्ड 12.3 के उपबंधों के अनुसार, यदि बाजार दरें करार दरों से कम हैं तो प्रभारी अभियंता द्वारा, अधिकता होने के एक माह के भीतर ठेकेदार को नोटिस दिया जाये और ठेकेदार उत्तर पर विचार करते हुए बाजार दरों के आधार पर दरें तय की जायेगी।

23.1.2 परिवर्तनों की स्वीकृति

क. परियोजना और मूल कार्यों के लिये: –

संविदा के उपबंधों के अधीन दरें स्वीकृत करने के दायित्व के अलावा, प्रत्येक मद हेतु उच्च या निम्न ओर मात्राओं में परिवर्तन पर उचित जांच आवश्यक है। परिवर्तन मदों की मंजूरी में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेंगी: –

1. अधिकारियों द्वारा परिवर्तन की स्वीकृत उनको प्रत्यायोजित शक्तियों के आधार पर दी जायेगी।
2. किन्हीं प्रतिस्थापित/अतिरिक्त/पहले से स्वीकृत मदों की मात्राओं में परिवर्तन होने पर सक्षम प्राधिकारी से संशोधित स्वीकृति ली जायेगी।
3. किसी मद/अतिरिक्त मदों में कुल परिवर्तन केवल एक ऐसे प्राधिकारी, द्वारा स्वीकृत किया जायेगा जो कि मद में कुल परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान करने के लिये सक्षम हो।
4. ऋण परिवर्तन, परिवर्तन की सीमा को ध्यान में रखे बिना करार दर के आधार पर स्वीकृति किया जायेगा।

   परिवर्तन विवरण की राशि, सभी वैयक्तिक मदों की परिवर्तित राशियों के पूर्ण मूल का योग होंगी।

ख. अनुरक्षण कार्यों, जिनमें उच्चीकरण, सौंदर्य, विशेष मरम्मत, परिवर्धन/परिवर्तन कार्य सम्मिलित हैं के लिये: –

अनुसूची ''च'' में तय की गई सीमाओं को पार करने वाली संविदा मदों के मामले में ठेकेदार को बी.ओ.क्यू में विनिर्दिष्ट दरों पर भुगतान किया जायेगा। जी.सी.सी/संविदा के खण्ड 12.3 के अधीन दरों की स्वीकृति के दायित्व के साथ–साथ प्रत्येक मद हेतु उच्च/निम्न ओर मात्राओं में परिवर्तन पर एक उचित जांच की आवश्यकता है। परिवर्तनों पर उचित जांच हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी: –

1. करार मात्राओं के 10 प्रतिशत तक वैयक्तिक मद विशेष की मात्राओं में परिवर्तन के लिये तकनीकी स्वीकृति प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी और परिवर्तन की मंजूरी आवश्यक नहीं होगी।
2. 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक किन्तु संविदा के खण्ड 12 के अधीन विनिर्दिष्ट परिवर्तन प्रक्रिया के भीतर वैयक्तिक मद की मात्राओं में परिवर्तन के लिये तकनीकी स्वीकृति प्राधिकारी का पूर्वानुमोदन

आवश्यक नहीं होगा किन्तु कुल परिवर्तन (प्राथमिक 10 प्रतिशत सहित) शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

3. यदि विशेष मद की मात्रा का कुल परिवर्तन, संविदा के खण्ड 12 के अधीन विनिर्दिष्ट परिवर्तन सीमा से अधिक है तो 10 प्रतिशत की सीमा से आगे परिवर्तन, तकनीकी स्वीकृति प्राधिकारी के सैद्धांतिक अनुमोदन के बिना स्थल पर अनुमन्य नहीं किया जाना चाहिये। एक बार सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर कुल परिवर्तन (10 प्रतिशत सहित) शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

4. प्रतिस्थापित/अतिरिक्त मदों/पहले से स्वीकृत मदों में परिवर्तन होने पर सक्षम प्राधिकारी से संशोधित स्वीकृति मात्र ली जाये।

5. एक मद की मात्रा में कुल परिवर्तन की मंजूरी केवल उस अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी जो मद में कुल परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम हो।

6. ऋण परिवर्तन, परिवर्तन सीमा को ध्यान में रखे बिना, दर करार के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा। परिवर्तन विवरणकी राशि सभी मदों की परिवर्तित राशि के पूर्ण मूल्य का योग होगा

23.2 अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदें

23.2.1 परिभाषाएं

1. कार्य की अतिरिक्त मदें वे मदें हैं जो पूर्णतया नई हैं तथा संविदा में समावेशित मदों से अतिरिक्त हैं।

2. प्रतिस्थापित मदें वे मदें हैं जो आंशिक संशोधन के साथ या संविदा में कार्य की मदों के बदले में ली जाती हैं।

3. एक करार मद अनेक मदों द्वारा प्रतिस्थापित की जा सकती है।

4. क. <u>परियोजना एवं मूल कार्यों के लिये: –</u>

अनुसूची "च" में परिभाषित किये गये अनुसार परिवर्तन सीमा तक करार मद के विरूद्ध निष्पादित किसी प्रतिस्थापित मद की दर संविदा/जी.सी.सी के खण्ड 12.2 के उपबंधों के अनुसार निकाली जायेगी। परिवर्तन सीमा से अधिक निष्पादित प्रतिस्थापित मद की शेष मात्रा की दर, बाजार दर के आधार पर अवधारित की जायेगी।

ख. अनुरक्षण कार्यों, जिनमें उच्चीकरण, सौन्दर्य, विशेष मरम्मत, परिवर्धन/परिवर्तन कार्य सम्मिलित हैं: – किसी प्रतिस्थापित मद/मदों की दर, अनुसूचित मद (एस.ओ.आर मद) होने पर, अनुसूचित दर धन उद्धृत संविदा राशि के उच्च/निम्न प्रतिशत धन/ऋण लागत सूचकांक (निविदाकरण के समय प्रचलित) धन अनुसूचित दर के अनुसार भुगतान किया जायेगा। यदि यह एक अनानुसूचित मद है (गैर एस.ओ.आर मद) है तो प्रतिस्थापित मद का भुगतान उसके होने (निष्पादन के समय पर बाजार में प्रचलित दरों के अनुसार किया जायेगा)।

23.2.2 मद शब्दावली

सक्षम प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों के शब्द उचित रूप से संरचित किये जायें ताकि स्थल में निष्पादन के यथावत ढंग को प्रक्षेपित कर सकें।

23.2.3 सक्षम प्राधिकारी की आवश्यक पूर्वानुमति

1. तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा आवश्यकता की पूर्व सहमति प्रदान किये बिना कोई अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मद निष्पादित नहीं की जानी चाहिये। किन्तु परियोजनाओं/मूल कार्यों के लिये ई.आई/एस.आई. मद हेतु टी. एस प्राधिकारी का सैद्धांतिक अनुमोदन आवश्यक नहीं है।
2. प्रतिस्थापित/अतिरिक्त मदों की मंजूरी के लिये शक्तियां, पृथक रूप से विभाग में प्रत्यायोजित की गई हैं।
3. सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता को उन अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों का पूर्वानुमान लगाना चाहिये जिनकी कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यकता होगी और वे सक्षम प्राधिकारी से इसके लिये ऊपर उप–पैरा(1) के अनुसार पूर्व सहमति प्राप्त करने के पश्चात् मामले की पहल करेंगे। कार्य के निष्पादन में विलंब को न्यूनतम रखने के लिये सभी स्तरों पर इन मामलों का समेकित रूप से प्रक्रमण किया जायेगा किन्तु परियोजनाओं/मूल कार्यों के ई.आई./एस.आई मद हेतु टी.एस प्राधिकारी का सैद्धांतिक अनुमोदन आवश्यक नहीं है।
4. ऐसी मदों के विचार काल पर अधिशासी अभियंता और उच्च अधिकारियों द्वारा निरन्तर निगरानी रखी जायेगी। ठेकेदारों द्वारा बड़े मूल्य के कार्यों जिनमें ठेकेदारों द्वारा ऐसी लंबित मदों को रेखांकित किया जाये, हेतु मासिक प्रगति आख्या जमा करने के संबंध में इस पुस्तिका के पैरा 5.5 का संदर्भ लिया जाये।

23.3 परिवर्तित/अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों हेतु दरों का अवधारण

क. <u>परियोजनाओं और मूल कार्यों के लिये</u>: –

1. अनुमन्य सीमा से अधिक अतिरिक्त मदों और परिवर्तित मदों की दर, इन मदों के निष्पादन के प्रारम्भ होने के समय पर प्रचलित बाजार दरों पर निकाली जायेगी। प्रतिस्थापित मदों के लिये, मूल मद की करार दर को मूल व प्रतिस्थापित मदों की बाजार दरों के मध्य अंतर हेतु समायोजित किया जायेगा। बाजार दरों पर दरों का विश्लेषण उन्हीं पंग्तियों पर होना चाहिये जिन्हें निविदा के समर्थन में अपनाया गया था।

2. दरें निकालने के लिये ठेकेदार को अपनी दरें, सभी अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों हेतु उचित विश्लेषण के साथ प्रस्तुत करनी चाहिये। दरों को अंतिम रूप देते समय या सक्षम प्राधिकारी के पास अनुमोदन प्राप्त करने के लिये विवरण भेजते समय, प्रभारी अभियंता द्वारा इन पर उचित रूप से विचार किया जायेगा।

3. सेवा कर (प्रभारी अभियंता द्वारा यह संतुष्टि कर लेने पर कि ठेकेदार ने वास्तव में कर का भुगतान कर दिया है, इसकी ठेकेदार को प्रतिपूर्ति कर दी जायेगी) के कारण दरों के विश्लेषण में कुछ जोड़ा नहीं जाना चाहिये किन्तु लागू हुए अनुसार अन्य सन्निर्माण श्रमिक उपकर अधिनियम, 1996 और वैट/कार्य संविदा कर का प्रभाव परिवर्तित/अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों के विश्लेषण में भी जोड़ा जायेगा। विवरण हेतु इस पुस्तिका का पैरा 19.4, 3.1 का संदर्भ लें।

अनुरक्षण कार्यों, जिनमें उच्चीकरण, सौन्दर्य, विशेष मरम्मत, परिवर्धन/परिवर्तन कार्य सम्मिलित हैं, के लिये: – अतिरिक्त मदों/प्रतिस्थापित मदों के अनुसूचित मदें (एस.ओ.आर मदें) होने पर उनका भुगतान, अनुसूचित दर धन लागत सूचकांक (निविदाकरण के समय) धन/ऋण उद्धृत संविदा राशि से उच्च/निम्न पतिशत के अनुसार किया जायेगा। अनानुसूचित मदों के मामले में अतिरिक्त मदों या प्रतिस्थापित मदों का भुगतान, स्थल पर मद के होने/निष्पादन के समय पर प्रचलित बाजार दरों पर किया जायेगा। संविदा मदें जो अनुसूची ''च'' में तय की सीमाओं को पार कर जाती हैं के मामले में ठेकेदार को बी.ओ.क्यू में विनिर्दिष्ट दरों का भुगतान किया जायेगा।

23.4 अग्राह्य मदों का मापन

ऐसी मदें जिनका ठेकेदार द्वारा दावा किया जाता है किन्तु विभाग के विचार में वे भुगतान के लिये ग्राह्य नहीं हैं, के मामले में केवल रिकार्ड के उद्देश्य से, बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले मापन रिकार्ड किया जाना चाहिये ताकि यदि बाद में ठेकेदार का दावा स्वीकार करने का निर्णय लिया जाता है तो उस किये गये कार्य की मात्रा के अवधारण में कोई कठिनाई न आये। तथापि, भुगतान के विरूद्ध सुरक्षा हेतु एस. बी. में ऐसे मापन के समक्ष लाल स्याही से एक उपयुक्त टिप्पणी दी जायेगी।

23.5 ठेकेदार को आपूर्ति की गई अनुबंधित सामग्री पर ऊपरी खर्च अनुमन्य करते हुए अतिरिक्त मदों हेतु दरें

परियोजना और मूल कार्यों के लिये अतिरिक्त मदों हेतु दरों का विश्लेषण करते समय संविदा में उपबंधित सामग्रियों की निर्गत दरों के ऊपर ऊपरी खर्च के रूप में 2.5 प्रतिशत जोड़ा जाये। प्रतिशत में निम्नलिखित प्रभार सम्मिलित हैं: –

प. ठेकेदार का कार्यालय व्यय।

पप. सामग्रियों का भण्डारण।

पपप. चढ़ाई–उतराई व अन्य आकस्मिक प्रभार। प्रतिशत में परिवहन प्रभार सम्मिलित नहीं हैं।

खण्ड – 24

स्थल आदेश पुस्तिका और निरीक्षण रजिस्टर

24.1 स्थल आदेश पुस्तिका का रखरखाव

1. स्थल आदेश पुस्तिका का रखाव संलग्नक 15 में निर्धारित प्रपत्र में किया जायेगा। स्थल आदेश पुस्तिका छपवाई जायेगी तथा इसमें पृष्ठ संख्या अंकित जायेंगी। इसे अधिशासी अभियंता द्वारा जारी किया जायेगा तथा कार्य की मात्रा पर निर्भर करते हुए इसे विभिन्न आकारों और पर्याप्त पृष्ठ संख्या के साथ छपवाया जायेगा।

2. प्रत्येक स्थल आदेश पुस्तिका के साथ एक कोरा पन्ना संलग्न किया जाये जिसमें स्थल आदेश पुस्तिका के रखरखाव के संबंध में अनुदेशों का समावेश हो सके।

3. इसका रख–रखाव उचित रूप से किया जाये तथा माप पुस्तिका की भांति इसे कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 5 वर्ष या कार्य के सभी विवाद/ माध्यस्थम का निपटारा, दोनों में से जो बाद में हो, तक संरक्षित रखा जाये।

4. स्थल आदेश पुस्तिकाओं के रखाव के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी: –

   क. अधीक्षण अभियंता और उससे ऊपर की श्रेणी के वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण नोट्स के द्वारा अपने प्रेक्षण प्रदान करेंगे।

   ख. <u>वरिष्ठ अधिकारियों के मौखिक आदेश</u>: –

   जब कभी स्थल पर कोई वरिष्ठ अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारी को मौखिक आदेश देता है तो यह आवश्यक है कि वह ऐसे आदेशों की पुष्टि लिखित में करे। किसी भी मामले में यह कनिष्ठ अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह उन्हें लिखित में पुष्ट करवाये। यद्यपि, सभी मामलों में मौखिक आदेशों की लिखित में पुष्टि होनी चाहिये, पुष्टि न होने के कारण इनके क्रियान्वयन में देरी नहीं होनी चाहिये।

   ग. <u>स्थल निरीक्षण के दौरान वास्तुविद् के प्रेक्षण</u>: –

   निरीक्षण करते समय वास्तुविद् पृथक निरीक्षण नोट्स के द्वारा वास्तु–त्रुटियों की ओर ध्यान दिलायेगा तथा तकनीकी, संविदाकृत और वित्तीय दृष्टियों से उचित जांच के पश्चात् फील्ड़ स्टाफ़ इन पर कार्य करेगा।

घ. जहां तक अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता का संबंध है, उन्हें इस संकेत के रूप में सदैव स्थल आदेश पर हस्ताक्षर करने चाहिये कि उन्होंने विभिन्न अधिकारियों द्वारा दिये अनुदेशों को पढ़ लिया है और उनका उत्तर दे दिया है। यदि अधिशासी अभियंता या सहायक अभियंता स्वयं अनुदेश देना चाहता है तो उसे स्थल आदेश पुस्तिका में इन्हें रिकार्ड करना चाहिये। महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में उन्हें निरीक्षण नोट्स के द्वारा ऐसे आदेशों का संवाद लिखित में करना आवश्यक होगा।

ङ. कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता यदि यह पाता है कि कोई त्रुटिपूर्ण कार्य हो रहा है या ठेकेदार संविदा के किन्हीं निबंधनों का अनुपालन नहीं कर रहा है या यदि कार्य में कोई विलंब हो रहा है तो वह स्थल आदेश पुस्तिका में इस संबंध में अपने प्रेक्षण दर्ज करेगा।

च. कार्य के स्थल पर स्थल आदेश पुस्तिका रखी जानी चाहिये तथा किसी भी परिस्थिति में इसे वहां से हटाया न जाये।

छ. **ठेकेदार द्वारा प्रेक्षणों का अभिलेखनः –**

ठेकेदार या उसका अधिकृत अभिकर्ता भी इस पुस्तिका में अपनी कठिनाईयां इत्यादि अंकित करने के लिये स्वतंत्र होगा।

ज. **आदेशों/अनुदेशों के अनुपालन का अभिलेखनः –**

पर्यवेक्षक स्टाफ़ द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन और इन अनुपालनों की तिथियां भी कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा स्थल आदेश पुस्तिका में अभिलिखित कर हस्ताक्षर करने चाहिये व दिनांक डालना चाहिये। अधिशासी अभियंता द्वारा स्थल आदेश पुस्तिका की आवधिक समीक्षा करनी चाहिये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह उचित रूप से रखी जा रही है। इसका उचित उपयोग किया जा रहा है।

झ. **भुगतान जारी करने से पहले स्थल आदेश पुस्तिका का सत्यापनः–**

ठेकेदार को भुगतान किये जाने के समय स्थल आदेश पुस्तिका का अवलोकन किया जाये। सहायक अभियंता को ठेकेदार द्वारा जमा देयकों पर इस प्रभाव का प्रमाण पत्र लिखित करना चाहिये कि इन बिलों पर हस्ताक्षर करने से पहले स्थल आदेश पुस्तिका का सत्यापन किया गया है। इससे सहायक अभियंता को यह सुनिश्चित करने में

सहायता मिलेगी कि निर्माण के दौरान ध्यान में लायी गई त्रुटियों को सुधार लिया गया है अथवा नहीं तथा साथ ही कार्य की उन मदों जिनके लिये त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया गया था किन्तु उन्हें सुधारा नहीं गया, के लिये भुगतान करने से पहले यदि आवश्यक हो, आंशिक दरें प्रस्तावित करने में भी सहायता मिलेगी।

24.2 निरीक्षण पंजिका रखना

1. प्रत्येक कार्य स्थल पर एक निरीक्षण रजिस्टर रखा जाना आवश्यक है जिसे विधिवत् अधिशिासी अभियंता द्वारा जारी किया जायेगा और डिविजन कार्यालय द्वारा इसका डॉकेटन किया जायेगा।
2. निरीक्षण पंजिका हेतु प्रपत्र नीचे दिये संलग्नक के अनुसार होगा।
3. वरिष्ठ अधिकारियों के स्थल भ्रमण के संबंध में: –
   i. जब कभी अधीक्षण अभियंता स्थल का भ्रमण करें तो वह अपने भ्रमण की तिथि व समय, निरीक्षित की गई मदें और अपने प्रेक्षण अभिलिखित करेगा। यदि कोई त्रुटियां दृष्टिगोचर न आयें तो भी भ्रमण की प्रविष्टि की जाये।
   ii- इसी प्रकार, मुख्य अभियंता अपने भ्रमणों के कम से कम 50 प्रतिशत भ्रमणों में निरीक्षण रजिस्टर में अपने प्रेक्षण अभिलिखित करेगा तथा अन्य दौरों में कार्य स्थल पर अपने भ्रमण के संकेत के रूप में निरीक्षण रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेगा।
   iii- यदि किसी कारण वश, मुख्य अभियंता ऐसा करने की स्थिति में नहीं है तो वह अधिशासी अभियंता को निर्देशित करेगा कि वह निरीक्षण रजिस्टर में उसके प्रेक्षण अभिलिखित कर पुष्टि हेतु इन प्रेक्षणों की एक प्रति मुख्य अभियंता को भेजेंगे।
4. विकल्पत:, मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता निरीक्षण आख्या जारी कर सकते हैं, जिनकी प्रतियां निरीक्षण आख्या में चिपकाई जायेंगी।
5. यह अधिशासी अभियंता की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करे कि अभिलिखित आख्या द्वारा या निरीक्षण आख्या संलग्न कर निरीक्षक अधिकारियों के प्रत्येक भ्रमण के प्रेक्षण आख्या पंजिका में उपलब्ध हैं।
6. वरिष्ठ अधिकारियों के प्रेक्षणों को स्थल आदेश पुस्तिका में अभिलिखित करना –

अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता ऐसे प्रेक्षणों और त्रुटियों, जिन पर ठेकेदार को कार्रवाई करनी है, निरीक्षण रजिस्टर में उपयुक्त परस्पर संदर्भ देते हुए स्थल आदेश पुस्तिका में लेगा।

7. अनुपालन हेतु प्रेक्षणों की समीक्षाः –

यह भी आवश्यक है कि मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता द्वारा निरीक्षण पंजिका में अभिलिखित प्रेक्षणों की, उनके अगले दौरों के समय समीक्षा की जाये ताकि उनका अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

8. इनकी समीक्षा गुणवत्ता आश्वासन निरीक्षण के दौरान भी की जानी आवश्यक है।

निरीक्षण रजिस्टर

कार्य का नाम .....

क्रम सं0	समय व तिथि	अधिकारी का नाम और पदनाम	निरीक्षित मदें और नोटिस की गई विशिष्ट त्रुटियां तथा की जाने वाली कार्रवाई	हस्ताक्षर	स्थल आदेश पुस्तिका पर ली गई त्रुटियां/लिखित पत्र			अंतिम कार्यवाही /परिणाम
					स्थल आदेश पुस्तिका पृष्ठ सं0/पत्र सं0	दिनांक	ए.ई/ ई. ई. के हस्ताक्षर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

खण्ड – 25

ठेकेदारों को सामग्री निर्गत करना

25.1 सामग्री निर्गत करना

1. कार्यों के लिये सामग्री जारी करना, चाहे वह स्टॉक के हों या क्रय द्वारा या अन्तरण या निर्माण से, उसे दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है:

   i. <u>ठेकेदार को सामग्री निर्गत करना</u>: –

   ऐसे ठेकेदारों को सामग्री निर्गत करना जिनके साथ संपूर्ण कार्य अर्थात् श्रमिक और सामग्री दोनों के लिये अनुबंध किया गया है।

   ii. <u>सीधे कार्य हेतु सामग्री निर्गत करना</u>: –

   ऐसी स्थिति में सामग्री निर्गत करना जब कि कार्य विभागीय रूप से या किया गया है या ऐसे ठेकेदार द्वारा किया गया है जिसके साथ केवल श्रमिक अनुबंध है।

2. **बिक्री कर के संभावित दायित्व के दृष्टिगत: –**

यह तय किया गया है कि ठेकेदारों को जारी करने के लिये सामग्री को संविदा में अनुबंधित न किया जाये। तथापि, संबंधित क्षेत्र का सी.ई. योग्यता के आधार पर प्रत्येक मामले में अलग–अलग रूप से निर्णय लेने के लिये सशक्त है। जहां कहीं ऐसा अनुमोदन प्राप्त किया जाये वहां निम्नलिखित को अपनाया जायेगा: –

ठेकेदारों को सामग्री जारी किया जाना संविदा में अनुबंधित होगा जो कि कार्यों की पूर्ण की मदों के लिये होगा व केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में होगा: –

i. जब आयातित सामग्री की आपूर्ति निगम के नियंत्रण में रखी जानी आवश्यक होगी।

ii. जब कार्य के हित में, या वर्तमान भण्डार अथवा सामग्री के उपयोग के उद्देश्य से अन्य निश्चित सामग्रियों की आपूर्ति भी निगम के नियन्त्रण में रखना वांछनीय है तथा ऐसी शर्त संविदा में सम्मिलित की गई है।

3. विभाग द्वारा निर्गत की जाने वाली सामग्री का अनुबंध: –

i. जहां ऐसी सामग्री की आवश्यकता हो वहां सभी मदों के लिये, कार्य स्थल पर उपयोग हेतु अनुबंधित सामग्री निर्गत की जायेगी;

ii. यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि निर्गत की जाने वाली सामग्री का वर्णन पर्याप्त रूप से विनिर्दिष्ट किया जाये ताकि किसी प्रकार का विवाद न हो। उदाहरण के लिये यदि जारी किये जाने हेतु सीमेन्ट विनिर्दिष्ट किया जाता है तो यह स्पष्ट रूप से बताया जाये कि सफेद सीमेन्ट है या ग्रे सीमेन्ट। इसके ग्रेड़ सहित यह भी बताया जाये कि यह बैग्स में होगा या अन्यथा;

iii. संविदा में विनिर्दिष्ट किया जाये: –

क. कार्य पर उपयोग हेतु निगम द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री।

ख. सुपुर्दगी का/के स्थान, और

ग. सामग्री के प्रत्येक विवरण हेतु ठेकेदार पर प्रभारित दरें।

iv- आपूर्ति की जाने वाली सामग्री हेतु ठेकेदार पर प्रभारित दरें निश्चित रूप से विनिर्दिष्ट की जायें (उदाहरणार्थ अस्पष्ट प्रावधान भण्डार दरों पर, न रखे जायें) तथा यदि आशायित ठेकेदार को यह बताया गया है कि सामग्री की आपूर्ति एक निश्चित दरों पर की जायेगी तथा इसी को ध्यान में रखते हुए निविदा डालने को कहा जायेगा तो संविदा में वे ही दरें रखी जायें।

v- जिस स्थान पर ठेकेदार ने सुपुदर्गी लेने पर सहमति दी है उस से आगे वाहन के अनुषंगिक प्रभार वहन नहीं किये जाते हैं।

vi- कार्य हेतु अपेक्षित सभी ऐसी सामग्री निगम से प्राप्त करने और बाजार दरों में या विभाग की भण्डार दरों में उतार चढ़ाव होने पर भी विनिर्दिष्ट दरों पर देयको से घटौती कर उनके भुगतान करने के लिये ठेकेदार को उत्तरदायी होगा।

vii- विभागीय सामग्री की आपूर्ति हेतु शर्तें इतनी स्पष्ट होनी चाहिये कि कोई संदेह न रहे और ठेकेदार कोई अनुचित वित्तीय लाभ न ले सके। निविदा दस्तावेज़ में कार्य की वे विशिष्ट मदें सामग्री के वितृत विवरण में सम्मिलित होनी चाहिये जिनके लिये विभाग द्वारा सामग्री जारी किया जाना आशायित है।

4. <u>सामग्री के निःशुल्क जारी किये जाने हेतु अनुबंधः</u> –

कार्यों के लिये विभाग द्वारा किये गये करार में विभागीय सामग्री जैसे स्टील, सीमेन्ट, पाईप इत्यादि का निःशुल्क जारी किया जाना टाला जाना

चाहिये। तथापि, कुछ अपवादी मामलों में, यदि ऐसी विभागीय सामग्री का निःशुल्क जारी किया जाना अनुबंधित है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि अधिशेष सामग्री की वापसी और/या सैद्धांतिक आवश्यकता से अधिक उपयोग में लाई गई सामग्री के संबंध में संविदा में उपयुक्त प्रावधान किये जायें: –

छीजन/परिवर्तन यदि कोई हो, हेतु अनुमन्य की जाने वाले उपबंधों को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिये। यदि अतिशय सामग्री वापस नहीं की जाती या यदि छीजन/परिवर्तन अनुमन्य सीमा से अधिक है तो ठेकेदार से वसूली के लिये वसूली दर स्पष्ट रूप से इंगित की जाये और यह इस प्रकार तय की जाये कि उपयोग में न लाई गई सामग्री ठेकेदार द्वारा न रखी जा सके।

5. <u>ठेकेदार द्वारा अनुबंधित सामग्री की निकासी</u>: –

जहां संविदा में विभाग द्वारा सामग्री जारी किया जाना अनुबंधित है वहां ठेकेदार को अन्य रूप से सामग्री प्राप्त करना अनुमन्य नहीं है जब तक कि किसी आपात स्थिति में स्वयं प्रभारी अभियंता (ई.ई.) द्वारा कारण अभिलिखित कर उपयुक्त दरों पर ठेकेदार को आपूर्ति न सौंपी गई हो।

6. <u>उपलब्ध सामग्री का अनुबंध</u>: –

यदि केन्द्रीय भण्डार से जारी किये जाने के लिये सामग्री उपलब्ध नहीं है या जहां सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं कराई जा सकती वहां डिविजनल अधिकारियों द्वारा निविदा में ठेकेदार को विभाग द्वारा सामग्री की आपूर्ति का उपबंध नहीं रखा जायेगा।

25.2 अनुबंध न होने पर सामग्री जारी करना

1. कार्य पर उपयोग हेतु ठेकेदार को कोई भी ऐसी सामग्री की आपूर्ति नहीं की जानी चाहिये जिसके जारी किये जाने हेतु संविदा में अनुबंध न हो।
2. प्रभारित किये जाने हेतु निर्गत की दर: –
   i. सामग्री हेतु प्रभारित दर इस प्रकार होगी –
      क. जिस पर इसका उपयोग किया जायेगा उस कार्य की मद हेतु एम.आर.जे की दर की व्याख्या में उपबंधित, उपरोक्त प्रतिशत का धन या ऋण या ठेकेदार को अनुमन्य दर की सूची से नीचे, या

ख. बाजार दर, या

ग. सामग्री निर्गत दर धन भण्डार प्रभार, जो अधिक हो। आपूर्ति के संबंध में निगम द्वारा कोई वाहन या प्रासंगिक प्रभार वहन नहीं किये जायेंगे।

3. ऐसे मामलों में जहां–जहां निगम ठेकेदार को आपूर्ति अपने अपने स्तर से देता हैं, वहां निगम के हित सुरक्षित रखने की दृष्टि से करार की सुसंगत शर्तों में सामग्री का पूर्ण विवरण ओर शर्तें इंगित की जानी चाहिये।

4. जहां तक संभव हो ठेकेदार को अनुबंधित सामग्री निःशुल्क जारी किया जाना टाला जाना चाहिये।

25.3 सामग्री की लागत का जारी करना और वसूली

सामग्री को विनियमित और सुनिश्चित रूप से जारी किया जाना चाहिये ताकि स्वच्छंद रूप से या स्थल पर वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखे बिना ठेकेदार को सामग्री जारी न हो। यह आवश्यक है कि कार्य की प्रगति पर निर्भर करते हुए ठेकेदार को जारी की जाने वाली सामग्री को वास्तविक आवश्यकता तक विनियमित व सीमित किया जाये।

25.3.1 <u>सीमेन्ट/स्टील पाइप व अन्य सामग्री का जारी किया जाना और उनके उपयोग पर नियंत्रण</u>: –

1. बिल में सम्मिलित कार्य सहित कार्य के प्रारम्भ से अंत तक निष्पादित कार्य पर सीमेन्ट के उपयोग हेतु सैद्धांतिक उपयोग विवरण को सदैव प्रत्येक चालू देयक के साथ तैयार किया जाना चाहिये। चालू देयक पर ठेकेदार के हस्ताक्षर लेते समय उससे इस पर हस्ताक्षर लिये जाने चाहिये ताकि उसे उस आधार की जानकारी रहे जिस पर सीमेन्ट की सैद्धांतिक मात्रा ज्ञात की गई है तथा ठेकेदार और विभाग दोनों ही के लिये कार्य के निष्पादन के दौरान सीमेन्ट के उपयोग पर नियंत्रण रखना संभव हो सके। इस प्रकार ज्ञात सैद्धांतिक मात्रा की कार्य के मापन की अंतिम तिथि पर सीमेन्ट रजिस्टर के अनुसार सीमेन्ट के वास्तविक निर्गत के साथ तुलना की जानी चाहिये। इन दो मात्राओं के मध्य सामान्य अनुमन्य सीमाओं के अधिक अंतर होने पर सहायक अभियंता द्वारा इसके कम या अधिक उपयोग का उचित रूप से स्पष्टीकरण किया जाये तथा अधिशासी अभियंता द्वारा इस स्पष्टीकरण के दृष्टिगत उपाय किये जायें।

2. सीमेन्ट के इशु पर प्रभावी नियंत्रण के लिये निम्नलिखित प्रयास किया जाये: –

i. सीमेन्ट, गोदाम/गोदामों पर दोहरे ताले लगाये जायें इसमें से एक ताले की चाभी विभाग के पास रहे और दूसरी ठेकेदार के पास।

ii. सीमेन्ट रजिस्टर के पृष्ठ, परिशिष्ट–19 के अनुसार हों, मशीन नंबर्ड हों तथा प्रत्येक पृष्ठ पर अधिशासी अभियंता के हस्ताक्षर हों।

iii. <u>सीमेन्ट गोदाम की आवधिक जांच</u>: –

सीमेन्ट गोदाम और सीमेन्ट रजिस्टर की जांच सहायक अभियंता/प्रभारी अधिशासी अभियंता द्वारा निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार की जायेंगी –

क. सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता के मुख्यालय पर कार्य के मामले में क्रमशः कम से कम साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से।

ख. खण्ड मुख्यालय से बाहर अवस्थित कार्यों के दौरे के मामले में जब कभी वे कार्य स्थलों का दौरा करें, तथा

iv. एक अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित अनुदेशों का अनुपालन किया जायेगा: –

क. <u>भण्डार से बाहर सीमेन्ट की स्थिति का प्रदर्शन</u>: –

10 लाख रूपये से अधिक की लागत वाले और सीमेन्ट का उपयोग करने वाले सभी कार्यों के लिये ठेकेदार सीमेन्ट भण्डार पर कार्य स्थल पर स्पष्ट रूप से एक सूचना पत्र प्रदर्शित करेगा जिसमें एक तिथि विशेष पर अधि शेष, दिवस में प्राप्ति, दिवस के दौरान निर्गत तथा दिवस के अंत पर अंतशेष स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जायेगा (प्राप्ति और निर्गत करने की प्रविष्टियां, भौतिक प्राप्ति, भौतिक निर्गत और साथ ही दिवस के अंत पर तुरन्त अद्यतन की जायेगी।

ख. <u>सीमेन्ट और स्टील की मांग, प्राप्ति और जारी किये जाने हेतु प्रक्रिया</u>: –

नये सीमेन्ट/स्टील हेतु मांग जारी करते समय स्थल पर उपलब्ध शेष राशि और जांच की जानी चाहिये। सहायक अभियंता को मांग पत्र पर मांग के जारी किये जाने की तिथि

व समय पर उपलब्ध ऐसी सामग्री के अवशेष को सम्मिलित करना चाहिये, जिसे मांग पर हस्ताक्षर करने से पहले अधिशासी अभियंता द्वारा लेखा–जोखा में लिया जाना चाहिये। सामग्री की प्राप्ति के समय सीमेन्ट रजिस्टर और साथ ही एम.ए.एस रजिस्टर में न केवल तिथि बल्कि प्राप्ति के समय का भी उल्लेख किया जायेगा। गेट पास नंबर देते हुए प्रत्येक ट्रक हेतु पृथक रूप से प्रविष्टि की जाये। प्रेषिति ट्रांस्पोर्टर द्वारा केन्द्रीय भण्डार को वापस किये गये गेट पास पर सामग्री की प्राप्ति का समय और तिथि भी अंकित करनी चाहिये। 10 टन और उससे अधिक की मांग पत्र के समक्ष प्राप्त सीमेन्ट की सभी मात्राओं के लिये सहायक अभियंता द्वारा सभी गेट पास पर प्रति हस्ताक्षर किये जायें। किसी दिवस विशेष पर स्टोर्स/स्थानीय क्रय इत्यादि से प्राप्त सीमेन्ट/स्टील और अन्य सामग्री स्थल पर उपयोग में नहीं लायी जायेगी। सहायक अभियंता द्वारा एक भौतिक जांच और सत्यापन हेतु स्थल पर प्राप्ति के समय से 24 घंटे के लिये किसी अन्य कार्य पर उपयोग में नहीं लाई जायेगी या अंतरित नहीं की जायेगी। भण्डार में पहले से उपलब्ध सीमेन्ट को नये प्रेषण से पहले उपयोग में लाया जाये। इसी प्रकार नयी स्टील मदों को गणना योग्य आकार में रखा जाये ताकि उपयोग से पहले इनकी भौतिक जांच की जा सके। सीमेन्ट बैग्स के पहले प्राप्त को पहले निर्गत करने के सिद्धांत का कठोरता से पालन किया जाये।

ग. <u>स्टील और पाइप के उपयोग की जांच</u>: –

सैद्धांतिक उपयोग के साथ स्टील के वास्तविक उपयोग की तुलना करने के लिये स्टील छडे और पाइप के प्रत्येक व्यास की विभागीय रूप से जारी की गई वैयक्तिक मद के रूप में लिया जाना चाहिये तथा प्रत्येक वृत्त पर सैद्धांतिक उपयोग नियंत्रण लागू किया जाना चाहिये। प्रत्येक चालू देयक के साथ स्टील छर्डे और पाइप के लिये सैद्धांतिक उपयोग विवरण तैयार किया जाये। यदि किसी वृत्त/सैक्शन विशेष

में वास्तविक उपयोग से कम या ठीक बराबर निर्गत का मामला हो तो इसकी उचित विवेचना की जाये, यदि ऐसा निर्गत वृत्त वार/अनुभाग वार या कुल मिलाकर उपयोग से बहुत अधिक है तो सामान्यतया यह सुनिश्चित किया जाये कि शेष स्टील अच्छी अवस्था में उपलब्ध है तथा सहायक अभियंता द्वारा इसे प्रमाणित किया जाना चाहिये। आख्या में आयी गंभीर विसंगतियां अधीक्षण अभियंता के संज्ञान में लाई जायेगी।

3. इसी प्रकार की सावधानियां विभाग द्वारा जारी की जाने वाली सभी अन्य सामग्रियों के मामलें में बरती जानी चाहिये।

4. <u>ठेकेदार से वसूली</u>: –

ठेकेदार से वसूली करार के खण्ड–42 के अनुसार विनियमित होगी तथा इसका निर्वचन भी इस नियम पुस्तिका के खण्ड–31 के अनुसार निर्देशित होगा।

25.4 निर्गत दरें और लागत की वसूली

1. संविदा में सीमेन्ट, स्टील या किसी अन्य मद की निर्गत दरे केन्द्रीय भण्डार की निर्गत मदों का विचार किये बिना, इन मदों की बाजार दरों से कम नहीं होनी चाहिये।

2. <u>निर्गत की गई सामग्री हेतु वसूली</u>: –

किसी कार्य पर उपयोग हेतु ठेकेदार को निर्गत की गई सामग्री की लागत के कारण ठेकेदार से वसूली, अद्यतन रूप से नापे गये कार्य में उपयोग की गई सामग्री, सैद्धांतिक उपभोग और छीजन के आधार पर डिविजनल अधिकारी द्वारा क्रमशः रूप से की जानी चाहिये। प्रत्येक बिल के लिये फील्ड़ स्टाफ़ को यह स्पष्ट करना चाहिये कि शेष सामग्री/सामग्रियां ठेकेदार के पास उपलब्ध है/हैं। कमी होने पर उसकी लागत तुरन्त ठेकेदार से वसूल की जायेगी।

3. <u>निर्गत की गई सामग्री हेतु लेखा रखना</u>: –

डिविजनल अधिकारी, ठेकेदार को जारी की गई सामग्री का एक उचित संख्यात्मक लेखा रखेगा।

4. <u>बिटुमिन के अधिक/कम उपयोग हेतु वसूली</u>: –

जहां बिटुमिन की आपूर्ति एक तय दर पर की जाती हो वहां वसूली निर्गत दर धन 10 प्रतिशत या बाजार दर, दोनों में जो अधिक हो, सैद्धांतिक

उपयोग से ऊपर अनुमन्य परिवर्तन से अधिक पर की जानी चाहिये। जहां सैद्धांतिक आवश्यकताओं के कम बिटुमिन का उपयोग हो वहां वसूली बिटुमिन के वास्तविक उपयोग और सैद्धांतिक आवश्यकता के अंतर हेतु निर्गत दर धन गाड़ी भाड़ा पर की जानी चाहिये।

25.5 अधिशेष सामग्री की वापसी

1. जहां संविदा के निष्पादन हेतु कोई सामग्री सरकार या निगम की सहायता से प्राप्त की जाती है वहां ठेकेदार को पूर्णतया संविदा के उद्देश्य से और मितव्ययी तरीके से उक्त सामग्री का उपयोग करना तथा निगम की लिखित अनुमति के बिना उसका निस्तारण नहीं कर सकेगा। यदि प्रभारी अभियंता द्वारा अपेक्षित हो तो ठेकेदार को वह सभी अवशेष सामग्री लौटानी चाहिये जो संविदा के समापन पर या किसी कारण से संविदा की समाप्ति पर उसके पास अवशेष हो तथा सामग्री की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिशासी अभियंता द्वारा अवधारित मूल्य का भुगतान कर दिया जाये। तथापि, ठेकेदार को अनुमन्य मूल्य भण्डार प्रभार को छोड़ कर उसे प्रभारित मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिये। प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम और निश्चयात्मक होगा।
2. पूर्वोक्त शर्त के टूटने पर ठेकेदार लाईसेन्स या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या आपराधिक न्यास भंग हेतु कार्रवाई का सामना करने के लिये जिम्मेदार होने के साथ उस धनराशि और लाभ के लिये भी निगम के प्रति जिम्मेदार होगा जो कि सामान्य रूप से इस न्यास भंग के परिणाम स्वरूप प्राप्त होगा।
3. सामग्री का उचित अनुपात जिसमें उस सामग्री का उपयोग किया जाना है जिसकी तैयार मदों के लिये उसने निविदा भरी है, दरों के विनिर्देशन/अनुसूची में तय किया गया है। कार्य के निष्पादन पर ठेकेदार द्वारा उपयोग किये जाने के लिये आवश्यक सामग्री की सैद्धांतिक मात्रा की गणना संविदा में दिये गये विनिर्देशन/अनुसूची के अनुसार की जायेंगी। जी.सी.सी. सहमति पत्र के खण्ड–42 के अनुसार सैद्धांतिक उपयोग और ठेकेदार द्वारा वापस न किये जाने वाले वास्तविक निर्गत के मध्य का अंतर उनमें अनुमन्य परिवर्तनों को अनुमन्य करने के पश्चात् निर्धारित दर पर वसूल किया जायेगा।
4. इसी प्रकार, अनुबंधित निर्गत दरों इत्यादि के आधार पर, कम उपयोग की गई सामग्री की लागत उक्त खण्ड के उपबंधों के अनुसार विनियमित की जायेगी।

5. संविदा के खण्ड–42 में दी गई अनुमन्य सीमा से अधिक सामग्री का उपयोग सामान्य अनुबंधित दर धन (10 प्रतिशत) पर वसूल किया जायेगा।

25.5.1 त्रुटियों के सुधार हेतु जारी सामग्री की वसूली

ठेकेदार को त्रुटिपूर्ण कार्य करने से हतोत्साहित करने के लिये त्रुटियों के सुधार हेतु जारी सामग्री हेतु कोई छूट नहीं दी जायेगी। त्रुटिपूर्ण कार्य के सुधार हेतु सामग्री को पृथक से अभिलिखित किया जाये और इशु दर से दो गुनी वसूली की जाये। यदि ध्वस्त गये कार्य की पहले मापन की गई है तो दोबारा किये गये कार्य की मापन अभिलेख रिकार्ड हेतु की जायेगी।

25.5.2 ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण कार्यों के दोबारा किये जाने हेतु जारी सामग्री की वसूलीः –

यदि बाढ़, भूकम्प इत्यादि जैसी ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर की प्राकृतिक आपदाओं के कारण त्रुटियों को सुधारने या कार्य को दोबारा करने के लिये सीमेन्ट या अन्य सामग्री जारी करना आवश्यक हो जाना है तो ऐसे निर्गत को कार्य पर उचित उपयोग समझा जाना चाहिये तथा निर्गत दरों से उच्च दरों पर प्रभारित नहीं किया जाना चाहिये। इस प्रश्न पर कि किसी मामले विशेष में त्रुटियों के सुधार का कार्य या दोबारा का कार्य प्राकृतिक आपदा के कारण है या नहीं इस पर मुख्य अभियंता का निर्णय अंतिम होगा।

25.6 गोदामों में सीमेन्ट के स्टोरेज के संबंध में अनुदेश

कार्यों के लिये ऐसे सीमेन्ट गोदामों के निर्माण पर बल नहीं दिया जाना चाहिये जहां सीमेन्ट का उपयोग 5 टन से अधिक न हो। ऐसे मामलों में ठेकेदार को स्थल पर एक कवर्ड शैड के भीतर सीमेन्ट गोदाम करने की अनुमति होगी जहां चोरी व नमी से सीमेन्ट सुरक्षित रहे। प्रभारी अभियंता इस शैल्टर का निरीक्षण कर अपनी संतुष्टि करेगा कि उपरोक्त सुरक्षा उपलब्ध है।

25.7 अगले आधे दिन की आवश्यकता के लिए सीमेन्ट निर्गत करनाः–

सीमेन्ट गोदामों की दोहरी लॉकिंग प्रणाली के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि अधिशासी अभियंता को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि विभाग का प्रतिनिधि प्रत्येक सुबह के समय गोदाम स्थल पर पहुंचे ताकि कार्य आरम्भ करने के लिये सीमेन्ट निकाला जा सके। यदि आवश्यक हो तो वे संध्या के समय कुछ सीमेन्ट ठेकेदार को जारी कर सकते हैं ताकि अगले दिन सुबह कार्य आरम्भ किया जा सके। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जारी किया गया अतिरिक्त सीमेन्ट किसी कार्य विशेष हेतु आधे दिन की आवश्यकता से अधिक न हो। ऐसे निर्गत को सीमेन्ट पंजिका में भी दर्शाया जायेगा।

खण्ड – 26

ठेकेदार द्वारा प्रबंधित सामग्री

ऐसे सभी संविदाएं जिनमें सीमेन्ट और स्टील का विभागीय रूप से निर्गत करना अनुबंधित नहीं किया गया है उन में विशेष शर्तें निम्नलिखित रूप से सम्मिलित की जायेंगी:–

26.1 सीमेन्ट के लिये विषेश शर्तें

1. ठेकेदार उन विख्यात निर्माताओं से कार्य में अपेक्षित 43 ग्रेड (आई.एस. 8112 पुष्टिकारक) सामान्य पोर्टलैन्ड अधिप्राप्त करेगा जिनकी उत्पादन क्षमता कम से कम एक मिलियन टन प्रति वर्ष हो, जैसे ए.सी.सी., अल्ट्राटेक, विक्रम, श्री सीमेन्ट, अंबुजा, जे.पी. सीमेन्ट, सेन्चुरी सीमेन्ट और जे.के. सीमेन्ट या एम.डी./मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित किसी अन्य विख्यात सीमेन्ट निर्माता से जिसकी उत्पादन क्षमता एक मिलियन टन प्रति वर्ष से कम न हो। निविदादाता ऐसे सीमेन्ट निर्माताओं के नामों की सूची भी जमा करा सकते हैं जिनका उपयोग उनके द्वारा कार्य के समय करना प्रस्तावित है। निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के पास कार्य के समय निविदादाता द्वारा प्रस्तावित सीमेन्ट निर्माता (ओं) के नाम (नामों) को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदादाता द्वारा दी गई सीमेन्ट निर्माताओं की सूची को निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा यदि पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता तो निविदाकृत दरों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

   सीमेन्ट की आपूर्ति 50 के.जी. के बैग्स में ली जायेगी जिसमें निर्माता का नाम और आई.एस.आई मार्किंग होगी। ठेकेदार द्वारा प्रबंधित सीमेन्ट के नमूने प्रभारी अभियंता द्वारा लिये जायेंगे और सुसंगत बी.आई.एस संहिता के प्रावधानों के अनुसार उनका परीक्षण किया जायेगा। यदि परीक्षण के परिणाम यह इंगित करते हैं कि ठेकेदार द्वारा प्रबंधित सीमेन्ट बी.आई.एस संहिता के अनुरूप नहीं है तो इसे निरस्त समझा जायेगा तथा प्रभारी अभियंता द्वारा ऐसा करने के लिखित आदेश से एक सप्ताह के भीतर अपनी लागत पर ठेकेदार द्वारा इसे हटा लिया जायेगा।

2. स्थल पर सीमेन्ट की आपूर्ति लगभग 50 टन या प्रभारी अभियंता द्वारा तय की गई मात्रा में की जानी चाहिये। ठेकेदार द्वारा स्थल पर न्यूनतम 2000

सीमेन्ट बैग्स स्टोर करने की क्षमता के स्टोर का निर्माण कराया जाये जिसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। सीमेन्ट को इस तरह स्टोर किया जायेगा कि उपेजनि के अधिकारियों द्वारा इसकी आसानी से गणना की जा सके।

3. सीमेन्ट गोदाम पर दोहरे ताले की व्यवस्था की जायेगी। एक ताले की चॉभी प्रभारी अभियंता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के पास रहेगी तथा दूसरे ताले की चॉभी ठेकेदार के पास रहेगी। सीमेन्ट गोदाम के सुरक्षा हेतु ठेकेदार जिम्मेदार होगा। प्रभारी अभियंता द्वारा किसी भी समय सीमेन्ट गोदाम के निरीक्षण के लिये ठेकेदार सुविधा उपलब्ध करायेगा।

4. सीमेन्ट का परीक्षण प्रभारी अभियंता द्वारा किया जायेगा तथा कार्य में इसका उपयोग संतोषजनक परिणाम प्राप्त होने पर ही किया जायेगा। ठेकेदार, प्रयोगशाला में सीमेन्ट परीक्षण हेतु सीमेन्ट और इसके परिवहन सहित निःशुल्क आपूर्ति करेगा। परीक्षण की लागत ठेकेदार/विभाग द्वारा निम्नलिखित तरीके से वहन की जायेगीः –

   क. यदि परिणाम यह दर्शाते हैं कि सीमेन्ट सुसंगत आई.एस. संहिता से सुसंगत नहीं हैं तो ठेकेदार द्वारा

   ख. यदि परिणाम यह दर्शाते हैं कि सीमेन्ट सुसंगत बी.आई.एस. संहिता से पुष्टिकारक हैं तो विभाग द्वारा

5. कार्य पर सीमेन्ट का वास्तविक निर्गत और उपयोग विनियमित किया जायेगा तथा संविदा में उपबंधित किये गये अनुसार लेखा रखा जायेगा। सीमेन्ट का सैद्धांतिक उपयोग संविदा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा तथा उनमें तय की गई शर्तों के अनुसार शासित होगा। यदि सीमेन्ट का उपयोग अनुमन्य परिवर्तन सहित सैद्धांतिक उपयोग से कम है तो इस प्रकारर निर्धारित दर से वसूली की जायेगी तथा अधिक उपयोग पर किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।

6. स्थल पर लाये गये सीमेन्ट और कार्य पूर्ण होने पर अवशेष सीमेन्ट को प्रभारी अभियंता की अनुमति के बिना हटाया नहीं जायेगा।

7. क्षतिग्रस्त सीमेन्ट को प्रभारी अभियंता से लिखित में नोटिस प्राप्ति पर ठेकेदार द्वारा तुरन्त स्थल से हटाया जायेगा। यदि वह ऐसे नोटिस की प्राप्ति से 3 दिन के भीतर ऐसा नहीं करता है तो प्रभारी अभियंता ठेकेदार के व्यय पर उसे हटवायेगा।

यदि आवश्यक हो तो अधीक्षण अभियंता एम.डी. के अनुमोदन से स्थानीय बाजार में उपलब्धता पर निर्भर करते हुए सीमेन्ट के ब्रैंड में परिवर्तन कर सकेगा। इस संबंध में उनके द्वारा नियमित अंतराल पर अनुदेश जारी किये जा सकते हैं निर्माताओं के नाम की बोली पूर्व बैठक, यदि कोई है, के दौरान दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया जाना चाहिये। स्लैग सीमेन्ट जैसे अन्य प्रकारों के सीमेन्ट हेतु ऐसी ही स्थितियां, सुसंगत बी.आई.एस संहिता, सीमेन्ट के उपयुक्त ब्रैंड और विभाग द्वारा जारी तकनीकी सकुलर्स उपबंधित करा कर एन.आई.टी. अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा जहां आवश्यक हो, सम्मिलित की जा सकेंगी।

26.2 स्टील हेतु विशेष शर्तें

1. ठेकेदार, सेल, टाटा स्टील लि0, आर.आई.एन.एल, जिंदल स्टील एंड पावर लि0 जैसे प्राईमरी स्टील उत्पादकों या एम.डी/मुख्य अभियंता, उपेजनि द्वारा अनुमोदित ऐसे उत्पादकों जो बेसिक रॉ मैटीरियल/इनपुट का उपयोग कर रहे हों और जिनके पास प्रति वर्ष 2.0 मिलियन टन प्रति वर्ष या अधिक की क्रूड स्टील क्षमता हो, से एफ.ई.415/एफ.ई415 डी/एफ. ई500/एफ.ई500डी/एफ.ई.550 व एफ.ई.550डी ग्रेड़ (अधिप्राप्त किये जाने वाले ग्रेड़ को विनिर्दिष्ट किया जाये) की टी.एम.टी बार्स अधिप्राप्त करेगा। प्राईमरी प्रोड्यूसर्स से स्टील उपलब्ध न होने की स्थिति में एन.आई.टी अनुमोदक प्राधिकारी ऐसे स्टील उत्पादकों से प्राप्त टी.एम.टी रीइनफोर्समेन्ट के उपयोग की अनुमति दे सकता है जिनके पास क्रूड स्टील के उत्पादन हेतु बेसिक रॉ मैटीरियल के रूप में आईरन ओर उपयोग करते हुए इन्टीग्रेटिड स्टील प्लांट्स (आई.एस.पीज़ हों), जैसे आगे 0.5 मिलियन टन प्रति वर्ष या अधिक की क्रूड़ स्टील क्षमता वाले फिनिश्ड इन हाउस में रोल किया जाता हो। इस श्रेणी के उत्पादकों की एक पृथक सूची एम. डी/प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित की जा सकेगी।

   प्राईमरी प्रोड्यूसर्स या आई.एस.पीज़ से स्टील की उपलब्धता न होने पर एन.आई.टी. अनुमोदक प्राधिकारी सेकंडरी उत्पादकों से अधिप्राप्त टी.एम.टी रीइन्फोर्समेन्ट बार्स की अनुमति दे सकता है। ऐसे मामलों में एन.आई.टी अनुमोदक प्राधिकारी द्वारा एन.आई.टी में निम्नलिखित शर्तें अनुबंधित की जायेंगी: –

क. अधिप्राप्त की जाने वाली एफ.ई.415/एफ.ई.415डी/एफ.ई.500/एफ. ई.500डी/एफ.ई.550/एफ.ई.550डी जैसी या अन्य ग्रेड की स्टील का ग्रेड बी.आई.एस. 1786:2008 के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

ख. द्वितीयक उत्पादक के पास आई.एस 1786:2008 के पुष्टिकारक एच. एस.डी बार्स के उत्पादन हेतु वैध बी.आई.एस लाईसेन्स होना चाहिये। बी.आई.एस लाईसेन्स के अतिरिक्त उत्पादक के पास टी.एम. टी. उत्पादन हेतु टेंपकोर, थर्मेक्स, एवकॉन टूर्बो एंड टूर्बो क्वेंच फर्मों में से किसी का वैध लाईसेन्स होना चाहिये।

ग. प्राईमरी उत्पादकों और आई.एस.पीज़ से अधिप्राप्त टी.एम.टी बार्स उत्पादक के विनिर्देशकों के साथ पुष्टिकारक होनी चाहिये।

घ. सेकंडरी उत्पादकों से अधिप्राप्त टी.एम.टी बार्स, यथा स्थिति टेंपकोर, थर्मेक्स, एवकॉन टूर्बो एंड टूर्बो क्वेंच द्वारा तय किये गये विनिर्देशनों के साथ पुष्टिकारक होनी चाहिये।

ङ. टी.एम.टी बार्स चाहे प्राईमरी उत्पादकों से अधिप्राप्त किये गये हों या सेकंडरी उत्पादक से, किन्तु उन्हें निविदा में विनिर्दिष्ट (एन.आई. टी तैयार करते समय स्टील का ग्रेड़ विनिर्दिष्ट करें) एफ.ई. 415/एफ.ई.415डी/एफ.ई.500/एफ.ई.500डी/एफ.ई.550/एफ.ई. 550डी या स्टील के अन्य ग्रेड़ से संबंधित आई.एस 1786:2008 के उपबंधों को पूरा करना होगा।

2. ठेकेदार को कार्य स्थल पर उसके द्वारा लाई गयी स्टील की सभी आपूर्तियों के संबंध में नये परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत करने होंगे।

3. सुसंगत बी.आई.एस संहिता के इस संबंध में उपबंधों के अनुसार प्रभारी अभियंता को नमूने ले कर परीक्षण करना होगा। यदि परीक्षण के परिणाम यह इंगित करते हैं कि ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया गया स्टील उपरोक्त पैरा (1)(घ) व (1)(ङ) के अधीन परिभाषित विनिर्देशनों की पुष्टि नहीं करता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा और प्रभारी अभियंता द्वारा ऐसा करने के लिखित आदेश के एक सप्ताह के भीतर उस कार्य को ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर स्थल से हटा दिया जायेगा।

4. स्टील रीइन्फोर्समेन्ट बार्स स्थल पर 10 टन या उससे अधिक या प्रभारी अभियंता द्वारा तय की गई थोक आपूर्ति में लाई जायेंगी।

5. स्टील रीइन्फोर्समेन्ट बार्स ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर इस प्रकार स्टोर की जायेंगी कि उनकी विकृति और क्षरण को रोका जा सके तथा इस संबंध में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। विभिन्न आकार की बार्स को पृथक–पृथक स्टोर किया जायेगा ताकि गणना और जांच में आसानी हो।

6. नॉमिनल मास, टेंसिल स्ट्रैंग्थ बैंड टैस्ट, रीबैंड टेस्ट इत्यादि की जांच के लिये पर्याप्त लंबाई के नमूने सादृच्छिक रूप से प्रत्येक आकार की बार से काटे जायेंगे जिसकी फ्रीक्वैन्सी नीचे विनिर्दिष्ट से कम नहीं होगी: –

बार का आकार	100 टन से कम के प्रेषण हेतु	100 टन से अधिक के प्रेषण हेतु
10 एम.एम. के कम व्यास के बार	प्रत्येक 25 टन या उसके भाग के लिये एक नमूना	प्रत्येक 40 टन या उसके भाग के लिये एक नमूना
10 एम.एम. से 16 एम. एम. व्यास के बार	प्रत्येक 35 टन या उसके भाग के लिये एक नमूना	प्रत्येक 45 टन या उसके भाग के लिये एक नमूना
16 एम.एम. से अधिक के बार	प्रत्येक 45 टन या उसके भाग के लिये एक नमूना	प्रत्येक 50 टन या उसके भाग के लिये एक नमूना

7. ठेकेदार परीक्षण प्रयोगशाला तक परिवहन सहित परीक्षण हेतु आवश्यक स्टील की निःशुल्क आपूर्ति करेगा। परीक्षण की लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जायेगी।

8. कार्य पर स्टील की वास्तविक निर्गत और उपयोग विनियमित किया जायेगा तथा संविदा के उपबंध किये गये अनुसार उसका उचित लेखा रखा जायेगा। स्टील का सैद्धांतिक उपयोग संविदा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ज्ञात किया जाएगा तथा संविदा में दी गई शर्तों में अनुसार शासित होगा। यदि उपयोग अनुमन्य परिवर्तनों सहित सैद्धांतिक उपयोग से कम हैं

तो इस प्रकार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वसूली की जायेगी। अधिक उपयोग होने पर किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

9. स्थल पर लाये गये स्टील और उपयोग में न लाये गये स्टील को प्रभारी अभियंता की लिखित अनुमति के बिना स्थल से नहीं हटाया जायेगा।

10. यदि ठेकेदार को आई.एस.पीज़ या सेकंडरी उत्पादकों से अधिप्राप्त टी.एम. टी रीइन्फोर्समेन्ट बार्स के उपयोग की अनुमति दी जाती है तो: –

1. टी.एम.टी रीइन्फोर्समेन्ट बार्स के आधार मूल्य में घटौती को भी आधार मूल्य के साथ अनुसूची ''च'' के अधीन इंगित किया जायेगा।

2. निविदा में ठेकेदार द्वारा टी.एम.टी रीइन्फोर्समेन्ट बार्स उपलब्ध कराने और बिछाने हेतु दी गई दर भी रू0..... प्रति कि.ग्रा. घटाई जायेगी (घटौती की दर वही होगी जो ऊपर 10.1 में है तथा प्रति कि.ग्रा. सपरिवर्तित धन ठेकेदार का लाभ और लागू ऊपरी खर्च, वर्तमान में 15 प्रतिशत)।

3. 10.1 व 10.2 के अधीन दरें, पृथक रूप से आई.एस.पीज़ और सैकंडरी उत्पादकों से स्टील के लिये एन.आई.टी जारी करने के समय पर एन.आई.टी अनुमोदक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेंगी।

26.3 अस्वीकृत/अवमानक सामग्री को हटाना

कार्य स्थल से अस्वीकृत/अवमानक सामग्री को हटाने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी: –

i. जब कभी ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर लाई गई सामग्री को अस्वीकार किया जाये तो इसकी प्रविष्टि आवश्यक रूप से स्थल आदेश पुस्तिका में की जायेगी जिस पर सहायक अभियंता के हस्ताक्षर हों और ऐसी सामग्री की अनुमानित मात्रा दी जायेगी।

ii. सामग्री के हटाये जाते ही, इसके हटाये जाने की तिथि तथा उसका तरीका अर्थात् ट्रक कार्ट, श्रमिक इत्यादि का विवरण प्रदान करते हुए मूल प्रविष्टि के सापेक्ष सहायक अभियंता द्वारा इसका एक प्रमाण पत्र सहायक अभियंता द्वारा अभिलिखित किया जायेगा। यदि सामग्री ट्रक द्वारा हटायी गई है तो ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर अभिलिखित किया जाये।

iii. जब सहायक अभियंता के लिये, कार्य स्थल से अस्वीकृत/अवमानक सामग्री को वास्तविक रूप से हटाये जाने के समय उपस्थित रहना संभव न हो तो

अपेक्षित प्रमाण पत्र कनिष्ठ अभियंता द्वारा अभिलिखित किया जाये तथा सहायक अभियंता द्वारा इसे प्रतिहस्ताक्षरित किया जाये।

26.4 सीमेन्ट की आवधिक जांच

कार्य में उपयोग हेतु अनुबंधित किये जाने वाले रेडी मिक्स्ड कंक्रीट (आर.एम.सी) के संबंध में पैरा 25.3.1 में दिये गये अनुदेशों का अनुसरण किया जाये और इस नियम पुस्तिका का पैरा 10.5(3) भी देखा जा सकता है।

खण्ड – 27

औजारों और संयंत्र को निर्गत करना।

27.1 निर्गत हेतु शर्तें।

1. जब विभाग के कार्य पर वास्तविक उपयोग हेतु ठेकेदार को निर्गत करने के लिये रोड रोलर्स, कंक्रीट मिक्सर्स, इत्यादि जैसे औजार और संयंत्र उपलब्ध हों तो डिविजनल अधिकारी को वसूली की दरें स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए निविदा आमंत्रण नोटिस और संविदा दस्तावेज दोनों में सदैव ऐसी टी.एंड पी मदों की आपूर्ति हेतु उपबंध किया जायेगा। ऐसा अनुबंध करते समय संबंधित उत्तराखण्ड पेयजल निगम खण्ड से रोड रोलर्स इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जायेगी। समय पर रोड रोलर्स इत्यादि की व्यवस्था करने के लिये संबंधित खण्ड को अग्रिम सूचना दी जायेगी।
2. यदि कोई परियोजना पर्याप्त रूप से बड़ी है तो उनके रोड रोलर्स के उपयोग को ध्यान में रखते हुए अधिशासी अभियंता कार्य स्थल के समीप एक रोड रोलर्स शैड़ बनाने पर विचार कर सकता है जिसमें पर्याप्त स्टाफ़ हो। इससे आने जाने में लगने वाले समय की बचत होगी तथा मशीनरी का पर्याप्त उपयोग हो सकेगा।
3. अपवादात्मक मामलों में जहां टी.एंड पी वस्तुएं सहमति पत्र में उपबंधित किये बिना ही ठेकेदार को किराये पर दी जाती हैं वहां पूरी दर अर्थात् गैर सरकारी निकायों पर प्रभारित दर ही प्रभारित की जायेगी।
4. निजि निकायों को उपकरणों को निर्गत केवल अत्यन्त अपवाद स्वरूप मामलों में ही तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जाये।
5. सैद्धांतिक रूप से ठेकेदार, सरकारी कल्प निकायों जैसे नगर पालिकाएं व अन्य को केवल ऐसी मशीनरी और संयंत्र ही निर्गत किये जाने चाहिये जिनकी विभाग को कोई असुविधा हुए बिना व्यवस्था की जा सके।

27.2 किराया प्रभार का परिकलन

1. जब स्थानीय निकायों, ठेकेदारों या अन्य को औजार, संयंत्र इत्यादि किराये पर प्रदान किये जायें तो किराया व अन्य प्रभार हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी: –

   निम्नलिखित प्रकार के प्रभारों की वसूली की जायेगी –

   i. प्रत्यक्ष प्रभार: –

क. चालू व्ययः – वह सभी व्यय जो कि औजार और संयंत्र या मशीनरी के कार्यरत होने पर उपगत हो, ये तब उपगत नहीं होंगे जब कि ये कार्यरत न हों। यदि चालू व्यय या उनका भाग ठेकेदार द्वारा वहन किया जा रहा है तो उसे किराया प्रभार से हटाया जायेगा।

ख. अनुरक्षण प्रभार
पर्यवेक्षण प्रभार
छोटी मरम्मतें
विशेष मरम्मतें
अन्य विविध प्रभार

ii- अप्रत्यक्ष प्रभार

क. अवक्षय प्रभारः – टूट फूट के साथ कम होने वाला वस्तु का मूल्य। इसका परिकलन वस्तु के जीवन काल की कल्पना कर तथा वर्षों की संख्या से क्रय लागत को विभाजित कर किया जाता है।

ख. ब्याज।

ग. चालू व्यय पर विभागीय प्रभार।

2. विभिन्न प्रकार की मशीनरी के किराया प्रभार और यत्र–संयत्र पी उनकी दरों के अवधारण में सभी उक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर निर्धारित किये जाते हैं।

27.3 किराया प्रभारों की वसूली

1. किराया प्रभारों की वसूली निम्नलिखित तरीके से की जायेगीः –

i. जहां यत्र–संयत्र सहमति पत्र के अनुबंध के अनुसार जारी की जाती है मात्र ऊपर लिखित प्रत्यक्ष प्रभारों की ही वसूली की जायेगी।

ii. ऐसे मामलों में जहां सहमति पत्र में अनुबंध के बिना टी.एंड पी जारी की जाती है। पूर्ण किराया प्रभार, अर्थात् प्रभार और अप्रत्यक्ष प्रभार दोनों की वसूली की जायेगी।

iii. ऐसे मामलों में जहां अन्य विभागों और निजि निकायों को यत्र–संयत्र तब निर्गत की जाये जब उनके पर्यवेक्षण के अधीन कार्य में उपयोग किये जाने के लिये उन्हें वस्तुएं किराये में दी जायें। पर्यवेक्षण प्रभारों के अतिरिक्त पैरा 27.2 में उल्लिखित सभी प्रभार वसूल किये जायेंगे।

2. जहां ठेकेदार को निर्गत करने के लिये यत्र–संयत्र की आपूर्ति सहमति पत्र में अनुबंधित है वहां विभागीय रूप से या ठेकेदार के माध्यम से उपेजनि कार्यों पर उपयोग हेतु ऊपर अवधारित किये गये अनुसार किराया प्रभार हेतु दरें लागू हैं। यदि निजि व्यक्तियों, गैर सरकारी निकायों या विभागीय ठेकेदारों को भी टी.एंड पी जारी किया जाता है और सहमति पत्र में निर्गत हेतु अनुबंध नहीं है वहां पूर्ण मितव्यया दरें प्रभारीय हैं।

3. इस संबंध में निम्नलिखित शर्तों का प्रेक्षण आवश्यक है: –

i. किराया प्रभार, संयंत्र या मशीन लगाने की तिथि सहित इन्हें लगाने की तिथि से तथा अच्छी हालत में इनके वापस लौटाने की तिथि सहित इन्हें लौटाने की तिथि तक वसूल किये जायेंगे भले ही वे ठेकेदार की किसी त्रुटि के न होते हुए या विभागीय प्रचालक के त्रुटिपूर्ण उपयोग के कारण तथा संयंत्र को सुधारने के लिये 3 निरंतर कार्य दिवस (छुट्टियों और रविवारों को छोड़कर) की आवश्यकता वाली स्थिति के कारण बड़े अवरोध को छोड़कर, किसी अन्य कारण से कार्यरत न हों।

ii. जब संयंत्र या मशीनरी में किसी कारण से अवरोध आ जाये और उसमें बड़ी मरम्मत की आवश्यकता हो तो ठेकेदार तुरन्त लिखित में प्रभारी अभियंता को इसकी सूचना देगा। प्रभारी अभियंता संयंत्र या मशीनरी की लौंग शीट में ऐसी सूचना की प्राप्ति की तिथि और समय अभिलिखित करेगा। इसके आधार पर यदि अवरोध दोपहर से पहले हुआ है तो बड़े अवरोध की तिथि की शिकायत के दिन पर आधे दिन का अवरोध मानकर इसका संगणन किया जायेगा। यदि अवरोध दोपहर के पश्चात् हुआ है तो बड़े अवरोध की अवधि अगले कार्य दिवस से प्रारम्भ हो कर संगणित की जायेगी। किसी विवाद की स्थिति में अधीक्षण अभियंता का निर्णय अंतिम होगा।

iii. किराया प्रभार में प्रचालक स्टाफ़ यथा आवश्यकतानुसार चालक/प्रचालक और अनुरक्षण स्टाफ़ जैसे मैकेनिक, क्लीनर, सम्मिलित होंगे। किराया प्रभार में लुब्रिकेटिंग ऑयल, सामान्य मरम्मत और सफाई कार्यों के लिये स्टोर्स भी सम्मिलित होंगे। अन्य सभी प्रभार जैसे मशीनरी हेतु ऊर्जा लागत, ईंधन, फायर मैचेज, डीजल ऑयल, पैट्रोल, किरोसीन और स्टीम रोलर के लिये जल तथा टी.एंड पी की सुरक्षा हेतु चौकीदार का वेतन इत्यादि ठेकेदार/मांगकर्ता द्वारा वहन किये जायेंगे।

खण्ड – 28

समय का विस्तार और विलंब हेतु प्रतिपूर्ति

28.1 सामान्य सिद्धांत

1. किसी कार्य विशेष के लिये निविदा आमंत्रण का नोटिस निर्गत करते समय प्रभारी अभियंता को कार्य की मात्रा और अत्यावश्यकता के अनुसार कार्य पूर्ण करने हेतु अनुमन्य अवधि विनिर्दिष्ट करनी चाहिये।
2. संविदा में प्रविष्ट कार्य पूर्ण करने की अवधि को ठेकेदार द्वारा कठोरता से अपनाया जायेगा तथा ठेकेदार को स्वीकृति पत्र दिये जाने की तिथि के पश्चात् (एन.आई.टी में उल्लिखित दिन से माना जायेगा)।
3. संविदा में अनुबंधित संपूर्ण अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण तत्परता से किया जायेगा (समय अवधि को संविदा की मूल वस्तु माना जाये)
4. निष्पादन के दौरान कार्य की अच्छी प्रगति सुनिश्चित करने के लिये ऐसे सभी विषयों में जहां अनुमन्य समय सीमा से एक माह से अधिक समय लग जाये (विशेष कार्य को छोड़कर) वहां ठेकेदार संविदा में दिये गये मील के पत्थर के अनुसार या पुनः अनुसूचित मील के पत्थर के अनुसार कार्य पूर्ण करने के लिये आबद्ध होगा। तथापि, विशेष कार्यों के लिये यदि ठेकेदार द्वारा समय अनुसूची जमा की गई है और इसे प्रभारी अभियंता द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तो ठेकेदार ऐसी अनुसूची का अनुपालन करेगा।

28.1.1 1. एन.आई.टी अनुमोदक प्राधिकारी एन आई.टी में संविदा की साधारण शर्तों के भौतिक मील के पत्थर हेतु समय अनुसूची अनुबंधित करेगा। निविदा स्वीकार करने वाला प्राधिकारी ठेकेदार सहित सभी संबंधितों के साथ प्रत्येक माह कार्य की प्रगति की समीक्षा करेगा। प्रगति को प्रमाणित करने वाले कारकों को चिह्नित कर उन पर चर्चा की जायेगी तथा जहां आवश्यक हो वहां उपचारक उपाय किये जायेंगे। इन बैठकों के विस्तृत कार्यवृत्त जारी किये जायेंगे। जब कभी एन.आई.टी में भौतिक मील के पत्थर विनिर्दिष्ट किये गये हों तब इनके लिये विनिर्दिष्ट तिथियों पर विस्तृत समीक्षा की जायेगी।

2. यदि वास्तविक बाधा हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय विस्तार प्रदान किया गया है तो उसे कार्य के लिये मील के पथर उपयुक्त रूप से पुनः अनुसूचित करना चाहिये।

3. जब कभी वास्तविक बाधा हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय विस्तार प्रदान किया जाये उसकी एक प्रति निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी को पृथक रूप से भेजी जाये।

28.2 समय विस्तार हेतु अपेक्षाएं

संविदा प्रपत्र 7.8 का खण्ड–5 और प्रपत्र 9 का खण्ड–4 प्रभारी अभियंता को कुछ निश्चित शर्तों पर कार्य पूर्ण करने के लिये समय विस्तार प्रदान की शक्ति प्रदान करते हैं। यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों तो वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता हैः –

i. ठेकेदार को समय विस्तार हेतु लिखित में प्रभारी अभियंता के पास आवेदन करना चाहिये।

ii. इस आवेदन में उस आधार का उल्लेख किया जाये जिससे अनुबंधित अवधि के भीतर कार्य के निष्पादन में ठेकेदार को बाधा आई।

iii. यह आवेदन ऐसी बाधा आने के 14 दिन के भीतर किया जाये।

iv. प्रभारी अभियंता की यह राय होनी चाहिये कि समय विस्तार हेतु दर्शाया गया आधार युक्तियुक्त है।

28.3 समय विस्तार प्रदान करने हेतु अधिकारियों की शक्तियां

समय विस्तार प्रदान करने की शक्तियां उपेजनि अधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई हैं।

28.4 आवेदन के बिना समय विस्तार प्रदान करना

1. बाधा रजिस्टर के अनुसार पर जहां पर्याप्त आधार विद्यमान हो वहां प्रभारी अभियंता ठेकेदार के आवेदन की अनुपस्थिति में भी समय विस्तार प्रदान कर सकता है।

2. समय विस्तार बंधनकारी होने के लिये अभिव्यक्त या विविक्षित रूप से पक्षों की ''सहमति'' से होना चाहिये। अतः यदि अधिशासी अभियंता द्वारा समय विस्तार दिया जाता है और ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने की तिथि से पहले और पश्चात् अभिव्यक्त रूप से और या अपने कार्य द्वारा विविक्षित रूप से इस विस्तार को स्वीकार किया जाता है तो अधिशासी अभियंता द्वारा प्रदान किया गया विस्तार वैध है। अतः यह आवश्यक है कि संविदा जारी

रखने के लिये अधिशासी अभियंता, ठेकेदार द्वारा विस्तार हेतु आवेदन न करने पर भी अस्थायी रूप से समय विस्तार प्रदान करे। यदि प्रभारी अभियंता द्वारा प्रदान किये गये समय विस्तार पर कार्य करने से ठेकेदार मना करता है तो करार के उपबंध लागू होंगे।

3. विलंबित कार्य निष्पादन हेतु परिनिर्धारित क्षति, जिसके कारण समय विस्तार प्रदान किया गया है, की वसूली एक भिन्न मामला है तथा यह निम्नलिखित पर निर्भर करेगा: –

   i. संविदा अधिनियम, 1872 की धारा–55 के द्वारा अपेक्षित पूर्व नोटिस।

   ii. त्रुटि/विलंब/बाधा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होना, और

   iii. इस प्रकार हुए नुकसान का साक्ष्य (यदि मध्यस्थ के समक्ष ठेकेदार द्वारा इसे चुनौती दी जाये)।

28.5 समय विस्तार हेतु आवेदन पत्र

ठेकेदार द्वारा समय विस्तार हेतु जमा किया जाने वाला आवेदन पत्र मानकीकृत किया गया है तथा संलग्नक–17 में दिया गया है। समय विस्तार प्रदान किये जाने हेतु ठेकेदार को इस आवेदन प्रपत्र के भाग I पर आवेदन करना होगा। प्रपत्र के भाग II का उपयोग, समय विस्तार हेतु आवेदन पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

28.6 समय विस्तार हेतु विलंबित आवेदनों पर कार्यवाही।

यद्यपि, ठेकेदार को उस बाधा, जिसके लिये विस्तार मांगा गया है, की तिथि से 14 दिन के भीतर विस्तार लेना होगा तथापि इसके कारण बाद में लिया गया विस्तार विवर्जित नहीं होता। अत्यधिक अपवादी परिस्थितियों और 14 दिन के भीतर कार्य न करने का उचित कारण बताने की स्थिति को छोड़कर अन्य परिस्थितियों में अत्यधिक रियायतें नहीं दी जानी चाहियें। जहां ठेकेदार ने संविदा के खण्ड–5 के अनुसार आवेदन नहीं किया है वहां उसके समय विस्तार पर निवेदन किये जाने के लिये कोई अधिकार नहीं बनता।

28.7 बाधाओं का अभिलेखन

1. जब कभी कोई बाधा सहायक अभियंता के संज्ञान में आती है, चाहे इस बाधा का कारण ठेकेदार हो या विभाग, उसे तुरन्त इस बाधा को स्थल पर रखे रजिस्टर में अंकित करना होगा तथा एक सप्ताह के भीतर इसकी सूचना अधिशासी अभियंता को देनी होगी।

2. अधिशासी अभियंता माह में एक बार बाधा पंजिका की समीक्षा करेगा।

3. बाधा पंजिका का प्रारूप संलग्नक में दिये अनुसार होगा।

4. बाधा पंजिका में बाधा की प्रविष्टि करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखा जायेः –

i. बाधा आरम्भ होने की तिथि और बाधा दूर करने की तिथि उसी दिन प्रविष्ट करनी चाहिये जिस दिन क्रमशः बाधां उत्पन्न हुई और बाधा दूर की गई।

ii. अधिशासी अभियंता को बाधा का कारण दूर करने के 15 दिन के भीतर प्रत्येक बाधा की अतिव्याप्ति अवधि, बाधा की शुद्ध अवधि और बाधा की वरीयता ज्ञात करनी चाहिये। मुख्यालय से बाहर के कार्यों के लिये उसे सम्बन्धित स्थल पर दौरे के समय करना चाहिये।

iii. बाधा के कारण प्रभावित मदों को अधिशासी अभियंता द्वारा स्पष्ट रूप से बाधा रजिस्टर में उल्लिखित करना चाहिये तथा इसी आधार पर वरीयता तय करनी चाहिये।

iv. प्रत्येक बाधा की बाधा पंजिका में प्रविष्टि की जाये और अधिशासी अभियंता और ठेकेदार द्वारा इसे अधिप्रमाणित किया जायेगा।

v. ठेकेदार के कारण आई बाधा की भी बाधा पंजिका में प्रविष्टि की जानी चाहिये।

vi. कार्य के पूर्ण होने में बाधा के कारण होने वाले प्रभाव पर विचार करने के पश्चात् सावधानी पूर्वक बाधा पंजिका में बाधा को अभिलिखित करना चाहिये।

vii. प्रत्येक चालू देयक और अन्तिम देयक के भुगतान के समय ई.ई. और खण्ड लेखाकार द्वारा खण्ड कार्यालय में बाधा पंजिका की समीक्षा आवश्यक होगी तथा यह प्रमाण पत्र अभिलिखित किया जायेगा कि विभाग और ठेकेदार के कारण आई अब तक की बाधाओं को बाधा पंजिका में अभिलिखित किया गया है।

viii. विभाग या ठेकेदार के कारण वास्तुविक विलंब को बाधा रजिस्टर में अभिलिखित सभी बाधाओं पर विचार करने के पश्चात् ज्ञात किया जायेगा।

ix. अधीक्षण अभियंता जब कभी कार्य स्थल का दौरा करे उसके द्वारा बाधा पंजिका की समीक्षा की जायेगी।

28.8 समय विस्तार के मामलों का प्रक्रमण

1. यदि उसकी सक्षमता के अधीन हो तो सहायक अभियंता कार्य समाप्ति के 15 दिन के भीतर समय विस्तार प्रदान किये जाने पर निर्णय करेगा। अन्यथा अपनी संस्तुतियों के साथ, कार्य पूर्ण होने के 30 दिन के भीतर मामले को अधिशासी अभियंता को अग्रसरित करेगा।
2. यदि उसकी शक्तियों के अधीन है तो अधिशासी अभियंता 15 दिन के भीतर निर्णय लेगा अन्यथा उस अवधि के भीतर अपनी संस्तुतियों के साथ मामला अधीक्षण अभियंता को अग्रसरित करेगा।
3. अधीक्षण अभियंता को अधिशासी अभियंता से विस्तार के मामले की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर आदेश प्राप्ति करने चाहिये। यदि सक्षम अधिकारी के आदेश समय पर प्राप्त नहीं होते हैं तो अधिशासी अभियंता को अनुबंधित तिथि के वास्तव में समाप्त होने से पहले संविदा का विस्तार करना चाहिये ताकि संविदा प्रवृत्त रहे किन्तु समय के इस विस्तार को संसूचित करते समय उसे ठेकेदार को यह सूचित करना चाहिये कि यह करार के प्रतिपूर्ति उदग्रहण के सरकार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना था।
4. सभी मामलों के विस्तार की स्वीकृति संलग्नक–17क में दिये गये प्रारूप में सहमति पत्र के खण्ड–5 के अधीन सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता द्वारा जारी की जायेगी। प्रपत्र यह उपबंधित करता है कि समय का विस्तार करार की परिनिर्धारित क्षति वहन करने के सरकार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रदान किया जाता है। सभी मामलों में समय विस्तार प्रदान करने वाले पत्र की एक प्रति संबंधित लेखाधिकारी को पृष्ठांकित की जायेगी। ऐसा करते समय पृष्ठांकन में यह स्पष्ट किया जायेगा कि अधीक्षण अभियंता ने प्रतिपूर्ति या परिनिर्धारित क्षति उद्ग्रहण करने का निर्णय लिया है या उद्ग्रहण न करने का।
5. संविदा (तथा अन्य संविदा प्रपत्रों में तद्नुरूप खण्ड) के कार्यों के निष्पादन में विलंब हेतु परिनिर्धारित क्षति के उद्ग्रहण के संबंध में निर्णय को संबंधित कार्य की माप पुस्तिका में अभिलिखित ही किया जाना चाहिये।

28.9 प्रतिपूर्ति के उद्ग्रहण के बिना समय विस्तार

ऐसे मामले में जहां सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् प्रतिपूर्ति (प्रारूप संलग्नक–17 में दिया गया है) के उद्ग्रहण के बिना समय विस्तार प्रदान किया

जाता है, वहां निगम का हित, सुरक्षित रखने की दृष्टि से तथा अपरिहार्य परिस्थितियों के विरूद्ध पूर्ववर्ती प्रस्तर में सुझाया गया उपबंध लागू रहना चाहिये।

28.10 सहमति पत्र के खण्ड–2 के अधीन प्रतिपूर्ति

''प्रतिपूर्ति'' शब्द का उपयोग 'दंड' शब्द के स्थान पर सहमति पत्र के खण्ड–2 के संबंध में किया जाना चाहिये जिसे प्रपत्र 7/8 और अन्य संविदा प्रपत्रों के सदृश खण्डों में निष्पादित किया जाता है।

28.11 भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा–74

1. यदि कोई संविदा भंग हुई है तथा ऐसा भंग होने पर भुगतान की जाने वाली राशि को संविदा में नामित किया गया है, या संविदा में प्रतिपूर्ति के द्वारा कोई अन्य अनुबंध उल्लिखित है तो ऐसे भंग की शिकायत करने वाला पक्ष, संविदा भंग करने वाले पक्ष से ऐसी युक्तियुक्त धनराशि प्राप्त करने का हकदार है जो यथास्थिति उस प्रकार नामित राशि या अनुबंधित प्रतिपूर्ति से अधिक न हो, भले ही इसके द्वारा वास्तविक नुकसान या हानि साबित होती हो या नहीं।
2. सहमति पत्र के खण्ड–5 के अनुसार ठेकेदार को समय विस्तार हेतु जारी किये गये सभी पत्र प्रभारी अभियंता के हस्ताक्षर युक्त होने चाहिये क्योंकि समय विस्तार प्रदान करने के लिये संविदाकृत रूप से केवल वही अधिकारी है जिसको इसके लिये शक्ति प्रदान की गई है। इसी प्रकार प्रतिपूर्ति अधिरोपित करने या संविदा की प्रतिनिर्धारित क्षति की वसूली के लिये आशायित सभी पत्र अधीक्षण अभियंता के हस्ताक्षर युक्त होंगे क्योंकि सहमति पत्र के खण्ड–2 के अधीन संविदाकृत दायित्व पूरा करने हेतु केवल वही ऐसा अधिकारी है जो इसके लिये सक्षम है।

28.12 प्रतिपूर्ति की सूचना देने हेतु प्रपत्र

उपेजनि ने संलग्नक–18 में दिये अनुसार, संविदा के खण्ड–2 के अधीन प्रतिपूर्ति के उद्ग्रहण के संबंध में ठेकेदार को सूचना देने के लिये एक प्रपत्र निर्धारित किया है: –

संलग्नक

बाधा रजिस्टर हेतु प्रपत्र

(संदर्भ पैरा 28:7(3))

क्रम सं0	बाधा की प्रकृति	कार्य की मदें जो बाधा के कारण निष्पादित नहीं की जा सकीं	बाधा आरंभ होने की तिथि	बाधा समाप्त होने की तिथि	अधिव्याप्ति यदि कोई है	दोनों में शुद्ध बाधा	स0अभि0 के हस्ताक्षर	बाधा की वरीयता	बाधा के शुद्ध प्रभावी दिन	हस्ताक्षर अधि0अभि0	समीक्षा करने वाले अधिकारियों की टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

खण्ड – 29

ठेकेदारों को भुगतान

29.1 खण्ड– 7 की अपेक्षा

1. संविदा की शर्तों का खण्ड–7 उपबंधित करता है कि संपूर्ण कार्य की आपूर्ति पूर्ण हो जाने और कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान कर दिये जाने के पश्चात् तक रू0 50,000/– से कम अनुमानित लागत वाले कार्यों की आपूर्तियों के लिये भुगतान नहीं किया जायेगा। रू0 50,000/– से अधिक की अनुमानित लागत वाले कार्यों के मामले में ठेकेदार इन कार्यों का देयक जमा कर देने पर, प्रभारी अभियंता द्वारा पारित मासिक भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा। ठेकेदार द्वारा कम्प्यूटरीकृत बिल जमा करने के लिये इस नियम पुस्तिका का पैरा 7.12 देखा जा सकता है।
2. मात्रानुपाती करार में संविदा की शर्तों के अधीन हिसाबी भुगतान भी अनुमन्य हैं। प्रभारी अभियंता को ठेकेदार द्वारा संविदा की शर्तों के अनुसार एक तय तिथि तक अपने देयक जमा करना आवश्यक किया जाना चाहिये। सहायक अभियंता को अधिशासी अभियंता द्वारा इस प्रकार तय की गई तिथि से कम से कम 3 स्पष्ट दिन पहले माप की एक प्रति और भुगतान किये जाने वाली आंशिक दरों का विवरण ठेकेदार को प्रदान करना चाहिये। ठेकेदार को भुगतान उसके द्वारा देयक जमा करने पर ही किया जायेगा।

29.1 चालू और अन्तिम बिल हेतु कमिक भुगतान

प्रारम्भ में परीक्षण रूप में उपयुक्त परियोजनाओं/कार्यों के लिये प्रत्येक ज़ोन में कम भुगतान प्रणाली लागू की जायेगी। पुनरावृत्ति वाली प्रकृति के कार्यों के लिये यह प्रणाली उपयुक्त है। चालू खाता और एक कम विशेष के पूर्ण हो जाने के पश्चात् किये जाने वाले भुगतान को निम्नलिखित निर्देशों के दृष्टिगत परिभाषित करने की आवश्यकता है: –

i. यदि प्रत्येक कम के लिये विचार किये गये एक खण्ड/सेगमेन्ट हेतु सभी फाउंडेशन्स एक ही डिजायन की हैं तो नीव कार्य हेतु भुगतान भी स्तरों में परिभाषित किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो नीव कार्य हेतु भुगतान वास्तविक माप के अनुसार किया जायेगा।
ii. जहां छत का ढॉचा एक समान हैं वहां आवासीय और गैर आवासीय भवनों के लिये स्तरवरि भुगतान की प्रणाली अपनायी जायेगी।

iii. प्रत्येक स्तर को भली–भांति परिभाषित किया जाये। फ्लोर लेवल्स या अन्य लेवल्स जैसे प्रत्येक ब्लॉक/प्रत्येक सेग्मेन्ट का लिंटल लेवल/सिल लेवल, स्टेज भुगतान अनुमन्य करने के लिये आधार माना जाये।

iv. प्रत्येक परिभाषित स्टेज के लिये एक पूर्ण इकाई की माप की क0अभि0/स0अभि0/अधि0अभि0 द्वारा परीक्षण जांच और अभिलेखन किया जायेगा। अप्रकट माप की 100 प्रतिशत परीक्षण जांच क0अभि0/सा0अभि0 द्वारा की जायेगी तथा कम से कम 10 प्रतिशत परीक्षण जांच अधि0अभि0 द्वारा की जायेगी।

v. प्रत्येक स्टेज की पूर्णता के पश्चात् क0अभि0 व स0अभि0 द्वारा एक प्रमाण पत्र अभिलिखित किया जायेगा कि पूर्व में अभिलिखित किये गये अनुसार मानक इकाई के मापों के अनुरूप कार्य निष्पादित कर लिया गया है।

प्रत्येक स्तर की पूर्णता को अधि0अभि0 द्वारा भी प्रमाणित किया जायेगा। वाह्य स्टेशनों के लिये अधि0अभि0 की परीक्षण जांच एकान्तर चालू देयको में निष्पादित की जायेगी।

vi. चालू देयक की न्यूनतम राशि के अधीन भुगतान के प्रत्येक चरण को परिभाषित करते हुए भुगतान अनुसूची उल्लिखित की जायेगी।

vii. अपूर्ण स्टेज हेतु कोई आंशिक भुगतान अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

29.1.1 देयक पंजिका और उसकी समीक्षा

1. खण्डीय अधिकारी को संलग्नक–7 में निर्धारित प्रपत्र में रू0 50,000/– से अधिक लागत वाली संविदा के संबंध में ठेकेदार को किये गये मासिक चालू देयक के अभिलेख के लिये एक पंजिका रखना चाहिये। जब कभी कोई देयक जमा किया जाये इस पंजिका में उसकी प्रविष्टि की जायेगी।

2. यह सुनिश्चित करने के लिये कि ठेकेदार को समय पर भुगतान किया जा रहा है अधिशासी अभियंता द्वारा नियमित रूप से रजिस्टर की समीक्षा की जायेगी।

3. ठेकेदार को क्रमिक मासिक भुगतान का विवरण पंजिका में तत्समय अंकित की जायेगी।

29.1.2 खण्डीय लेखाकार द्वारा उठायी गयी आपत्तियां

किसी देयक में किसी मद विशेष या दर के भुगतान हेतु खण्डीय लेखाकार द्वारा यदि कोई आपत्ति उठायी जाती है तो प्रभारी अभियंता को तय कर उसी समय युक्तियुक्त आदेश पारित करने चाहिये कि वह मद जिस पर आपत्ति की गई है,

अनुमन्य किया जाना चाहिये अथवा नहीं तथा यदि इसे अनुमन्य नहीं किया जाता है तो उस मद को देयक में से हटा दिया जाये किन्तु किसी भी परिस्थिति में भुगतान में विलंब न किया जाये।

29.2 अंतिम भुगतान

1. कार्य पूर्ण होने के एक माह के अन्दर अंतिम माप रिकार्ड की जाये। कार्य हेतु अंतिम भुगतान निम्नलिखित रूप से किया जायेगाः –
   i. यदि संविदा मूल्य 100 लाख रूपये तक है तो कार्य पूर्ण होने पर दो माह के अन्दर।
   ii. यदि संविदा मूल्य 100 लाख रूपये से अधिक है किन्तु 5.00 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है तो कार्य पूर्ण होने पर तीन माह के अन्दर।
   iii. यदि संविदा मूल्य 5.00 करोड़ रूपये से अधिक है तो कार्य पूर्ण होने पर 6 माह के अन्दर।
2. अंतिम भुगतान जारी करने के संबंध में सभी औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करने के बारे में इस नियम पुस्तिका के पैरा 21.1.3 का संदर्भ लें।

29.3 बिलों के भुगतान हेतु समय अनुसूची

बिलों के भुगतान और कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निम्नलिखित समय अनुसूची निर्धारित की गई हैः –

स्टेज	समय सीमा
चलू देयको का भुगतान	जहां तक संभव हो बिल प्रस्तुत किये जाने से 6 कार्य दिवस पूरे होने से पहले। स0अभि0/अधि0अभि0 दोनों और ई.ई. को 3 कार्य दिवस प्रत्येक से अधिक नहीं लेना चाहिये (खण्ड–7)
ठेकेदार का कार्य पूर्णता का संरचना	कार्य पूर्ण होने पर 10 दिन के भीतर (खण्ड–8)
कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र देयक करना	ठेकेदार का नोटिस प्राप्त होने पर 30 दिन के भीतर
ठेकेदार द्वारा अंतिम देयक जमा करना	प्रभारी अभियंता द्वारा प्रस्तुत कार्य पूर्णता के अंतिम प्रमाण पत्र की तिथि से एक माह के भीतर या कार्य के भौतिक रूप से पूर्ण होने के पश्चात् तीन माह के अन्दर दोनों में जो पहले हो। (खण्ड–9)
100 लाख रूपये तक के कार्यों के लिये अंतिम बिलों का भुगतान	ठेकेदार से अंतिम देयक की प्राप्ति से 2 माह (खण्ड–9)

100 लाख रूपये से ऊपर किन्तु 5.00 करोड तक के कार्यों के लिये अंतिम भुगतान	ठेकेदार से अंतिम देयक की प्राप्ति से 3 माह (खण्ड–9)
5.00 करोड़ रूपये से अधिक के कार्यों के लिये अंतिम देयकों का भुगतान	ठेकेदार से अंतिम देयक की प्राप्ति से 6 माह (खण्ड–9)

29.4 कार्यों का निरीक्षण और पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना

1. कार्य के सभी प्रकार से पूर्ण हो जाने की घोषणा हो जाने और निम्नलिखित कार्यों के संबंध में ठेकेदार को अंतिम भुगतान जारी हो जाने से पहले अधिशासी अभियंता द्वारा इसका निरीक्षण किया जायेगा।

		संविदा राशि
i.	सभी जनपद कार्य	200 लाख रूपये और अधिक
ii.	विद्युत कार्य	100 लाख रूपये और अधिक
iii.	जल आपूर्ति/सेनिटरी कार्य	100 लाख रूपये और अधिक
iv.	सड़क/रन वे कार्य	200 लाख रूपये और अधिक

2. अधीक्षण अभियंता निम्नलिखित प्रमाण पत्र भी अभिलेख करेगा: –
"मैंने .....के कार्य का निरीक्षण किया है जिसका संविदा मूल्य रू0..... है। देखें सहमति पत्र सं0.....। इस निरीक्षण और मेरे पूर्व निरीक्षण के परिणाम स्वरूप मेरा निष्कर्ष है कि कार्य सामान्य विनिर्देशनों के अनुरूप किया गया है और संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया है। इसमें निम्नलिखित को छोड़ कर कोई नोटिस करने योग्य त्रुटियॉ नहीं हैं: –

.....

3. उपरोक्त प्रमाण पत्र कार्य पूर्ण होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर रिकार्ड किया जाना आवश्यक है।
4. ऐसे कार्य जिनका संविदा मूल्य उपरोक्त से कम है, के मामले में अधिशासी अभियंता को यथास्थिति एक सदृश प्रमाण पत्र अभिलिखित करना होगा।
5. यदि इस प्रकार कोई त्रुटियां इंगित की गई हैं तो ठेकेदार द्वारा या विभाग द्वारा ठेकेदार की लागत पर समेकित रूप से उसका सुधार किया जाये तथा इसके लिये संविदा की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिये।

6. ठेकेदार के अंतिम देयक की कार्यालय प्रति के साथ पूर्णता प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न की जायेगी तथा यह खण्ड के अभिलेख में रहेगी। इस प्रमाण पत्र के अभिलेख हो जाने और बिल की कार्यालय प्रति के साथ संलग्न हो जाने तक अधिशासी अभियंता अंतिम भुगतान नहीं करेगा। तथापि, इस प्रमाण पत्र के द्वारा, विभाग के नियमों और कार्य संहिता द्वारा अपेक्षित कार्य और बिल की उचित जांच हेतु अधिशासी अभियंता और खण्डीय लेखाकार के उत्तरदायित्व किसी प्रकार कम नहीं होंगे।

29.4.1 जिस अधिशासी अभियंता के कार्यकाल में कार्य पूर्ण हुआ उसके द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र अभिलिखित करना

1. पूर्णता प्रमाण पत्र उस अधिशासी अभियंता द्वारा अभिलिखित किया जायेगा जिसके कार्यकाल में कार्य पूर्ण हुआ है भले ही कार्य का एक भाग उसके पूर्ववर्ती के कार्यकाल में हुआ हो। उसके पूर्वाधिकारी के कार्यकाल में हुए कार्य के लिये प्रमाण पत्र अभिलिखित करने वाला अधिशासी अभियंता उत्तरदायी नहीं है। उदाहरण के लिये नीव का कार्य या कंक्रीट फ्लोरिंग के नीचे का कार्य इत्यादि। किन्तु जो दृष्टिगोचर हों उन त्रुटियों को इंगित करना उसके लिये आवश्यक है जैसे–दरवाजों, खिड़कियों, प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग, पेंटिंग, इत्यादि में त्रुटियां। अधिशासी अभियंता का स्थानांतरण होने पर वे अपना प्रभार उत्तराधिकारी को सौंपने से पहले अपने कार्यकाल में पूर्ण हुए कार्यों के लिये पूर्णता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से अभिलिखित करेंगे।
2. विशिष्ट मामलों में जहां व्यावहारिक कठिनाईयां हों, जैसे कि त्याग पत्र, निधन, इत्यादि के कारण अधिशासी अभियंता विभाग में न रहे और उसके द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने में कठिनाई हो तो अधीक्षण अभियंता, मामले के विवरण की जांच कर वर्तमान अनुदेशों में कोई शिथिलता तय कर तद्नुसार निर्देश जारी कर सकता है। मामले के तथ्यों के प्रकट होने पर जहां न्यायोचित हो, पूर्णता के लिये अधिशासी अभियंता के विरूद्ध प्रशासनिक कार्रवाई भी की जायेगी।

29.4.2 वास्तुविद/परामर्शिया द्वारा कार्यों का परीक्षण

1. कार्य के प्रभारी वास्तुविद/ परामर्शी द्वारा एक भवन विशेष के पूर्ण हो जाने पर यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि यह अनुमोदित ड्राईंग्स, डिजायन और विनिर्देशनों के अनुसार निर्मित हुआ है।

2. किसी अनाधिकृत परिवर्तन के मामले में पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा जब तक कि संबंधित अधिशासी अभियंता की संतुष्टि तक त्रुटि या परिवर्तन में सुधार नहीं कर लिया जाता। वास्तुविद्/ परामर्शी द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र 500 लाख रूपये से अधिक की लागत के कार्यों के लिये आवश्यक होगा। तथापि, मुख्य अभियंता यह तय कर सकता है कि 500.00 लाख रूपये (संविदा राशि) से कम लागत वाले किसी भवन विशेष के लिये वास्तुविद्/परामर्शी द्वारा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, अथवा नहीं।

3. वास्तुविद्/परामर्शी द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र निम्नलिखित रूप में है: –

''परियोजना का नामः .....

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि .....कार्य का मेरे द्वारा ..... को निरीक्षण किया गया तथा यह मेरे द्वारा तैयार वास्तु मदों की योजनाओं, एलिवेशन, सैक्शन्स, विवरणों और विनिर्देशनों के अनुसार .....को पूर्ण कर लिया गया है। यह कार्य मेरे सामान्य संतोष का व कर्म कौशल पूर्ण है तथा फिनिशिंग आईटम्स हेतु उपयोग में लाई गई सभी सामग्री वास्तु सौंदर्य हेतु संतोषजनक है।''

4. ठेकेदार को देयक बिल का भुगतान किये जाने से पहले वास्तुविद् /परामर्शी का पूर्णता प्रमाण पत्र आवश्यक है।

5. ऐसे कार्यों के मामले में अधिशासी अभियंता को भौतिक रूप से कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह के भीतर संबंधित वास्तुविद्/ परामर्शी को सभी प्रकार से कार्य पूर्ण हो जाने की सूचना देनी चाहिये तथा उससे अपना निरीक्षण करने और आवश्यक पूर्णता प्रमाण पत्र अभिलिखित करने का निवेदन करना चाहिये। वास्तुविद् /परामर्शी कार्य का निरीक्षण करेगा तथा ऐसी सूचना की प्राप्ति से एक माह के भीतर प्रमाण पत्र जारी करेगा।

6. वास्तुविद्/परामर्शी के इस प्रमाण पत्र की एक अनुमाणित प्रति अधीक्षण अभियंता के साथ अंतिम बिल की कार्यालय प्रति के साथ संलग्न की जायेगी तथा यह खण्ड के अभिलेख में रहेगी।

29.5 बैंक के माध्यम से भुगतान।

ठेकेदार को देय भुगतान, यदि वह इच्छुक है तो सीधे उसको किये जाने के बजाय बैंक के माध्यम से किया जा सकेगा बशर्ते कि ठेकेदार सभी आवश्यक दस्तावेज प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत करे।

29.6 आयकर की स्रोत पर कटौती

1. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ग के अधीन आयकर की कटौती ठेकेदार को किये गये भुगतान पर संवितरण अधिकारी द्वारा स्रोत पर किया जाना आवश्यक है।

2. प्रथम और अंतिम बिल देयक चालू खाता देयक/अंतिम देयक पर हस्ताक्षर करने से पहले खण्ड अधिकारी को देखना चाहिये कि:–

   i. जहां कहीं देय हो आयकर पर ठेकेदार के देयक से साविधिक कटौती की गई है, और

   ii. ''अन्य कार्य या लेखों के शीर्ष को क्रेडिट योग्य राशि की वसूली द्वारा'' मद के अधीन इसके भुगतान के ज्ञापन में विशिष्ट रूप से दर्शाया गया है।

3. यथास्थिति ठेकेदार या उप ठेकेदार इसके लिये मुक्त हैं कि वह संबंधित आय कर अधिकारी को आवेदन कर उससे अपने मामले में उपयुक्त स्थिति अनुसार ऐसी निम्न दर पर कर की कटौती करने या कर की कटौती न करने के लिये दाता को अधिकृत करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करे। ऐसा प्रमाण पत्र उसमें विनिर्दिष्ट अवधि हेतु मान्य होगा यदि पूर्व में आय कर अधिकारी द्वारा इसे रद्द कर दिया जाये, तथा ऐसे मामलों में कटौती तद्नुसार की जायेगी।

4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288बी के वर्तमान उपबंधों के दृष्टिगत स्रोत पर कटौती किये जाने वाली राशि को निकटतम रूपये तक पूर्णांकित किया जायेगा।

5. सरकार के लिये कटौती किये गये कर को बही समायोजन द्वारा उसी दिन राज्य सरकार को क्रेडिट किया जाना चाहिये। अन्य मामलों में कटौती किये गये कर को कटौती किये गये माह की अंतिम तिथि से एक सप्ताह के भीतर सरकार को क्रेडिट किया जाना चाहिये।

6. सरकारी लेखे में कर का भुगतान करने के लिये चालान संबंधित आयकर अधिकारी या बैंक से प्राप्त किये जा सकते हैं।

7. यथास्थिति ठेकेदार या उप–ठेकेदार को कोई भुगतान करने के लिये जिम्मेदार प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट प्रपत्र के स्रोत पर कर की कटौती का प्रमाण पत्र जारी करना होगा।

29.7 वैट और उपकर की कटौती (भवन और अन्य कामगारों का उपकर अधिनियम, 1996)

उपकर अधिनियम एक केन्द्रीय विधान है लेकिन इसे उपकर संग्रहण तंत्र संरचित कर और कल्याण परिषद गठन कर राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है। कुछ राज्य सरकारों ने अभी इसे लागू नहीं किया है। ठेकेदारों के बिलों से उपकर की कटौती कर राज्य कल्याण परिषद के पास जमा करने के उपबंध हैं। वैट राज्य का विषय है। दर और अन्य उपबंध अलग–अलग राज्यों में भिन्न–भिन्न हैं। वैट के अधीन भी स्रोत अर्थात् ठेकेदार के बिल से कटौती हेतु सांविधिक उपबंध हैं। जहां कहीं लागू हो इन उपबंधों को अपनाया जायेगा।

खण्ड – 30

अवमानक कार्य के लिये भुगतान

30.1 अवमानक कार्य का वर्तन

1. ठेकेदारों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी कार्य नियत किये गये विनिर्देशनों के अनुसार और उचित कर्म कौशल तरीके से करें। कार्य के निष्पादन में विभाग का आदर्श वाक्य गुणवत्ता, गति और लागत में मितव्ययता रहना चाहिये। कार्य की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिये। फील्ड स्टाफ, अर्थात् कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता यह देखने के लिये सतर्क रहेंगे कि ठेकेदार कोई त्रुटिपूर्ण या निम्न गुणता का कार्य निष्पादित न करे। यदि उनकी सतर्कता और निर्देशों के बाद भी कार्य की कुछ मदें विनिर्देशनों से नीचे की जाती है और/या उन्हें एक उचित कर्म कौशल के अनुसार नहीं किया जाता है तो ठेकेदार से उसे तुरन्त विनिर्देशनों तथा कठोर अभियांत्रिक चलन के अनुरूप सुधारने या दोबारा करने के लिये कहा जाये। कार्य की मदों में ऐसी सभी त्रुटियां/कमियां संज्ञान लिया जाय तथा स्थल आदेश पुस्तिका में अभिलिखित की जायें। फील्ड स्टाफ का यह कर्तव्य होगा कि कार्य की प्रगति के दौरान वह समय पर ऐसी त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे।
2. ऐसी त्रुटियां होने पर कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा इन्हें तुरन्त अधिशासी अभियंता के संज्ञान में लाना होगा ताकि उसे सुधारने/या ध्वस्त कर देने और यदि करार के अनुसार आवश्यक हो तो दोबारा करने के लिये ठेकेदार को नोटिस जारी करने के लिये समय पर कार्यवाही की जा सके। अधिशासी अभियंता स्वयं भी कार्य का निरीक्षण जितनी बार संभव हो करेगा तथा ठेकेदार को ऐसे नोटिस जारी करने के लिये समय पर कार्यवाही करेगा।
3. कार्य की प्रगति के दौरान ऐसी त्रुटियां/कमियां होने पर तुरन्त ऐसे नोटिस जारी करने का प्रयास किया जाना चाहिये। समय पर की गई कार्यवाही से ही त्रुटियों और कमियों को रोका जा सकता है अन्यथा बाद में इनको सुधारने में कठिनाई आ सकती है। जहां अनुरक्षण के समय ऐसी त्रुटियां/कमियां उत्पन्न हों वहां निर्धारित अनुरक्षण अवधि के भीतर सुधार/दोबारा करने के नोटिस दी जानी होगी।

4. यदि ठेकेदार त्रुटियों में सुधार नहीं करता है या कमियों को दूर नहीं करता है वहां प्रपत्र–7 में संविदा की शर्तों और अन्य प्रपत्रों में सदृश शर्तों के खण्ड–16 के निबंधनों में ठेकेदार की लागत पर किसी अन्य अभिकरण से या कुशल कारीगर नियुक्त कर विभागीय रूप से कार्य में सुधार किया जाये या दोबारा किया जाये।

30.2 अवमानक कार्य की स्वीकृति

1. सामान्यतया, अवमानक कार्य न होने दिये जायें क्योंकि इससे फील्ड स्टाफ़ की वृत्तिक क्षमता पर की कमी प्रकट होती है तथा विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
2. विनिर्देशनों से निम्न कार्य और/या स्वीकार्य स्तरों से निम्न कर्म कौशल तथा ऐसे त्रुटिपूर्ण/कमी वाले कार्यों के फलस्वरूप कम दरों पर भुगतान को ऐसी मदों के लिये केवल तभी अपनाया जाना चाहिये जब अपेक्षित विनिर्देशनों की पुष्टिकारक सामग्री उपलब्ध न हो या जहां संरचनात्मक रूप से कार्य दोबारा कराया जाना असंभव हो या जहां अधिशासी अभियंता की राय में ऐसा करना समीचीन हो।
3. कम दरों पर अवमानक कार्य केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही स्वीकार किये जाने चाहिये। अवमानक कार्य स्वीकार करने के लिये अधिशासी अभियंता सक्षम प्राधिकारी है।
4. करार दर पर उन मदों जिनके लिये अधिशासी अभियंता संविदा में अवमानक कार्य स्वीकार करता है, की मात्रा का कुल मूल्य, संविदा मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। यदि ऐसी मदों का कुल मूल्य 5 प्रतिशत से अधिक होता है तो अधीक्षण अभियंता की पूर्वानुमति आवश्यक होगी। विभाग द्वारा अवमानक कार्य स्वीकार करने से पहले प्रभारी अभियंता को सक्षम प्राधिकारी से पुर्वानुमोदन प्राप्त कर इसकी स्वीकृति तथा अंतिम दरों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय होने तक अस्थायी दरों के संबंध में प्रबंध निदेशक की ओर से ठेकेदार को पत्र प्रेषित किया जायेगा। इस पत्र के उत्तर में ठेकेदार को विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट निबंधनों की स्वीकार्यता हेतु अपनी सहमति भेजनी होगी। इस प्रयोजन हेतु नीचे दिये गये संलग्नक–I और II के अनुसार दो प्रपत्रों का उपयोग किया जा सकेगा।

5. तय किये जाने वाले अवमानक कार्य के लिये दरों के संबंध में घटौती की मात्रा और उसके औचित्य के संबंध में अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता का निर्णय अंतिम होगा तथा करार के खण्ड–25 के अधीन मध्यस्थता के लिये मुक्त नहीं होगा।

6. उपेजनि कार्यों के लिये संविदा की सामान्य शर्तों के खण्ड–26 के अधीन अधिशासी अभियंता द्वारा एक बार उद्ग्रहित प्रतिपूर्ति की राशि को उच्च अधिकारियों द्वारा भी हटाया या कम नहीं किया जा सकता।

संलग्नक–I

अवमानक कार्य हेतु दर में अस्थायी घटौती के लिये ठेकेदार को अधिश ासी अभियंता द्वारा पत्र का नमूना

(संदर्भ पैरा 30.2(4))

सेवा में,
श्रीमान .....
.....
प्रिय महोदय,

विषयः ..... का निर्माण, करार सं0 .....

1. प्रबंध निदेशक, उपेजनि का विचार है कि उपरोक्त करार की शर्तों पर आपके द्वारा किये गये कार्य के संबंध में कार्य की मदें (इसके साथ संलग्न विवरण में विनिर्दिष्ट) निर्धारित विनिर्देशनों और/या कर्म कौशल के अनुसार निष्पादित नहीं की गई हैं, अतः इन्हें करार में विनिर्दिष्ट दरों पर भुगतान हेतु उक्त करार के निबंधनों में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
2. तथापि, कार्य की उक्त मदों की अवमानक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यदि आप उपयुक्त रूप से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने पर सहमत हों तो प्रबंध निदेशक इसे स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। उपेजनि के संबंधित वृत्त के प्रभारी अधीक्षण अभियंता यह तय करेंगे कि उक्त मदों के लिये सहमत दरों से क्या उपयुक्त घटौती की जाये। उनका निर्णय अंतिम होगा। तथापि, अधीक्षण अभियंता का निर्णय लंबित रहने तक कार्य की उक्त मदों के लिये भुगतान प्रत्येक मद के समक्ष इंगित अस्थायी दरों पर किया जायेगा।
3. कार्य की उक्त मदों के लिये भुगतान हेतु उक्त शर्तों से यदि आप की सहमति है तो कृपया संलग्न प्रपत्र भर कर वापस भेजें। यदि इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर आपसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जायेगा कि यह प्रस्ताव आपको स्वीकार नहीं है। ऐसी स्थिति में संविदा के निबंधनों में प्रबंध निदेशक उपेजनि के अधिकारों और उपायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह प्रस्ताव वापस हो जायेगा।

भवदीय,

प्रबंध निदेशक, उपेजनि की ओर से

अधिशासी अभियंता

संलग्नः उपरोक्त विवरण

संलग्नक–II

अवमानक कार्य हेतु दर की अस्थायी घटौती की ठेकेदार की स्वीकृति के पत्र का नमूना

(संदर्भ पैरा 30.2(4))

सेवा में,

.....

.....

विषयः ..... का निर्माण

संदर्भः आपका पत्र सं0 .....

महोदय,

मैने/हमने आपके पत्र दिनांक ..... में प्रस्तावित निबंधनों और शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ा है और मुझे/हमें यह स्वीकार है।

आपके उपरोक्त पत्र के साथ संलग्न विवरण में विनिर्दिष्ट कार्य की मदों के समक्ष भुगतान की अंतिम दरों का अधीक्षण अभियंता का निर्णय जो कि अंतिम और बाध्यक होगा, के विलंबित रहने तक मैं/हम आपके विवरण में उल्लिखित उपरोक्त कार्य हेतु कार्य की प्रत्येक उक्त मद के समक्ष अस्थायी दरों पर इसके भुगतान किये जाने के लिये सहमत हूँ/हैं।

भवदीय,

(ठेकेदार)

खण्ड–31

अग्रिम भुगतान

31.1 किये और मापे गये कार्य हेतु अग्रिम भुगतान

1. खण्ड कार्यालय में प्राप्त हिसाबी बिलों के समक्ष ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान उनसे आवेदन प्राप्त होने पर खण्ड अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। खण्ड अधिकारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन हस्त रसीद प्रपत्र–28 पर एक मुश्त अग्रिम भुगतान करेगाः–

   i. वह बिल जिसके संबंध में अग्रिम भुगतान प्रस्तावित है वह खण्ड कार्यालय में वास्तव में जांच के अधीन होना चाहिये।

   ii. अग्रिम भुगतान की राशि जांच के अधीन बिल के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। किन्तु जहां कहीं अग्रिम भुगतान की राशि 40,000 रूपये से कम निकलती हो वहां कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

   iii. क्रमिक बिल जिसके सम्मुख अग्रिम भुगतान किया जा रहा है तथा माप पुस्तिका में माप के संबंधित सार दोनों पर उपयुक्त रूप से भुगतान का पृष्ठांकन किया जायेगा। हस्त रसीद बाउचर जिस पर भुगतान किया जाये उस पर उस देयक की संख्या तिथि और राशि लिखी जानी चाहिये जिसके विरूद्ध भुगतान किया गया है। साथ ही माप पुस्तिका की पृष्ठ संख्या, वह वाउचर, यदि कोई है, की संख्या, तिथि और राशि जिस पर पूर्व में हिसाबी भुगतान किया गया था। लेखे में इस भुगतान को अग्रिम के रूप में लिया जाये।

   iv. भुगतान करने के पहले ठेकेदार से यह वचन लिया जाये कि यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसको किये गये अग्रिम भुगतान की राशि उस चालू देयक से अधिक है जिसके संबंध में अग्रिम प्रदान किया गया है तो वह अधिक किये गये भुगतान को तुरन्त उपेजनि को वापस लौटायेगा।

   v. अधिशासी अभियंता द्वारा प्राधिकृत अग्रिमों का रिकार्ड एक विशेष रजिस्टर में रखा जाये जिसका निरीक्षण अधीक्षण अभियंता द्वारा खण्ड कार्यालय पर भ्रमण के समय किया जाये।

vi. पहले अग्रिम की वसूली से पहले दूसरे अग्रिम की अनुमति नहीं दी जायेगी।

31.2 किये गये किन्तु न मापे कार्य हेतु अग्रिम भुगतान

1. किये गये किन्तु अमापित कार्यों के लिये ठेकेदार को किये जाने वाले अग्रिम भुगतान हेतु निम्नलिखित नियम अपनाये जायेंगे: –

क. नियमानुसार ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान की मनाही है तथा उन्हें तब तक भुगतान नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि कार्य की विस्तृत माप कर उसे रिकार्ड न कर लिया जाये। तथापि, वास्तविक आवश्यकता के मामले में अग्रिम भुगतान ऐसी स्थिति में किये जा सकते हैं जब ऐसा करना आवश्यक हो जाये तथा ऐसे मामलों में सदैव संबंधित अधीक्षण अभियंता की पूर्वानुमति ली जायेगी।

ख. वास्तव में निष्पादित कार्यों के लिये अग्रिम भुगतान एक जिम्मेदार अधिकारी (जो खण्ड अधिकारी के पद से नीचे का न हो) के इस प्रमाण पत्र पर किया जाये कि किये गये कार्य की मात्रा के भुगतान से अधिक भुगतान नहीं किया गया है तथा ऐसा प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इसके परिणाम स्वरूप कोई अति भुगतान न हो।

ग. चालू खाता देयक पर अंकित प्रमाण पत्र पर खण्ड या खण्ड अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिये तथा विभिन्न मदों पर किये गये भुगतान की एक मुश्त राशि विनिर्दिष्ट की जानी होगी।

घ. यदि किसी सामग्री की सुरक्षा पर ठेकेदार को एक सुरक्षित अग्रिम पहले से अनुमन्य किया गया है तथा इस सामग्री का उपयोग किसी मद के निर्माण में किया गया है तो उस मद के लिये अग्रिम भुगतान की राशि, किये गये कार्य में से, उपयोग की सामग्री के कारण अंततः वसूली योग्य सुरक्षित अग्रिम की अनुपातिक राशि को घटा कर ज्ञात राशि के बराबर राशि से अधिक नहीं होगी।

ङ. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्रिम भुगतान प्राधिकृत कर दिये जाने पर अधिकतम 2 माह के भीतर इसकी विस्तृत माप की जायेगी। 2 माह के पश्चात् मुख्य अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

च. प्रभारी मुख्य अभियंता के पूर्वानुमोदन के बिना, पहले अग्रिम की वसूली हुए बिना दसरे अग्रिम की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. किये गये किन्तु मापे न गये कार्य के लिये अग्रिम भुगतान देयक उपेजनि प्रपत्र 27 पर किया जायेगा तथा इसे उचंत उप शीर्ष ''अग्रिम भुगतान'' के अधीन कार्य लेखे में वर्गीकृत किया जायेगा। हस्ती रसीद पर ऐसा कोई भुगतान न किया जाये।

31.3 रासायनिक विश्लेषण और सामग्री के परीक्षण हेतु निजी फर्म्स/स्वायत्त निकायों को अग्रिम भुगतान

1. अधीक्षण अभियंता द्वारा रासायनिक विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं की एक सूची अनुमोदित की जायेगी। सूचीबद्ध प्रयोगशाला को अधिशासी अभियंता द्वारा अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा तथा इसके लिये आगे किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

2. अग्रिम की राशि एक सामान्य रसीद पर आहरित की जायेगी तथा अन्तिम मद के अधीन ली जायेगी जिसमें प्रश्नगत सेवाओं पर व्यय डेबिट किया जायेगा।

31.4 सुनिश्चित अग्रिम

1. स्थल पर लाई गई सामग्री की सुरक्षा पर सुरक्षित अग्रिम ठेकेदारों को इन मदों के लिये दिये जायेंगे जिनका उपयोग कार्य के लिये होता है।

2. खण्ड अधिकारी, प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित रूप में सामग्री के मूल्य का अधिकतम 90 प्रतिशत या कार्य की तैयार मद की निविदाकृत दर में सामग्री तत्व लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत, दोनों में जो कम हो, की राशि तक का सुरक्षित अग्रिम स्वीकृत कर सकता है।

3. ठेकेदार के साथ एक औपचारिक करार किया जाना चाहिये जिसके अधीन उपेजनि सामग्री पर धारणाधिकार रखाता है तथा ठेकेदार द्वारा कार्य के निष्पादन को स्थगित करने या सामग्री की कमी या दुरूपयोग के कारण होने वाली हानियों के विरूद्ध और उनकी उचित देखभाल और सुरक्षित अभिरक्षा के लिये होने वाले व्यय के विरूद्ध संरक्षित रखाता है।

4. ऐसे अग्रिमों का भुगतान केवल ऐसे अधिकारियों के प्रमाण पत्र पर होना चाहिये जो सब–डिविजनल अधिकारी की श्रेणी से नीचे के न हों: –

i. सामग्री की मात्रा, जिसके लिये अग्रिम दिया जाना है, वास्तव में स्थल पर लाई गई हैं।

ii. सामग्री की पूर्ण मात्रा, जिसके लिये अग्रिम दिया जाना है, ठेकेदार द्वारा कार्य की मदों में उपयोग हेतु अपेक्षित हैं, इसके लिये तैयार कार्य हेतु दरों पर सहमति है।

iii. सामग्री की गुणवत्ता विनिर्देशनों के अनुसार है।

5. इस प्रकार दिये गये अग्रिम की वसूली को, ठेकेदार को सौंपे गये संपूर्ण कार्य के पूर्ण होने तक विलम्बित नहीं किया जायेगा। इसे सामग्री के उपयोग के साथ किये गये कार्य हेतु बिलों से किया जाना चाहिये। वे कार्य जिनके लिये सामग्री का उपयोग किया गया, का बिल बनाते समय आवश्यक कटौती की जाये।

6. सुरक्षित अग्रिम मात्र अविनाशी मदों के लिये प्रदान किये जायेंगे। तथापि, ठेकेदार द्वारा बीमा आच्छावन के माध्यम से सरकार को क्षतिपूर्ति करने पर ये प्रदान किये जायेंगे।

खण्ड अधिकारी यह चिह्नित करेगा कि कोई मद विनाशी है या नहीं।

31.4.1 स्तर भुगतानों को सुरक्षित अग्रिम नहीं माना जायेगा। जहां विद्युत एवं यॉत्रिक जैसे या अन्य विशिष्ट कार्यों के लिये कुछ संविदाओं में स्टेज भुगतान अनुबंधित हैं वहां ऐसे भुगतानों को सुरक्षित अग्रिम नहीं माना जायेगा।

31.5 पूंजी व्याप्त कार्यों के निष्पादन हेतु ठेकेदारों को सचलनीय अग्रिम प्रदान करना

1. कुछ विशिष्ट और पूंजी व्याप्त कार्य जिनकी अनुमानित लागत निविदा में रू0 2.00 और अधिक रखी गई है, के संबंध में निविदा दस्तावेज में सचलनीय अगिम का उपबंध रखा जायेगा। मुख्य अभियंता को यह तय करने में कि किसी कार्य विशेष को विशिष्ट अथवा पूंजी व्याप्त कार्य माना जायेगा या नहीं, सावधानी पूर्वक अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिये। डी.सी.सी. के सुसंगत खण्ड की प्रयोज्यता अथवा अन्यथा को किसी कार्य विशेष के एन.आई.टी को अंतिम रूप देते समय अनुसूची ''च'' में स्पष्ट रूप से इंगित करनी होगी।

i. 10 प्रतिशत साधारण ब्याज पर निविदा राशि के 10 प्रतिशत तक सीमित सचलनीय अगिम संविदा के निबंधनों के अनुसार विशिष्ट निवेदन पर ठेकेदार को स्वीकृति किया जा सकता है।

ii. सचलनीय अगिम जारी की जाने वाली और संविदा अवधि हेतु वैध राशि के लिये किसी अनुसूचित बैंक गारंटी बॉंड प्राप्त करने के पश्चात् ही जारी किया जा सकेगा। शेष राशि तथा ब्याज के साथ

पूर्ण वसूली की संभावित अवधि को कवर करने के लिये समय–समय पर इसका नवीनीकरण किया जायेगा। अग्रिम का निर्मोचन कम से कम दो किश्तों में किया जाना चाहिये। अग्रिम पर ब्याज, दोनों दिन शामिल कर भुगतान की तिथि से वसूली की तिथि तक परिकलित किया जायेगा।

iii. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी समय अवशेष अग्रिम की राशि हेतु बैंक गारंटी उपलब्ध है।

iv. वसूली 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् आरम्भ की जानी चाहिये तथा ब्याज के साथ संपूर्ण राशि की वसूली 80 प्रतिशत समाप्त हो जाने कर की जायेगी।

v.

31.6 संयंत्र और मशीनरी तथा शटरिंग सामग्री हेतु अग्रिम प्रदान करना

1. स्थल पर मशीनरी और संयंत्र लाने के एक माह के भीतर लिखित में ठेकेदार द्वारा निवेदन करने पर उसे इसके लिये अग्रिम प्रदान किया जा सकता है। यदि प्रभारी अभियंता यह अनुभव करता है कि संयंत्र और मशीनरी से कार्य का निष्पादन समेकित रूप से होगा और कार्य की गुणवत्ता में सुधार आयेगा तो ऐसा अग्रिम प्रदान किया जायेगा।

2. अग्रिम की राशि निम्नानुसार सीमित रहेगीः –

   i. नये संयंत्र और मशीनरी के लिये संविदा मूल्य का 5 प्रतिशत या ठेकेदार द्वारा ऐसी नई मशीनरी और संयंत्र हेतु भुगतान की गई कीमत का 90 प्रतिशत (इसके लिये वह प्रभारी अभियंता के पास संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा) दोनों में जो कम हो।

   ii. यदि प्रभारी अभियंता द्वारा अपेक्षित हो तो ठेकेदार, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड मूल्यांकक द्वारा विधिवत् अनुमोदित ऐसी पुरानी मशीनरी और संयंत्र के मूल्य का विवरण जमा करेगा।

3. विनाशशील प्रकृति के या 50,000 रूपये से कम कीमत की संयंत्र और मशीनरी पर कोई अग्रिम नहीं दिया जायेगा।

4. अग्रिम की ऐसी राशि का 75 प्रतिशत स्थल पर संयंत्र और मशीनरी (नई या पुरानी) लाने के पश्चात् और शेष 25 प्रतिशत उसके सफल कमीशनिंग पर भुगतान किया जायेगा।

5. वसूली 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो जाने पर की जाये तथा ब्याज के साथ संपूर्ण राशि 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो जाने पर वसूल की जायेगी।

6. ठेकेदार को, विभाग द्वारा अग्रिम और उस पर ब्याज की वसूली कर लेने के पश्चात् संयंत्र और मशीनरी साथ ले जाने की स्वतंत्रता होगी, यदि प्रभारी अभियंता की राय में कार्य शेष मदों के निष्पादन में स्थल पर उनकी आवश्यकता न हो।

31.6.1 उपकरणों की लीजिंग

उपकरणों की लीजिंग पर उनके क्रय के साथ सममूल्य पर विचार किया जायेगा तथा निम्नलिखित के साथ त्रिपक्षीय करार द्वारा कवर किया जायेगाः

1. लीजिंग कंपनी जो ठेकेदार को उपकरण लीज़ करने की सहमति का प्रमाण पत्र प्रदान करती है।

2. ठेकेदार को प्रभारी अभियंता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ऐसे मालबंधित संयंत्र और मशीनरी स्थल से हटाने की अनुमति नहीं होगी।

3. मालबंधन की संपूर्ण अवधि में ऐसे संयंत्र और मशीनरी को अच्छी स्थिति में रखने के लिये ठेकेदार जिम्मेदार होगा। ऐसा न करने पर ऐसे अग्रिम की एक मुश्त वसूली की जायेगी।

31.6.3 उपकरणों का बीमा

1. ठेकेदार अपनी लागत पर उस संयंत्र और मशीनरी का बीमा करेगा जिसके लिये मोबिलाईजेशन एड़वांस मांगा गया है जो इतनी राशि के लिये होगा जितनी स्थल पर उनके प्रतिस्थापन हेतु आवश्यक हो।

2. बीमा कर्ताओं के वसूल न होने वाली राशि ठेकेदार द्वारा वहन की जायेगी।

31.6.4 शटरिंग सामग्री हेतु अग्रिम

स्टील स्कैफोल्डिंग और फ्रेम वर्क को अग्रिम प्रदान किये जाने के उद्देश्य से संयंत्र और मशीनरी माना जायेगा। पैरा 31.6 और पैरा 31.6.3 तक के अधीन सभी उपबंध इस प्रयोजन हेतु लागू होंगे।

खण्ड–32

संविदा खण्डों के प्रचालन हेतु सामान्य दिशा निर्देश

32.1 उपेजनि प्रपत्र सं07/8 का खण्ड 2 एवं उपेजनि प्रपत्र सं0 12 का खण्ड 16 (क्षतिपूर्ति की वसूली)

1. ये खण्ड ठेकेदार द्वारा विलंब और व्यतिक्रम करने पर उससे क्षतिपूर्ति की वसूली से संबंधित है। इस खण्ड को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है, यथाः –
   - क. कार्य पूर्ण करने के लिये अनुमन्य समय का प्रेक्षण।
   - ख. ठेकेदार द्वारा कार्य आरम्भ करने, समय पर पूरा न करने, निष्पादन के दौरान धीमी प्रगति हेतु उसके द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान।
   - ग. ठेकेदार द्वारा भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति के संबंध में अधीक्षण अभियंता का निर्णय अंतिम होगा।
2. जैसा कि ठेकेदारों को समय विस्तार और विलंबित निष्पादन हेतु क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में इस नियम पुस्तिका के खण्ड 28 के अधीन पहले ही स्पष्ट किया गया है, कार्य पूर्ण होने के लिये ठेकेदार को प्रदान किया गया समय संविदा की मूल वस्तु है। कार्य प्रारम्भ करने की तिथि ठेकेदार के स्वीकृति के पत्र में उल्लिखित, अनुबंधित तिथि से आरम्भ होती है।
3. धीमे निष्पादन का कार्य पूर्ण करने में विलंब के लिये क्षतिपूर्ति संविदा मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक वसूल की जा सकती है।
4. धीमी प्रगति या अनुबंधित समय पर कार्य पूर्ण न होने के लिये उसमें अनुबंधित दरों पर क्षतिपूर्ति ''एक सहमत'' क्षतिपूर्ति है जिसका भुगतान व्यतिक्रम होने पर ठेकेदार को करना है। अतः यदि कार्य की प्रगति धीमी है या कार्य अनुबंधित समय पर पूर्ण नहीं किया गया है तो प्रभारी अभियंता के पास सिवाय इसके कोई विकल्प नहीं है कि वह संविदा में उल्लिखित दरों पर इसकी वसूली करे। यदि ठेकेदार इससे व्यथित है तो वह ऐसी वसूली के विरूद्ध अधीक्षण अभियंता से अपील कर सकता है जो प्रत्येक मामले के गुणों पर निर्भर करते हुए मूल दरों पर या घटी दरों पर वसूली पुष्ट कर सकता है या उसे पूर्णतः छोड़ सकता है। ऐसे मामलों में अधीक्षण अभियंता का निर्णय अंतिम और माध्यस्थम खण्ड के कार्य क्षेत्र से बाहर होगा।

5. यदि ठेकेदार करार के खण्ड 5 के अनुबंधित या पुनः अनुसूचित विशिष्ट माईल स्टोन प्राप्त नहीं करता तो उस नीव के पत्थर के सम्मुख दर्शायी गई

6. राशि ठेकेदार को सूचित दिये बिना स्वतः ही रूक जायेगी तथा अंतिम रूप से समय विस्तार प्रदान किये जाने पर उद्ग्रहित की जाने वाली क्षतिपूर्ति के विरूद्ध समायोजित की जायेगी। तथापि, यदि आगे के नीव के पत्थर पर कार्य की प्रगति में भरपाई कर लेता है तो रोकी हुई राशि उसको जारी कर दी जायेगी।

यदि ठेकेदार अगले नीव के पत्थर में विलंब को पूरा नहीं कर पाता है तो प्रत्येक छूटे गये माईल स्टोन के समक्ष उल्लिखित राशि रोक दी जायेगी। रोकी गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

32.1.1 ठेकेदार को सूचना।

संविदा का मूल्य होते हुए भी इन खण्डों के अधीन क्षतिरोपित उद्ग्रहित करने के लिये केवल अधीक्षण अभियन्ता ही सक्षम है। अतः खण्ड में दी गई दर के आधार पर परिकलित क्षतिपूर्ति की मात्रा के उद्ग्रहण का निर्णय सभी मामलों में अधीक्षण अभियन्ता को ही लेना है। अधीक्षण अभियंता को, क्षतिपूर्ति उद्ग्रहित करने के अपने आशय को पंजीकृत सूचना द्वारा ठेकेदार को देना चाहिये। खण्ड 2 के अधीन क्षतिपूर्ति के संबंध में ठेकेदार को जारी किये जाने वाले कारण बताओ नोटिस के प्रपत्र निम्नलिखित रूप से संलग्नक 20क व 20ख में दिये गये हैं: –

i. जब कार्य प्रगति पर है या पूर्ण कर लिया गया है (संलग्नक 20क)।

ii. यदि संविदा अवधारित की गई है। (संलग्नक 20ख)।

ठेकेदार द्वारा यदि कोई उत्तर दिया गया है तो क्षतिपूर्ति का निर्धारण करते समय उस पर विचार किया जायेगा।

32.1.2 समय वृद्वि स्वीकृत हो जाने के पश्चात् क्षतिपूर्ति की वसूली

समय विस्तार पर निर्णय प्राप्त कर लेने के पश्चात् क्षतिपूर्ति की वसूली की जायेगी।

32.2 उपेजनि प्रपत्र 7/8 का खण्ड 2क (समय पूर्व कार्य पूर्ण करने के लिये प्रोत्साहन)

1. यह खण्ड ठेकेदार द्वारा समय पूर्व कार्य पूर्ण करने पर ठेकेदार को देय प्रोत्साहन उपबंधित करता है। यह खण्ड तब लागू होगा जब संविदा की साधारण शर्तों की अनुसूची ''च'' में ऐसा उपबंधित हो।

2. सामान्यतया यह खण्ड, कार्यों के लिये एन.आई.टी. में वहां उपबंधित किया जायेगा जहां निविदा में दी गई अनुमानित लागत 1 करोड़ रूपये से अधिक है। तथापि, तकनीकी स्वीकृत प्राधिकारी कार्य के समय पूर्व पूर्ण होने के लाभों को देखते हुए कम मूल्य के कार्यों के लिये भी इसे उपबंधित कर सकते हैं।

3. निविदा स्वीकार करने वाला प्राधिकारी जो अधीक्षण अभियंता की श्रेणी से नीचे का न हो, के अनुमोदन से ठेकेदार को भुगतान किये जाने वाली मात्रा तय की जायेगी।

32.3 उपेजनि प्रपत्र 7/8 का खण्ड 3 एवं उपेजनि प्रपत्र 12 का खण्ड 17

1. ये खण्ड, संविदा के अवधारण, जमा की जब्ती और अन्य अभिकरणों के माध्यम से कार्य के निष्पादन के संबंध में है। ये खण्ड अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन खण्डों के अनुसार जब सुसंगत खण्ड के अधीन कार्यवाही हेतु ठेकेदार ने स्वयं को समर्पित कर दिया हो तब प्रभारी अभियंता के पास प्रबंध निदेशक, उपेजनि की ओर से संविदा अवधारित करने की शक्तियां होंगी। प्रबंध निदेशक की ओर से प्रभारी अभियंता के द्वारा दिया गया समाप्ति नोटिस इस खण्ड के प्रवर्तन हेतु निश्चायक साक्ष्य होगा।

2. करार अन्य के साथ साथ यह उपबंधित करता है यदि संविदा अवधारित है तो संविदा के अधीन जमा की गई धरोहर राशि, वसूल कर ली गई प्रतिपूर्ति जमा और निष्पादन प्रतिपूर्ति/गारंटी जब्त कर लिये जाने के लिये दायी होगी तथा पूर्ण रूप से उपेजनि के निवर्तन पर होगी।

3. वह ठेकेदार जिसकी संविदा उपरोक्त नाम से अवधारित की गई है, उसे शेष कार्य के लिये निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

32.3.1 ठेकेदार को नोटिस

1. विभाग में लिये गये कार्यों के संबंध में करार के खण्ड 3 के अधीन ठेकेदार को ''कारण बताओ नोटिस'' और ''अंतिम कार्यवाही पर नोटिस'' देने के लिये उपेजनि के प्रबंध निदेशक की ओर से प्रभारी अभियंता द्वारा जारी किये जाने के लिये दो मॉडल पत्र प्रारूप बनाये गये हैं। इन मॉडल पत्र प्रारूप की प्रतियां संलग्नक 21 एवं 22 के अनुसार हैं।

2. इन प्रपत्रों का उपयोग करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाये।

   क. जहां कहीं विकल्प लागू न हों उन्हें हटा दिया जाये और जहां कहीं आवश्यक लगे उपयुक्त परिवर्धन किये जायें।

ख. ''कारण बताओ नोटिस'' (दोषपूर्ण विलंब, कार्य का रूकना या धीमी प्रगति) के लिये मानक प्रपत्र में उल्लिखित कारणों से अन्यथा कारणों से खण्ड 3 के किसी उप–खण्ड के अधीन संविदा अवधारित करते समय, मामले की आवश्यकतानुसार जहां कहीं आवश्यक हो उपयुक्त संशोधन किये जायेंगे।

3. सहमति पत्र का अंतिम नोटिस उसके पश्चात् तैयार किया जाये तथा संविदा की अनुसूची ''च'' के अधीन परिभाषित निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

32.4 प्रपत्र 7/8 का खण्ड 3क

यदि ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर के कार्यों से, कार्य पूर्ण करने के लिये अनुबंधित समय के 1/8 के या 1 माह जो भी अधिक हो, के भीतर कार्य आरम्भ नहीं हो पाता है तो कोई भी पक्ष संविदा को समाप्त कर सकता है। यदि ठेकेदार संविदा को समाप्त करना चाहता है तो वह विभाग को उन की ओर से विफलता का उल्लेख करते हुए नोटिस देगा। ऐसी स्थिति में ठेकेदार की निष्पादन प्रतिपूर्ति/गारंटी (पी.जी) निम्नलिखित समय सीमा के भीतर वापस कर दी जायेगी।

i. यदि संविदा मूंल्य 45 लाख रूपये तक है तो 15 दिन के भीतर।

ii. यदि संविदा मूल्य 25 लाख रूपये से 2.5 करोड़ तक है तो 21 दिन के भीतर।

iii. यदि संविदा मूल्य 2.5 करोड़ रूपये से अधिक है तो 30 दिन के भीतर।

यदि निर्धारित समय के भीतर निष्पादित प्रतिपूर्ति वापस नहीं की जाती है तो निर्धारित समय सीमा की समाप्ति की तिथि से ठेकेदार को निष्पादित प्रतिपूर्ति की राशि पर 0.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज देय होगा। ऐसी स्थिति में क्षति इत्यादि के कारण क्षतिपूर्ति अधिकतम 10.00 लाख रूपये तक की सीमा के अधीन संविदा मूल्य के 0.25 प्रतिशत की दर से देय होगी। संविदा के परिभाषित निविदा स्वीकार करने वाला प्राधिकारी, संविधान के उपबंध के अधीन संविदा समाप्त करने की अंतिम कार्यवाही अनुमोदित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी होगा।

32.5 कार्य प्रारम्भ करने में विफल रहने पर कार्यवाही

यदि ठेकेदार कार्य आरम्भ करने में विफल रहता है तो निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से प्रभारी अभियंता द्वारा धरोहर राशि और निष्पादन प्रतिपूर्ति जब्त कर ली जायेगी।

32.5.2 संविदा निश्चित हो जाने के शीघ्र पश्चात् ठेकेदार प्रत्येक माईल स्टोन के लिये एक समय एवं प्रगति चार्ट जमा करेगा तथा विभाग से इसे अनुमोदित करवायेगा। यह चार्ट, कार्य की मदों को पूर्ण करने के लिये संविदा विलेख में उल्लिखित समय से सीधे संबद्ध रूप में तैयार किया जायेगा। यह कार्य के खण्डों के विभिन्न चरणों के प्रारम्भ और पूर्ण होने की तिथियों का पूर्वानुमान इंगित करेगा तथा इसे कार्य निष्पादन के दौरान उचित प्रगति सुनिश्चित करने के लिये संविदा प्रपत्र में नियत समय सीमा के भीतर प्रभारी अभियंता और ठेकेदार के मध्य सहमति द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकेगा। ऐसे सभी मामलों में जहां किसी कार्य के लिये अनुमन्य समय सीमा से आगे एक माह से अधिक लग जाता है (ऐसे विशेष मामलों को छोड़ कर जिनके लिये एक पृथक कार्यक्रम पर सहमति हुई है) वहां ठेकेदार अनुसूची "च" में दिये गये नीव के पत्थर के अनुसार कार्य पूर्ण करेगा। नीव के पत्थर प्राप्त न कर पाने के मामले में रोके जाने वाली अधिकतम राशि कार्य के निविदा मूल्य से 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

32.5.3 **नीव के पत्थर का पुनः अनुसूचीकरण**

1. तथापि, कार्य निष्पादन पूर्ण न कर पाने के अपरिहार्य कारणों से माईल स्टोन्स के सापेक्ष ठेकेदार कार्य पूर्ण नहीं कर पाता है तो वह देरी के कारणों के होने से 14 दिनों के भीतर माईल स्टोन्स और समय सीमा के पुनः अनुसूचीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकता है। यदि व्यवहार्य हो तो ठेकेदार इस आवेदन में उस अवधि को भी इंगित कर सकता है जिसके लिये विस्तार वांछित है। इस खण्ड के अधीन विस्तार प्राप्त करने के लिये विस्तृत प्रक्रिया का विवरण "समय का विस्तार" शीर्षक में इस पुस्तिका के खण्ड 28 के अधीन दिया गया है।
2. करार (इस पुस्तिका का पैरा 32.11.1) के खण्ड 12 में उपबंधित किये गये अनुसार, आवश्यक अतिरिक्त कार्य हेतु ठेकेदार को समय विस्तार देना भी औचित्यपूर्ण है।
3. प्रभारी अभियंता उचित व युक्तियुक्त समय विस्तार प्रदान करेगा तथा कार्य पूर्ण करने के लिये माईल स्टोन्स को पुनः अनुसूचित करेगा। माईल स्टोन्स के पुनः अनुसूचीकरण में माईल स्टोन्स की संख्या में परिवर्तन भी सम्मिलित होगा।

4. माईल स्टोन्स के पुनः अनुसूचीकरण के पश्चात् भी माईल स्टोन्स की अप्राप्ति के मामले में रोक दी जाने वाली निविदाकृत राशि का कुल प्रतिशत अपरिवर्तनीय रहेगा।

32.5.4 समयवृद्धि पर निर्णय की अनियमता।

इस खण्ड के अनुसार, प्रभारी अभियंता का सुझाव कि क्या समय विस्तार हेतु दर्शाये गये आधार युक्तियुक्त हैं अथवा नहीं अंतिम होगी। यदि प्रभारी अभियंता समय विस्तार हेतु मना करता है तो सुसंगत खण्ड के अधीन मध्यस्थ के संदर्भ द्वारा उसकी विचार को चुनौती देना ठेकेदार की सक्षमता के अधीन नहीं है। प्रभारी अभियंता को ऐसा विस्तार प्रदान करना चाहिये जो उसकी सुझाव में आवश्यक और उचित हो। तथापि, उसके द्वारा प्रदान किया गया समय विस्तार उचित है या नहीं इस पर उसकी राय अंतिम होगी। ठेकेदार इस प्रश्न पर मध्यस्थता की मांग कर सकता है कि प्रदान किया गया समय विस्तार उचित है अथवा नहीं।

32.5.5 ठेकेदार के आवेदन न करने पर समयवृद्धि प्रदान करना

संविदा के वैध रहने की अवधि सहमति पत्र का मामला है तथा यदि कार्य पूर्ण करने की मूल रूप से तय की गई अवधि समाप्त होती है तो संविदा के अस्तित्व एवं वैधता को पक्षों की सहमति ही विस्तार दे सकती है। जब संविदा के पूर्ण होने की तिथि समाप्त होने के समीप हो तो ठेकेदार या विभाग या दोनों के द्वारा इस पर विचार किया जाना चाहिये। विस्तार बंधनकारी हो इसके लिये पक्षों की अभिव्यक्त या विविक्षित सहमति आवश्यक है। अतः यदि अधिशासी अभियंता द्वारा स्वयं विस्तार प्रदान किया जाता है और कार्य पूर्ण करने की तिथि से पहले व इसके पश्चात् ठेकेदार द्वारा अभिव्यक्त अथवा विविक्षित रूप से इस विस्तार को स्वीकार किया जाता है तो अधिशासी अभियंता द्वारा प्रदान किया गया विस्तार वैध है। अतः संविदा जारी रखने के लिये यह आवश्यक है कि अधिशासी अभियंता स्वंय के विवेक से तब भी समय विस्तार प्रदान करे जब कि ठेकेदार द्वारा समय विस्तार का आवेदन न किया गया हो। यदि अधिशासी अभियंता द्वारा प्रदान समय विस्तार से ठेकेदार मना करता है तो करार के खण्ड 2 और 3 के उपबंध लागू होंगे।

32.5.6 विलंबित निष्पादन हेतु क्षतिपूर्ति

विलंबित निष्पादन हेतु क्षतिपूर्ति, जिसके कारण अधिशासी अभियंता द्वारा विस्तार दिया गया है, जिसे उद्ग्रहित किया जायेगा वह एक पृथक मामला है। क्षतिपूर्ति हेतु उद्ग्रहण निम्नलिखित पर निर्भर करेगा: –

i. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 द्वारा परिकलित पूर्व नोटिस।

ii. ठेकेदार द्वारा त्रुटि/विलंब या बाधा, और

iii. इसके द्वारा हुई हानि का साक्ष्य (यदि मध्यस्थ के समक्ष ठेकेदार द्वारा इसे चुनौती दी गई हो)।

32.5.7 समयवृद्धि पर निर्णय लेने से पहले बाधाओं पर सावधानी पूर्वक विचार

1. ठेकेदार अपने समय विस्तार हेतु आवेदन में विभाग द्वारा उन विभिन्न विलंबों और कमियों की ओर ध्यान दिलायेगा जिन्हें वह अपरिहार्य बाधाएं मानता है। प्रभारी अभियंता समय विस्तार के मामलों में उसे प्रदान करने या इसकी संस्तुति करते समय सामान्यतया विलंब के इन कारणों को सही स्वीकार करता है। ठेकेदार, विभाग के व्यतिक्रम या कमियों के कारण कार्य में विलंब होने के फलस्वरूप माध्यस्थम में नुकसान या क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। मध्यस्थ के समक्ष ऐसे मामले आने पर समय के विस्तार हेतु कारणों की स्वीकार्यता पर प्रभारी अभियंता की कार्रवाई, नुकसान इत्यादि हेतु ठेकेदार के दावे के लिये साक्ष्य में सहायक हो सकती है।

2. विभाग द्वारा विलंब और कमियां होने के साथ–साथ ठेकेदार की ओर से भी विलंब और कमियां हो सकते हैं। कार्य पूर्ण करने हेतु अनुबंधित या विस्तारित अवधि के दौरान ऐसे विलंब के लिये ठेकेदार जिम्मेदार है तथा विस्तार प्रदान करते समय या इसकी संस्तुति करते समय खण्ड अधिकारी को इसका ध्यान रखना होगा। निगम का हित सुरक्षित रखने के लिये ठेकेदार की उन कमियों को समय विस्तार या संस्तुति करते समय प्रभारी अभियंता द्वारा सदैव स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जायेगा।

3. समय विस्तार प्रदान करते समय ठेकेदार की ओर से विलंब और विभाग की ओर से विलंब दोनों को एक संतुलित दृष्टि से देखा जाये। विभाग या ठेकेदार की ओर से विलंब के उल्लेख से, हानियों के लिये ठेकेदार के दावे के विरूद्ध मध्यस्थ के समक्ष अपनी स्थिति के उचित बचाव हेतु इससे सहायता मिलेगी।

32.6 उपेजनि के प्रपत्र 7/8 का खण्ड 7 (माध्यमिक/चालू भुगतान)

वे परिस्थितियां जिनके अधीन ठेकेदार को भुगतान किया जा सकता है इस नियम पुस्तिका के पैरा 29.1 में स्पष्ट की गई हैं। प्रभारी अभियंता को एक तिथि निश्चित करनी चाहिये जिस तिथि तक प्रत्येक माह ठेकेदार अपना देयक जमा करे। ग्राह्य राशि का भुगतान प्रभारी अभियंता या उसके सहायक अभियंता के पास ठेकेदार द्वारा अपेक्षित विवरण के साथ देयक जमा करने के पश्चात् इस बात पर निर्भर करते हुए कि कार्य प्रभारी अभियंता के मुख्यालय में है या उसके मुख्यालय से बाहर, 10 से 15 दिन के भीतर किया जायेगा। ठेकेदार को भुगतान उसके द्वारा देयक जमा करने पर ही किया जायेगा। यदि ठेकेदार पूर्वोक्त रूप से देयक जमा नहीं करता है तो ब्याज व भुगतान पर विलंब के कारण उसके सभी दावे समाप्त हो जायेंगे। ठेकेदार द्वारा कम्प्यूटरीकृत देयक जमा करने के संबंध में (इस पुस्तिका का पैरा 7.12 देखें)।

32.7 कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र

1. इस खण्ड के अनुसार कार्य पूर्ण हो जाने पर प्रभारी अभियंता द्वारा ठेकेदार को एक कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अंतिम देयक के समय कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र न होने की दशा में देयक को स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पूर्णता प्रमाण पत्र की तिथि से वह तिथि निर्धारित होगी जिस तिथि तक करार के सुसंगत खण्डों के अधीन नुकसान पूरा करने के लिये ठेकेदार को उत्तरदायी ठहराया जायेगा।
2. यह देखा गया है कि सामान्यतया कि कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता और माप पुस्तिका में केवल कार्य पूर्णता की तिथि नोट कर ली जाती है। चूंकि यह तरीका इसके उपबंधों से पुष्टिकारक नहीं हैं अतः इस पुस्तिका के पैरा 29.4 के अधीन दिये गये तरीके से एक कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र अभिलिखित किया जायेगा।
3. यदि ठेकेदार से सूचना मिलने पर प्रभारी अभियंता द्वारा निरीक्षण करने पर कार्य संतोषजनक ढंग से पूर्ण हुआ नहीं पाया जाता है तो ठेकेदार को इन त्रुटियों इत्यादि के संबंध में लिखित में सूचित किया जाये किन्तु कोई अस्थायी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।
4. कार्य पूर्णता की तिथि वह तिथि है जिस दिन इसे पूरा किया गया है न कि वह तिथि जिस दिन प्रभारी अभियंता या उसके अधीनस्थ द्वारा माप अभिलिखित की जाती है। अतः ऑडिट/अकाउंट्स की इस संतुष्टि हेतु कि

कार्य संविदा में निर्धारित समय पर पूरा कर लिया गया है, वास्तव में कार्य पूर्ण होने की तिथि को ठेकेदार के बिल में और उस माप पुस्तिका जिसके पिछली माप अभिलिखित की गई थी, में भी नोट किया जाये।

32.7.1 स्थल की स्वच्छता और माप के पश्चात् कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र का अभिलेखन

1. यदि ठेकेदार स्कैफोल्डिंग, बची खुची सामग्री और कचरा नहीं हटाता है तथा काष्ठ कार्य, खिड़की, दीवारों, फर्श और भवन इत्यादि से धूल मिट्टी की सफाई नहीं करता है तो इस खण्ड में तया किये गये अनुसार ठेकेदार की लागत पर इसे हटाया जायेगा। जब तक स्थल से अवशिष्ट इत्यादि हटा न लिया जाये, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा।

2. आगे इस खण्ड के अनुसार कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रभारी अभियंता द्वारा कार्य की माप न की जाये। इस उपबंध के पीछे आशय यह है कि कार्यों के सभी मापन कार्य समय पर पूरे कर लिये जायें। कार्य का माप करना सबसे महत्वपूर्ण विवरण है जिसे दोनों पक्षों द्वारा मापा जाता है और स्वीकार किया जाता है। प्रभारी अभियंता द्वारा माप कार्य में विलंब के कारण कार्य पूर्णता की तिथि में विलंब नहीं हो सकता क्योंकि किसी प्रकार इसका लाभ ले कर किसी पक्ष द्वारा कमी के लिये इस उपबंध को बहाना नहीं बनाया जा सकता है। तो भी यदि ठेकेदार द्वारा माप कार्य को अंतिम रूप देने में विलंब किया जाता है तो इस उपबंध की प्रयोज्यता युक्तियुक्त होगी।

32.8 ठेकेदार को प्रतिपूर्ति

1. यह खण्ड उपबंधित करता है कि किसी नये विधि, विधिक नियम या आदेश के प्रवृत्त होने के प्रत्यक्ष कारण (किन्तु बिक्री कर/वैट में परिवर्तन होने पर नहीं) से खण्ड 2 के अधीन किसी कार्यवाही के बिना संविदा के प्रावधानों के अधीन न्यायोचित विस्तारित अवधि सहित संविदा अवधि के दौरान कार्य के लिये, विस्तार यदि कोई है, सहित निविदा प्राप्ति की पिछली अनुबंधित तिथि के समय पर प्रचलित कीमतों/मजदूरी के ऊपर बढ़ी हुई मजदूरी और/या कार्यों में सम्मिलित सामग्री (खण्ड 10 ग के अधीन कवर्ड सामग्री को छोड़कर) की कीमत में कमी/बढ़त के कारण ठेकेदार को प्रतिपूर्ति की जायेगी। यह वृद्धि ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन संविदा के निष्पादन में विलंब का कारण नहीं होगी।

2. इस खण्ड के प्रचालन में सामग्री और/या श्रमिको की मजदूरी के मूल्य में बढ़त या कमी सम्मिलित है।

3. इस प्रकार देय दरें ज्ञात करने में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

i. सामग्री

सामग्री (यों) की बढ़ी/घटे दरें जोनल मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित की जायेगी। भुगतान/वसूली, सामग्री (यों) के सैद्धांतिक उपयोग गुणा निविदा प्राप्ति के समय प्रचलित सामग्री (यों) की लागत जो जोनल मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित हो, में अंतर के आधार पर प्रभारी अभियंता द्वारा की जायेगी।

ii. श्रम

क. वृद्धि/कमी, नये कानून या विधिक नियम या आदेश के अनुसार प्रवृत्त होने वाली श्रम मजदूरी की वृद्धि/कमी के आधार पर प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित और भुगतान/वसूली की जायेगी।

ख. किसी विधि या विधिक नियम या आदेश के अधीन नियत अकुशल वयस्क मजदूर के मामले में वृद्धि/कमी, रूपये में न्यूनतम दैनिक मजदूरी पर विचारित की जायेगी।

4. खण्ड 10 (ग) संविदा के इस सामान्य नियम का अपवाद है कि ठेकेदार से कार्य के लिये जो भुगतान तय हुआ है उससे अधिक भुगतान न किया जाये। यह पुनः हानिपूर्ति की प्रकृति में है कि नये विधि या विधिक नियम के प्रवृत्त होने से कार्य में सम्मिलित श्रम या सामग्री के मूल्य में वृद्धि होती है।

पहली बात यह है कि अपवाद का कठोरता से अर्थ लगाया जाये। दूसरा इसमें एक अन्तर्निहित सुरक्षा है क्योंकि यह एक साम्यिक प्रतिपूर्ति की प्रकृति में है।

5. कार्यवाही बिना संविदा के प्रावधानों के अधीन विस्तारित न्यायोचित अवधि सहित संविदा अवधि के दौरान कार्य के लिये विस्तार यदि कोई है, सहित संविदा प्राप्ति की पिछली अनुबंधित तिथि के समय पर प्रचलित कीमतों/मजदूरी से ऊपर और अधिक वृद्धि हेतु दावा देय होगा जो पूर्णता

की अनुबंधित तिथि पर प्रचलित या विचाराधीन अवधि पर प्रचलित, दोनों में जो कम हो उन मूल्यों / मजदूरी तक सीमित रहेगा।

6. प्रत्येक कार्य के लिये श्रम के घटक को निविदा प्रपत्र की अनुसूची "च" में पूर्व अवधारित और सम्मिलित करना होगा। ऐसा खण्ड 10ग ग हेतु इस पुस्तिका के पैरा 32.10.1 में दिये अनुसार भी किया जा सकेगा।

32.9 प्रपत्र 7/8 का खण्ड 10 (ग क): सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि या कमी

1. यह कार्य से संबंधित विभिन्न सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि या कमी के कारण संविदा की राशि में परिवर्तन हेतु उपबंध करता है।

यह खण्ड, कार्य के मुख्य भाग के लिये आवश्यक मूल्यवान सामग्रियों के मूल्य में अंतर के कारण कार्य की लागत में समायोजन अनुमन्य करने के लिये लागू होगा। एन.आई.टी का अनुमोदन करने वाला प्राधिकारी, सीमेन्ट, स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील, पी.ओ.एल, बिटुमिन इत्यादि जैसी सामग्रियों को इस खण्ड के अधीन लाने पर विचार कर सकता है। सामग्रियों की ऐसी सूची (सीमेन्ट, स्टील रिइन्फोर्समेन्ट बार्स और स्ट्रक्चरल स्टील को छोड़कर) संबंधित सी.ई. से अनुमोदित करवाई जायेगी जिसके पास ऐसे अनुमोदन हेतु पूर्ण शक्ति होगी। ऐसी सामग्री जिसकी अनुमानित लागत कार्य की अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत से कम हो तथा रेत, पत्थर इत्यादि जैसी सामग्री जिसके मूल्य में स्थान–स्थान पर अंतर होता है, पर विचार नहीं किया जाये। ऐसी मदें जिनकी ठेकेदार को विभाग द्वारा तय दरों पर आपूर्ति की जाती है उन पर भी विचार करना आवश्यक नहीं है।

2. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की वेब साईट http://eaindustry.nic.in पर उपलब्ध तथा उनके आर्थिक सलाहकार द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित विभिन्न सामग्रियों (सीमेन्ट, स्ट्रक्चरल स्टील की रिइन्फोर्समेन्ट बार्स को छोड़कर) के लिये अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक तथा प्रबन्ध निदेशक, उपेजनि के प्राधिकार के अधीन जारी सीमेन्ट, स्टील रिइन्फोर्समेन्ट और स्ट्रक्चरल स्टील के लिये मूल्य सूचकांक अपनाये जायेंगे। यदि किसी सामग्री विशेष के लिये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मूल्य सूचकांक प्रकाशित नहीं किये जाते हैं तो निकटतम सदृश सामग्री के मूल्य सूचकांक अपनाये जायेंगे। ऐसी सामग्री जिसके लिये खण्ड लागू है और निकटतम सदृश सामग्री की सूची नीचे दर्शाये गये

अनुसार कार्य के लिये एन.आई.टी को अंतिम रूप देते समय जी.सी.सी. की अनुसूची ''च'' में इंगित किये जायेंगे।

खण्ड 10 ग क					
इस खण्ड के अधीन सामग्री।		सीमेन्ट रिइन्फोर्समेंन्ट बार्स और स्ट्रक्चरल स्टील से अन्यथा निकटतम सामग्री जिसके लिये अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक अपनाया जाना है।		खण्ड 10 ग क के अधीन सम्मिलित सभी सामग्रियों का बेस प्राईस '	
1	सीमेन्ट	1	.....	1	.....
2	स्टील रीइन्फोर्समेन्ट बार्स	2	.....	2	.....
3	स्ट्रक्चरल स्टील	3	.....	3	.....
4	पी.ओ.एल.	4	.....	4	.....
5	.....				

खण्ड 10 ग क के अधीन सम्मिलित सभी सामग्रियों का बेस प्राईस एन. आई.टी. के अनुमोदन के समय उल्लिखित किया जाये।

3. देहरादून के लिये सीमेन्ट, रिइन्फोर्समेंन्ट बार्स और स्ट्रक्चरल स्टील का बेसिक प्राईस सी.ई. मुख्यालय द्वारा जारी किया जायेगा तथा अन्य स्थानों के लिये यह मुख्य अभियंता (मुख्यालय) को सूचना के अधीन संबंधित जोनल मुख्य अभियंता द्वारा जारी किया जायेगा। खण्ड 10 (ग क) के अधीन कवर्ड अन्य सामग्रियों के लिये बेसिक प्राईसेज संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा जारी किये जायेंगे। यह खण्ड सभी संविदाओं के लिये लागू होगा।

32.10 प्रपत्र 7/8 का खण्ड 10 (ग ग): संविदा राशि में परिवर्तन

1. यह खण्ड, कुछ शर्तों के अधीन सामग्रियों पी.ओ.एल और/या कार्य के निष्पादन के लिये आवश्यक श्रमिक की मजदूरी (जी.सी.सी. के खण्ड 10 व 34 के अनुसार) तय मूल्यों पर प्रदान सेवाओं या आपूर्तित सामग्री के लिये

नहीं तथा (खण्ड 10 ग क के अधीन आई सामग्रियों को छोड़कर) के मूल्य में परिवर्तनों के कारण संविदा राशि में परिवर्तन उपबंधित करता है।

2. इन संविदाओं में खण्ड 10 (ग ग) लागू होगा जहां पूर्णता हेतु अनुबंधित अवधि 12 माह से अधिक है।

3. खण्ड 10 (ग ग) के अधीन भुगतान, कार्यवाही के बिना संविदा के अधीन उपबंधों के अधीन विस्तारित न्यायोचित अवधि सहित संविदा की अनुबंधित अवधि के दौरान किये गये कार्य के लिये लागू है। तथापि, उपरोक्त न्यायोचित विस्तारित अवधि में किये गये कार्य हेतु भुगतान, अतिरिक्त किये गये कार्य (कार्य की लागत ग अनुबंधित अवधि/संविदा लागत के आधार पर यथानुपात पर परिकलित) के प्रभार को ध्यान में रखते हुए पूर्णता की अद्यतन अनुबंधित तिथि पर प्रचलित मूल/मजदूरी के आधार पर ज्ञात किया जायेगा।

32.10.1 खण्ड 10 ग ग को प्रभावित करने वाले सभी घटकों का पूर्व अवधारण

1. खण्ड 10 ग क के अधीन आयी सामग्री को छोड़कर अन्य सामग्री के घटक, प्रत्येक कार्य हेतु मजदूरी और पी.सी.एल को जी.सी.सी/मानक संविदा प्रपत्र 7/8 की अनुसूची "ड" में पूर्व अवधारित और सम्मिलित करना होगा। इस प्रयोजन हेतु कार्य को मुख्य रूप से निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत करना होगा।

   i. सेनेटरी और जल आपूर्ति सहित भवन कार्य।
   ii. एअर फील्ड्स में मार्ग कार्य और पेवमेन्ट कार्य।
   iii. विकास कार्य।
   iv. गाड़ी कार्य।
   v. आंतरिक विद्युत संस्थापन।
   vi. वाह्य विद्युत कार्य।
   vii. मशीनरी, लिफ्ट्स, सब–स्टेशन्स, पंप सेट्स, इत्यादि की आपूर्ति और संस्थापना।

2. भवन कार्यों के मामले में पी.ओ.एल का घटक बहुत छोटा है तथा इसे पृथक रूप से इंगित न किया जाये। सिविल कार्यों की विभिन्न श्रेणियों के लिये निम्नलिखित प्रतिशत इंगित की जायेगी: –

कार्य की श्रेणी	सीमेन्ट, स्टील, सामग्री	श्रम	पी.सी.एल
भवन	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	–
एअर फील्ड्स में आगे कार्य एवं पेवमेन्ट	90 प्रतिशत	5 प्रतिशत	5 प्रतिशत
वाह्य सीवरेज	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत	–
वाह्य जल आपूर्ति	95 प्रतिशत	5 प्रतिशत	–
सेतु कार्य/फ्लाई ओवर कार्य	70 प्रतिशत	25 प्रतिशत	5 प्रतिशत